खण्ड-397, अंक-6
शुक्रवार, 15 आषाढ़, शक संवत् 1912
(6 जुलाई, 1990 ई0)

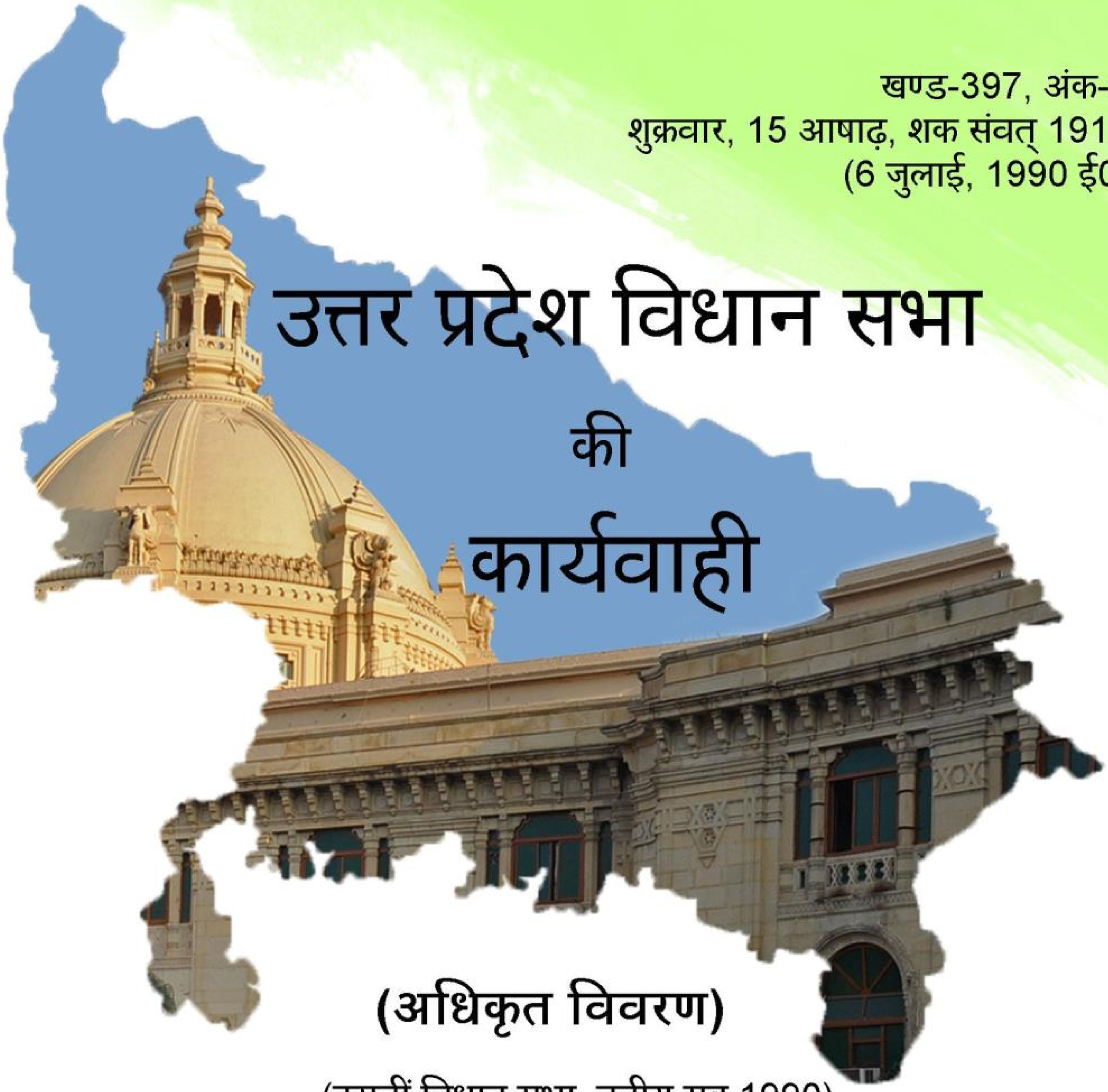

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 397 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1—2
श्री अनिल कुमार सिंह यादव स0 वि0 सभा पर गोली से हुए हमले के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी) ..	3
प्रश्नोत्तर ..	3—55
श्री अनिल कुमार सिंह यादव स0 वि0 सभा पर गोली से हुए हमले के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी) ..	55—60
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	60
जनपद हरदोई के बिलालपुर गांव के श्री गुरु बख्श सिंह के हत्याकाण्ड में पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	61
जनपद बदायूं के उझयानी नगर में बाजार कला आदि बस्तियों के नाले की सफाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	61
जनपद सीतापुर के ग्राम कोरेया में श्रीमती गुड्डी की दहेज के कारण हुई हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	62
जनपद लखनऊ के सदर में हातारम दास बगिया के निवासियों को पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	62—63
लखनऊ नगर महापालिका द्वितीय यूनिट (कपूरथला) के कर्मचारियों द्वारा किसानों को मुआवजा दिये जाने में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	63
पद सुल्तानपुर के अमेठी क्षेत्र के ग्राम गाजी खां का पुरवा में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कतिपय व्यक्तियों के घर में आग लगा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	63—64
शाहजहांपुर शहर में विद्युत् की अनावश्यक कटौती किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	64
सिंचाई विभाग के जिला सेक्टर का 16 करोड़ रुपया स्टेट सेक्टर में खर्च कर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	64
नियम 301 एवं 51 की सूचनाओं को ग्राह्यता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	67—70
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1989–90 का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत) ..	70

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1989-90 का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत) ..	70
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1989-90 का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत) ..	70
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें ..	70—81
श्री अनिल कुमार सिंह यादव स० वि० सभा पर गोली से हुए हमले के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी) ..	81—87
वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 3—आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास), अनुदान संख्या 2—आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) (जारी) ..	87
श्री अनिल कुमार यादव स० वि० सभा पर गोली से हुए हमले के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ..	88
वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की माँगों पर मतदान अनुदान संख्या 3—आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास), अनुदान संख्या 2—आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) (स्वीकृत) ..	88—89
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 (पारित) ..	89—91
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 (पारित) ..	91—95
नत्थियाँ ..	97—107

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजकर 4 मिनट पर दिन में अध्यक्ष श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अख्तर, श्री (गाजियाबाद)
अतीक अहमद, श्री (इलाहाबाद)
अनवर मोहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री (एटा)
अमरमणि, श्री (महाराज गंज)
अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अरविन्द कुमार, श्री (ललितपुर)
अरिदमन सिंह, श्री (आगरा)
इन्द्रल सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
उमाकान्त वाजपेयी, श्री (फतेहपुर)
ओम प्रकाश यादव, श्री (मुरादाबाद)
काजी मो० मोहिउद्दीन, श्री (हरिद्वार)
काशी सिंह ऐरी, श्री (पिथौरागढ़)
किरमपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
रेवती रमण सिंह
मणि जी, श्री (इलाहाबाद)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
खुर्शीद, श्री (गाजीपुर)
गंगाभक्त सिंह, श्री (हरदोई)
गणपति सिंह, श्री (महराजगंज)
चन्द्रविजय सिंह, श्री (मुरादाबाद)
चेतराम, श्री (शाहजहांपुर)
चैनसुख भारती, श्री (जालौन)
धर्मपाल, श्री (बहराइच)
नरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नारायण दत्त तिवारी, श्री (नैनीताल)
निरवेन्द्र कुमार, श्री (खीरी)
निहाला सिंह, श्री (वाराणसी)
पद्मा सेठ, श्रीमती (सीतापुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री (बरेली)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बलवीर सिंह, श्री (टिहरी गढ़वाल)
बल्देव सिंह, श्री (बिजनौर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बृजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
भोला सिंह, श्री (इलाहाबाद)
मंजूर अहमद, श्री (बरेली)
महावीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
मारकण्डेय चन्द्र श्री (गोरखपुर)
मोहम्मद सईद "अमर" श्री (सिद्धार्थनगर)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मोबीन अहमद आजमी श्री (मऊ)
मोहम्मद असलम खां, श्री (सहारनपुर)
मोहम्मद उल्लाह, श्री (मुरादाबाद)
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री (मुरादाबाद)
योगेन्द्र कुमार, श्री (इटावा)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, श्री (बुलन्दशहर)
राकेश कुमार पालीवाल, श्री (फिरोजाबाद)
राकेश धर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री (गाजीपुर)

राजपाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
राजा मो0 अमीर मोहम्मद खां, श्री (सीतापुर)
राजित प्रसाद यादव, श्री (वाराणसी)
राजेश्वर बंसल, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री (कानपुर)
राम बचन धूसिया, श्री (बलिया)
राम सरन सिंह, श्री (अलीगढ़)
रिजवान जहीर उर्फ रज्जू, श्री (गोण्डा)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रेशमा आरिफ श्रीमती (कानपुर)
विजय सिंह राणा, श्री (आगरा)
विपिन बिहारी, श्री (हरदोई)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (हरिद्वार)
शफीकुर्रहमान बर्क श्री (मुरादाबाद)
श्याम नारायन तिवारी श्री (महाराज गंज)
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री (उन्नाव)
समीउल्ला, श्री (गोण्डा)
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री (खीरी)
सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी, श्री (गाजियाबाद)
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री अलीगढ़
शेख मोहम्मद सुलेमान, श्री (बिजनौर)
हनुमन्त सिंह, श्री (गोण्डा)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)
हरि शंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)
होशियार, श्री (बुलन्दशहर)

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्री अनिल कुमार सिंह यादव, स0 वि0 सभा पर गोली से हुए हमले के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुईद अहमद---

माननीय, हमने नियम 311 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार सिंह पर गोलियों से हमले के बारे में प्रस्ताव दिया है ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी---

माननीय, उनके ऊपर गोलियों की बौछार की गई है । इस पर आप चर्चा का अवसर दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों के बाद आप कह लीजिएगा ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी---

माननीय, यह बहुत गम्भीर मामला है ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कह तो दिया, आप प्रश्नों के बाद उठायें ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के सुदूरवर्ती सीमान्त जनपदों के राज्य कर्मचारियों को सीमान्त विशेष भत्ता और सीमान्त विशेष वेतन दिये जाने की मांग

**1---श्री कुंवर सिंह नेगी---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश के सुदूरवर्ती तीन सीमान्त जनपदों--चमोली, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ में सेवारत राज्य कर्मचारियों को दिया जाने वाला सीमान्त भत्ता एवं सीमान्त वेतन बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार वहां की दुर्गमता एवं विषम परिस्थितियों को देखते हुए इसे पुनः लागू करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री बरफिया लाल जुवांठा)---

जी नहीं ।

प्रदेश के तीन सीमान्त जिलों--चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ में सेवारत राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाला सीमान्त विशेष भत्ता बन्द नहीं किया गया है ।

वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (1987) के प्रतिवेदन तथा उस पर विचार करने के लिये गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासकीय संकल्प सं0 वे0 आ0 1-2246/दस-59 (एम)/1988, दिनांक 14 अगस्त, 1988 में लिये गये निर्णयानुसार सीमान्त विशेष वेतन के स्थान पर ही सीमान्त विशेष भत्ता दिया जा रहा है ।

उपर्युक्त तीनों सीमान्त जिलों की दुर्गमता एवं विषम परिस्थितियों को देखते हुये सीमान्त विशेष भत्ता पूर्व में ही दिया जा रहा है। अतः इसे पुनः लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के, पर्वतीय क्षेत्र के सुदूरवर्ती सीमान्त जनपदों में उत्तर काशी, चमोली और पिथौरागढ़ में वहां की दुर्गम और भौगोलिक परिस्थिति की वजह से जोशीमठ, मुंशियारी हरसिल और धारचूला आदि जगहों पर सीमान्त वेतन बन्द कर दिया है, इसमें प्राविधान था कि जैसे-जैसे बढ़ोत्तरी होती मंहगाई भत्ते आदि बढ़ते उसी तरह से पेंशन में बढ़ोत्तरी होती थी, अब आपने सीमान्त विशेष भत्ता वहां कर दिया है इससे उन लोगों को पेंशन में सुविधा नहीं मिल रही है, इतनी महंगाई है और उनको सुविधा नहीं दी जा रही है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूंछना चाहता हूं कि वहां की दुर्गमता को देखते हुए वहां सीमान्त वेतन और सीमान्त भत्ता पुनः लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया है कि यह निर्णय जो लिया गया है यह वेतन आयोग के अनुसार निर्णय लिया गया है और इसमें मुख्य सचिव द्वारा कमेटी बनाई गई थी इसमें काफी परीक्षण के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसलिए सीमान्त वेतन देने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो सीमान्त वेतन है इसको देने में सरकार को क्या कठिनाई है अगर सरकार इसको देती है तो क्या इससे सरकार पर ज्यादा आर्थिक भार आ रहा है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है और यह पूरे राज्य का परीक्षण करके वेतन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है और उसी के आधार पर जो दिया जा रहा है वह 650 रु0 तक विशेष भत्ता दिया जा रहा है, तो उस हिसाब से पूरे देश को देखते हुये, प्रदेश को देखते हुये, जो केन्द्र सरकार ने और वेतन आयोग ने निर्णय लिया है उसी के अनुसार यह किया गया है और अब इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री किशन सिंह तड़ागी—

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में जो दूर-दूर रहते हैं उनको सीमान्त वेतन और सीमान्त भत्ता विशेष परिस्थितियों में दिया जाता था यह जो भत्ते दिये जाते थे तो इसको काटने का क्या औचित्य है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

मान्यवर, जिस समय सीमान्त वेतन और सीमन्त भत्ता देने के नियम बनाये गये थे उस समय की भौगोलिक परिस्थिति कुछ और थी और आज की भौगोलिक परिस्थिति कुछ और है तो आज की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये यह निर्णय लिया गया है उस समय जो सीमान्त जिले थे वहां लोग जाना नहीं चाहते थे। यातायात के साधन भी वहां नहीं थे। अब यातायात के साधन भी अच्छे हो गये हैं और वहां कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसलिये ऐसा निर्णय लिया गया है।

श्री भारत सिंह रावत—

मान्यवर, वेतन आयोग की संस्तुतियों पर सीमान्त भत्ता काटा गया, मेरा निवेदन है मंत्री जी से, कि वह यह बताने का कष्ट करें कि वह संस्तुति क्या थी और मंत्री जी ने यह यह कहा कि आज वह परिस्थिति नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आज भी वहां वैसी ही परिस्थिति है ? चीन के आक्रमण के बाद यह सीमान्त भत्ता विशेष परिस्थितियों में दिया गया था और आज भी वही परिस्थितियां मौजूद हैं तो फिर इस सीमान्त भत्ते को बन्द करने का क्या कारण है । इसके अलावा जो वेतन आयोग की संस्तुतियां थीं वह क्या हैं ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के जो वह तीन सीमान्त जनपद हैं उनके सम्बन्ध में जो निर्णय लिया गया था उसके 2 मुख्य आधार हैं । पहला आधार यह है कि सीमान्त विशेष वेतन को विशेष वेतन की श्रेणी में रखा गया था, जो मूल नियम 9 (25) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है । वर्ष 1979 में मूल नियम 9 (25) में संशोधन कर निम्नलिखित आधार हटा दिया गया है ।

द अनहेल्दीनेस आफ द लोकलिटी

इन विच वर्क इज परफार्म्ड

अतः अब इस आधार पर सीमान्त वेतन (विशेष वेतन) नहीं दिया जा सकता । दूसरा आधार यह था कि भारत सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को, जो इन जनपदों में तैनात होते हैं, उन्हें सीमान्त भत्ता ही देती है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मंत्री जी ने दो बातें कही हैं । एक तो उन्होंने बताया कि अब भौगोलिक परिस्थितियां बदल गयी हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि भौगोलिक परिस्थितियों में क्या अन्तर आया है । दूसरी बात मंत्री जी ने कही कि मुख्य सचिव समिति ने अनुशंसायें दी थी तो उस समिति ने यह सुविधा समाप्त करने के सम्बन्ध में क्या आधार दिया है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि वेतन आयोग ने इस सम्बन्ध में संस्तुतियां की हैं और इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के अनुसार सीमान्त विशेष वेतन के स्थान पर सीमान्त विशेष भत्ता दिया जा रहा है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैंने पूछा है कि जो मुख्य सचिव समिति गठित की गयी है उस समिति ने इस सम्बन्ध में क्या आधार दिया है वह बता दें ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैं बताना चाहता हूं कि मूल वेतन पर भत्तों एवं पेंशन की अनुबन्धता का सिद्धांत केन्द्रीय सरकार के सिद्धांत पर आधारित है और उसी के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 1986 के बाद से भत्तों एवं पेंशन

के सम्बन्ध में जो आदेश जारी किये जाते हैं उनमें यह व्यवस्था रखी जाती है कि अमुक भत्ता मूल वेतन, जैसा कि मूल नियम 9 (2) (1) में परिभाषित है, पर ही अनुमन्य होगा। यदि पर्वतीय क्षेत्र के कर्मचारियों की मांग पर सीमान्त विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता या पेंशन के लिये आगणन में लिया जाता है....

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैंने आधार पूछा था मंत्री जी जी0 ओ0 पढ़ रहे हैं।

एक सदस्य--

मान्यवर, प्रश्न को स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी आप कृपया जो संस्तुतियां हैं उन संस्तुतियों से उन माननीय सदस्यों को अपने कक्ष में अवगत करा दीजियेगा जिन्होंने अभी प्रश्न किये हैं।

जनपद इलाहाबाद के ब्लाक कौशाम्बी, मंझनपुर एवं सरसवां में आसन्न पेय जल संकट को दूर करने की मांग

**2--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम सत्र 16 जनवरी, 1990 में प्रश्नकर्ता द्वारा इलाहाबाद जनपद के अपने निर्वाचन क्षेत्र के तीनों ब्लाक कौशाम्बी, मंझनपुर, सरसवां में पेयजल संकट से लोगों के प्यासे मरने के सम्बन्ध में नियम 301 में प्रश्न उठाया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही न करने से ब्लाक कौशाम्बी के ग्राम अहीरन का पूरा, मजरा, उरई, असरफपुर में 6 व्यक्तियों की मृत्यु 27 मई, 1990 से लेकर 11 जून, 1990 के मध्य हो गयी है तथा सैकड़ों की संख्या में लोग बीमारी से ग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पानी के संकट को दूर करने हेतु तत्काल हैण्ड पाइपों को लगाने की व्यवस्था कराने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

नगर विकास मंत्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)--

जी हां और उसका उत्तर पत्र संख्या 846/9-2-90-1 (नियम)/90, दिनांक 7 मार्च, 1990 द्वारा दिया गया था।

यह सही नहीं है कि विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। फरवरी एवं मार्च, 1990 में ही इन तीनों ब्लाकों में 57 इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाये गये। तत्पश्चात् सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी, इलाहाबाद के माध्यम से प्राप्त सूची के अनुसार इन तीनों विकास क्षेत्रों में 143 और इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प अप्रैल, मई एवं जून, 1990 में लगाये गये।

ब्लाक कौशाम्बी, ग्राम अहीरन का पूरा मजरा, उरई, असरफपुर में कुओं में पर्याप्त जल होने के कारण वहां पेयजल का संकट नहीं था। अतः उसमें न तो पहले से कोई इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगा था और न 11 जून, 1990 तक कोई हैण्ड पम्प लगाया गया था। इस मजरे में 6 व्यक्तियों की मृत्यु पानी के अभाव से नहीं अपितु अतिसार रोग से हुई है। अब कोई व्यक्ति बीमार नहीं है।

लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुये 7 जून, 1990 को जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने इस मजरे में दो इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाने के लिये कहा है। एक हैण्ड पम्प

18 जून, 1990 को चालू किया जा चुका है तथा दूसरे हैण्ड पम्प का कार्य प्रगति पर है ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, ने अपने उत्तर में जो बात कही है, वह बिलकुल निराधार और असत्य है । इन्होंने अपने ही उत्तर में कही गयी बातों का उसके बाद खन्डन भी किया है । एक तरफ इन्होंने कहा है कि पानी का अभाव नहीं है और दूसरी तरफ कहा है कि पानी के अभाव के लिए हैंड पम्प लगाये जा रहे हैं । मान्यवर, 16 जनवरी, 1990 को मैंने नियम 301 के अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर मांग की थी कि मेरे तीनों ब्लाकों में पानी का स्तर घट गया है, कुएं सूख रहे हैं, इसमें जानवर ही नहीं आदमियों को भी प्यास से मरने की आशंका है । मान्यवर, जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट है कि पानी की कमी से कुएं से कीचड़युक्त गंदा पानी पीने से यह बीमारी फैली और मौतें हुई । तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह पानी की कमी से, कीचड़युक्त पानी पीने से मौतें हुई हैं कि नहीं ? क्या यह सत्य है कि जिलाधिकारी इलाहाबाद ने पानी की कमी को देखते हुये वहां पर एक टैंक की व्यवस्था की थी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है । मान्यवर, हैंड पम्प लगाने के लिए पूर्व सरकार ने यह व्यवस्था कर रखी थी कि गांवों में जो हैंड पम्प लगाये जायेंगे, वह प्रधानों से पूछकर लगाये जायेंगे और ग्राम प्रधानों के चयन के अनुसार हैंड पम्प लगाये गये थे । मान्यवर, इस प्रकार के कार्य जो ग्राम प्रधानों द्वारा होते थे, उसमें कई प्रकार की त्रुटियाँ थी । उन त्रुटियाँ को देखते हुए वर्तमान सरकार ने यह व्यवस्था कर रखा है कि अब जो हैंड पम्प लगाये जायेंगे, वह माननीय सदस्यों की संस्तुति पर लगाये जायेंगे ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

मान्यवर इन्होंने अपने उत्तर में कहा कि पानी की कमी से मौतें नहीं हुई हैं; जबकि जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट है कि कुएं सूख जाने से पानी के अभाव से कीचड़युक्त गंदा पानी पीने से उनकी मौतें हुईं, जबकि ग्राम अहिरन का पुरा मजरा, ओरई, अशरफपुर के बारे में सरकार यह कहती है कि वहां पर कुओं में पर्याप्त जल होने के कारण वहाँ पर पेयजल संकट नहीं था, उसके आगे फिर सरकार ने कहा है कि उसमें न तो पहले से कोई इंडिया मार्क-2 हैंड पम्प लगा था और न 11 जून, 1990 तक कोई हैंड पम्प लगाया गया था । उसके आगे फिर कहा है कि इस मजरे में 6 व्यक्तियों की मृत्यु पानी के अभाव से नहीं हुई है, बल्कि अतिसार रोग से हुई है, जबकि मान्यवर, सत्य यह है कि यह मृत्यु कीचड़युक्त गंदा पानी पीने से हुई है । मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जिलाधिकारी के द्वारा पानी की कमी को देखते हुए टैंक की व्यवस्था की गयी थी ? यदि की गयी थी, तो टैंक की व्यवस्था करने का क्या औचित्य था ?

श्री मुईद अहमद--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, ईश्वर शरण विद्यार्थी ने नियम 301 के अन्तर्गत 16 जनवरी, 1990 को प्रश्न लगाया था और आपने अपने उत्तर में ही स्वयं स्वीकार किया है कि मैंने 7 मार्च, को जवाब दे दिया । मान्यवर, जब 16 जनवरी को लगा था, तो 7 दिन के अन्दर अंतरिम उत्तर क्यों नहीं दिया गया और 16 फरवरी तक 1 महीने में क्यों नहीं

उत्तर दिया गया । मान्यवर, 7 मार्च को उत्तर देने से मौत हुई है । मान्यवर, यह उत्तर विलम्ब से क्यों दिया गया ? मान्यवर, 16 फरवरी का नियम 301 का प्रश्न है और 7 मार्च में उत्तर दिया गया । मान्यवर, माननीय मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्य को इतने विलम्ब से उत्तर देने का क्या कारण है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय सदस्य का यह कहना कि पत्र का उत्तर विलम्ब से दिया गया और विलम्ब से उत्तर देने के कारण जो प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई इसलिए मृत्यु हुई । मैं बताना चाहता हूं कि 27 मार्च, 1990 से 8 जून, 1990 तक मृत्यु हुई आपका पत्र इसके पहले प्राप्त हो चुका था, ऐसी स्थिति में यह कहना गलत है ।

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी एवं मुईद अहमद के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही में नहीं आयेगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के नगर पालिकाओं द्वारा चुंगी वसूली की समाप्ति का प्रस्ताव

*1--श्री सत्य प्रकाश विकल तथा श्री रविदास मेहरोत्रा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगर पालिकाओं द्वारा चुंगी वसूली को समाप्त किये जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक समाप्त कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

वर्ष 1990-91 का आय-व्ययक प्रस्तुत करने के समय दिनांक 1 अगस्त, 1990 से चुंगी समाप्त करने की घोषणा सदन में की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, यह ठीक है कि सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1 अगस्त, 1990 से प्रदेश में चुंगी समाप्त की घोषणा की है, स्वागत योग्य है । परन्तु मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चुंगी समाप्ति से स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से जो हानि होगी और उन्हें अपने काम को चलाने में जो कठिनाई आयेगी, क्या शासन ने उसकी क्षतिपूर्ति की कोई व्यवस्था की है ?

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य जी, यह मूल प्रश्न से बिल्कुल अलग आपका प्रश्न हो गया या नहीं ?

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सब लोग खड़े न हों, यह तो उचित नहीं है । माननीय विकल जी का प्रश्न है वह खड़े हैं । अब आप लोग इसलिए खड़े हो गये कि मैं विकल जी की बात न सुन पाऊं । उनका प्रश्न है वह पूंछ रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, आप लोग क्यों खड़े हो गये ।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, जिस समय यह प्रश्न किया गया था उस समय किसी की कल्पना में यह नहीं था कि चुंगी समाप्त हो जायेगी । चूंकि व्यवस्था हो गयी है इसलिए यह आवश्यक है कि प्रदेश की जनता यह जान सके कि चुंगी समाप्ति के बाद इन स्थानीय निकायों को ठीक प्रकार से चलाने के लिए शासन क्या व्यवस्था कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

आप कहते हैं कि उस समय घोषणा नहीं हुई थी, आपका प्रश्न था कि क्या सरकार चुंगी को समाप्त करने का विचार कर रही है तो उन्होंने इसका उत्तर दे दिया कि इसकी व्यवस्था हो गयी है । अब आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि स्थानीय निकायों को काम चलाने में कठिनाई होगी तो इसके लिए आप दूसरा प्रश्न करिये, इस प्रश्न में कैसे आ जायेगा ? दूसरा अल्प सूचित तारांकित प्रश्न आप करिये ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने चुंगी समाप्त करने का फैसला किया, यह बहुत सराहनीय काम है और इस सम्बन्ध में जो मंत्री जी का उत्तर आया है उसमें एक बात कहनी है कि चुंगी समाप्त करने के बाद जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उनकी तनख्वाह आदि की जो व्यवस्था सरकार लागू करेगी, उसका मानक क्या होगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के निकायों से चुंगी समाप्त की जाएगी और सारे माननीय सदस्यों ने प्रशंसा की । आपका यह कहना कि चुंगी समाप्त करने के बाद स्थानीय निकायों के साधन में कमी आएगी और जो उसमें कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिये कौन सी व्यवस्था करेंगे । जहां तक पहले मुद्दे का सवाल है कि स्थानीय निकायों की चुंगी समाप्त होने से जो संसाधन कम होंगे, उसको देखते हुए स्थानीय निकायों के प्रति कौन सी व्यवस्था की जायगी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि चुंगी से जो क्षति होगी, उसकी सरकार क्षतिपूर्ति करेगी और स्थानीय निकायों की आय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने पाएगी । दूसरे जो कर्मचारी इसमें काम करते थे, वे हटाए नहीं जाएंगे वे समायोजित किये जाएंगे ।

श्री भोला पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि चुंगी समाप्त कर दी जाएगी । लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जड़ों को मजबूत करने के लिए नगरपालिकाओं

और महापालिकाओं के चुनाव कराए गये थे और सभासद चुने गये थे, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये। मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिये और लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को स्थायी रखने हेतु क्या चुने हुए सभासदों और चुने हुए चेयरमैनों से घोषणा करने के पहले कोई राय ली गयी थी या उनकी मंशा जानी थी कि चुंगी समाप्त की जाय, या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

इसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री भोला पाण्डेय--

मान्यवर, इनकी लोकतन्त्र में आस्था नहीं थी, इसलिये चुने हुए प्रतिनिधियों से राय नहीं ली, इसका ही जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के पंजीकृत स्नातक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के प्रस्ताव की जानकारी

*1--कृष्ण स्वरूप वैश्य--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंजीकृत स्नातक बेरोजगार युवकों को शासन बेरोजगारी की तिथि का भत्ता दिये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल बेरोजगारी भत्ता दिया जाना कठिन है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि, उनको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि जनता दल के चुनाव घोषणा-पत्र में यह स्पष्ट था कि काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कर बेरोजगार युवकों को काम दिया जायगा और अगर काम नहीं दे पायेंगे तो बेकार हाथों को बेरोजगार भत्ता दिया जायगा। माननीय मंत्री जी इस संदर्भ में बतावें कि सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार करते हैं कि बेकार हाथों को काम दिया जाय ? दूसरा प्रश्न यह करना चाहूंगा कि कम से कम जो बेरोजगार कार्यालयों में जिन युवकों के नाम पंजीकृत हैं, क्या उनको साक्षात्कार (इण्टरव्यू) में जाने के लिये बस के किराये को माफ करेंगे और इसकी घोषणा करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह सही कि जनता दल ने काम के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है और उसकी घोषणा भी की है। आपने आधी बात सही कही है, लेकिन आधी

बात सही नहीं है। यह सही है कि काम का अधिकार मौलिक अधिकार है, आप कहें तो पढ़कर सुना दूं। हम ऐसे कार्य का प्रबन्ध करना चाहते हैं जिससे इतनी मजदूरी मिल सके कि मानवीय जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। इसमें बहुत सी रोजगार योजनाएं चल रही हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी योजनाएं चलाई जायं जिसमें नौकरी को माध्यम न माना जाय, बल्कि छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय और कर्जों में प्रोत्साहन दिया जाय।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मैं यह जानना चाह रहा हूं कि जिन बेरोजगारों के नाम पिछले कई सालों से रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं और उनको अभी तक नौकरी नहीं मिल पायी है। उन बेरोजगार युवकों को अब आगे से परीक्षाओं में साक्षात्कार में जाने के लिये बस किराये से मुक्त करने का स्पष्ट आश्वासन देंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

मान्यवर, पिछले सालों में कितनी बेरोजगारी हो गयी, इसकी जिम्मेदारी इस सरकार को लेनी ही होगी और हम लेते हैं। बहुत बेरोजगारों की फौज बढ़ा दी है। इनकी समस्या का हल होना चाहिये। दूसरा प्रश्न कि किराया न लिया जाय, यह बहरहाल नीतिगत प्रश्न है। यह प्रश्न आपका अहम है, इसके बारे में बहरहाल शासन सोचता रहता है और सोचना चाहिये भी।

(श्री भोला पाण्डेय व श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें। मैंने माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बुलाया है। आप सब लोग बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह कहा गया कि बेरोजगारी भत्ता देना फिलहाल सम्भव नहीं है। इसका अर्थ मैं यह लगाता हूं कि फिलहाल दिया जाना सम्भव नहीं है, लेकिन सिद्धान्ततः भत्ता देना सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वित्तीय संसाधन इस समय नहीं हैं, आगे संसाधन उपलब्ध होने पर दे दिया जायेगा। अगर फिलहाल नहीं तो यह भत्ता देने पर सरकार कब तक विचार कर रही है ?

माननीय वैश्य जी ने जो बात कही, उससे भिन्न बात जानना चाहता हूं। राजकीय सेवाओं में सरकार ने नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है जिसकी वजह से जो नियुक्तियां हो सकती थीं, रोजगार के अवसर और बन्द हो गये हैं। जनता दल ने घोषणा पत्र में कहा था हमारी सबकी प्रतिबद्धता है, भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिबद्धता है रोजगार उपलब्ध कराने की, यह जो नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा है इसे हटाये जाने पर विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान भी आ चुका है, इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

मथुरा, वृन्दावन नगरपालिकाओं के कतिपय मुहल्लों में नालियों एवं सीवर लाइनों की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

*2.—श्री रविकान्त गर्ग—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा, वृन्दावन नगरपालिकाओं के अन्तर्गत कौन-कौन से मोहल्लों व आबादी क्षेत्रों में सीवर लाइनों तथा पानी निकासी हेतु नालियों का निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है ? क्या उक्त धार्मिक क्षेत्रों में सीवर लाइन डलवाने एवं जल निकासी हेतु नाली निर्माण कराये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

नगर पालिका, मथुरा में जिन मोहल्लों व आबादी क्षेत्रों में सीवर लाइनों व पानी निकासी हेतु नालियों का निर्माण नहीं कराया गया है, उनका उल्लेख क्रमशः सूची 'क' व 'ख' में है तथा नगरपालिका, वृन्दावन के सम्बन्ध में उक्त सूचना सूची 'ग' में है ।

मथुरा व वृन्दावन नगरों के शेष भाग में सीवर लाइन डलवाने हेतु कोई योजना शासन द्वारा तैयार नहीं की गई है ।

समिति वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

उपर्युक्त के अनुसार ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 97संख्या पर ।)

श्री रविकान्त गर्ग—

मान्यवर, मथुरा और वृन्दावन ऐसी धार्मिक नगरियां हैं जहां के रहने वाले ही नहीं लाखों तीर्थ यात्री और पर्यटक भी वहां रोजाना आते हैं । इन श्रद्धा केन्द्रों पर शासन की छवि भी वास्तव में टिकी हुई होती है । उपरोक्त मुहल्लों और क्षेत्रों में रहने वालों की आबादी कितनी है ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री रविकान्त गर्ग—

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा सीवर लाइन डालने तथा पानी की निकासी हेतु नाली बनवाने के लिये योजना पर कब तक विचार कर लिया जायेगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मथुरा एक धार्मिक नगरी है इसमें दो राय नहीं है और वृन्दावन भी है । मथुरा और वृन्दावन के विषय पर सब लोग सहमत हैं कि यहां का सम्बन्ध भगवान कृष्ण के जन्म-स्थल और क्रीड़ा क्षेत्र से है । यहां पर लाखों दर्शनार्थी, धर्मार्थी यहां पर आते हैं इसमें भी दो राय नहीं है । जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि कुछ ऐसे मुहल्ले हैं मथुरा और वृन्दावन में मान्यवर, जहां पर सीवर लाइन नहीं है, उसकी सूची हमारे सामने है और कुछ ऐसे मुहल्ले हैं, जहां पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है । जैसा कि पूछा गया है कि धार्मिक नगरी के महत्व को महसूस करते हुये आप कब तक सीवर और पानी निकासी की व्यवस्था करेंगे, तो जैसा कि श्रीमन् मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कह दिया था कि वित्तीय साधनों की कमी से तत्काल कुछ करना सम्भव नहीं है ।

श्री रविकान्त गर्ग—

मान्यवर, एक तरफ माननीय मंत्री जी मथुरा की धार्मिक महत्ता को स्वीकार कर रहे हैं और सरकार द्वारा सिर पर मैला ढोने की प्रथा को भी खत्म करने का जोरदार एलान किया जा रहा है। दूसरी तरफ आज सीवर न होने से, नाले, नालियों का निर्माण न होने से मथुरा जैसे तीर्थस्थली में सिर पर मैला ढोने का काम किया जा रहा है, वहां इस प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिये माननीय मंत्री जी कब तक सीवर डलवाने की कृपा करेंगे, साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि इस बजट में इस कार्य के लिये कितना धन प्रस्तावित करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस प्रश्नकाल के तुरन्त बाद बजट आयेगा और इस बजट में क्या व्यवस्था है, वह प्रस्तुत की जायेगी। जहां तक इनका कहना है भंगी मुक्ति योजना के बारे में कि लोग आज भी सिर पर मैला ढोते हैं। मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न के उत्तर में बताना चाहूंगा कि इस वर्ष कहीं भी बड़े नगरों में जो भंगी हैं, वह सिर पर मैला न ढोयें, इसकी व्यवस्था की गयी है और उसमें मथुरा शहर भी है।

श्री हरिद्वार दुबे, एडवोकेट—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सरकार द्वारा कार्यों का सम्पादन सीमित साधनों के कारण नहीं हो पा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों की सूची दी है, उनके काम को विश्व बैंक योजना में कार्यान्वित कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, इसका हम परीक्षण करवा लेंगे।

श्री बाल चन्द्र मिश्र—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी आपने जिस स्थान की चर्चा की, वह ऐतिहासिक नगरी है और भगवान कृष्ण की जन्म-स्थली भी है। इसके अगल-बगल के जो स्थान हैं, उनको विशेष रूप से विकसित करने के लिये माननीय नगर विकास मंत्री जी के सामने क्या कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष—

अरे, अभी उसी की योजना पूरी नहीं हो पा रही है, अगल-बगल की कहां से हो जायेगी।

[शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई, 1990 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कश्मीर के विस्थापितों को पुनर्वास एवं रोजी-रोटी मुहैया कराया जाना

*1—श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा' श्री शंकर सिंह तथा श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कश्मीर घाटी की अशान्त स्थिति के चलते फरवरी, मार्च, 1990 में कितने कश्मीरी परिवारों ने उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से स्थानों में आकर कितनी संख्या में आश्रय लिया है ? उन परिवारों को बसाने तथा उन्हें रोजी-रोटी देने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)--

अप्रैल, 1990 तक 92 कश्मीर के विस्थापित परिवार के 374 सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में आकर आश्रय लिया है। शासन द्वारा प्रत्येक विस्थापित परिवार को रु0 500 प्रति परिवार की दर से आर्थिक सहायता जिलाधिकारियों के माध्यम से स्वीकृत की गयी है। इसके अतिरिक्त इनको सस्ता राशन, सस्ते वस्त्र तथा निःशुल्क औषधियाँ भी उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में बताना चाहता हूं कि कश्मीर घाटी की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है और इसी को मद्देनजर रखते हुये मैंने यह प्रश्न किया था। मान्यवर, यह विस्थापित परिवार प्रदेश के विभिन्न जिलों में आकर बसे हैं, ऐसा माननीय मन्त्री जी ने उत्तर में बताया गाजियाबाद में इन विस्थापित परिवार के सदस्यों ने कुछ जमीन बसने के लिये खरीदा है। मेरी जानकारी है कि उस जमीन को देने के लिये वहाँ के जिलाधिकारी ने संस्तुति कर दी है, लेकिन उद्योग विभाग द्वारा उस जमीन को अधिग्रहीत करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस सन्दर्भ में जानना चाहूंगा कि जो उजड़ कर यहां बसने आये हैं, फिर से दुबारा उनको उजाड़ा न जाये, इसके लिये क्या उस जमीन को अधिग्रहण से मुक्त करने की आप घोषणा करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने लोनी, जिला गाजियाबाद के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में इस आदरणीय सदन में यह सवाल उठाया है। इस सम्बन्ध में उनके कुछ प्रतिनिधि आये थे और उन्होंने जमीन की बात कही। जमीन के बारे में जो रकबा बताया गया, उसकी जांच करने पर यह पता लगा कि 2 बीघा 10 बीस्वा जमीन की सेल डीड उपलब्ध हुयी है और उसमें भी दाखिल-खारिज नहीं हुआ है कि किसके नाम पर जमीन आयी है। इन लोगों ने ज्यादा जमीन के बारे में कहा, किन्तु सेल डीड ज्यादा जमीन की नहीं मिल पायी है।

दूसरा, यह कहा गया कि उस जमीन को उद्योग विभाग से अलग कर दिया जाय। वहां पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी गये और उन्होंने इसका परीक्षण किया। अभी इस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है क्योंकि यह मामला भारत सरकार के स्तर का है कि ये शरणर्थी हैं भी या नहीं और इन्हें बसाया जाना है या नहीं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखा भी गया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी के निवास स्थान पर भी बैठक हुयी। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भारत सरकार के निर्देश पाते ही इस पर कोई अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री मयंकर सिंह--

मान्यवर, कश्मीर घाटी में अत्याचार से पीड़ित होकर जो हिन्दू परिवार उत्तर प्रदेश में आये हैं, उन्होंने प्रदेश के किन-किन स्थानों पर आश्रय लिया है और उन्हें बसाने के लिये क्या व्यवस्था आज तक की गयी है ?

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में ही कहा है कि 13 जनपदों में इन्होंने आश्रय लिया है, ये जिले हैं लखनऊ में 16 परिवारों ने, कानपुर शहर में 4 परिवारों

ने, आगरा में 24 परिवारों ने, देहरादून में 8 परिवारों ने, गाजियाबाद में 4 परिवारों ने, मथुरा में 4 परिवारों ने, हरिद्वार में 4 परिवारों ने, वाराणसी में 4 परिवारों ने, बरेली में 10 परिवारों ने, मुजफ्फरनगर में 8 परिवारों ने, इलाहाबाद में 2 परिवारों ने और अल्मोड़ा में 2 परिवारों ने, इस प्रकार 92 परिवार के 374 सदस्यों ने इस प्रदेश में आश्रय लिया है। जहां तक इनको बसाने का सवाल है, जितने लोग यहां आये हैं, उसमें से प्रायः अपने रिश्तेदारों व अपने सम्बन्धियों के यहां रह रहे हैं। दूसरा, यह कि ये शरणार्थी हैं कि नहीं, इसका निर्णय भारत सरकार को करना है। वैसे शरणार्थी उसे कहते हैं जो दूसरे देश के रहने वाले होते हैं। मानवीय आधार पर प्रत्येक परिवार को 500-500 रुपये दिये गये हैं और जिलाधिकारी को निर्देश भी दे दिये गये हैं कि उन्हें सस्ता राशन, सस्ते वस्त्र तथा निःशुल्क औषधियां उपलब्ध करायी जायं।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, यह बताया गया कि प्रत्येक परिवार को 500 रु0 दिया गया है, आज के इस महंगाई के समय में प्रत्येक परिवार को 500 रु0 दिया जाना अनुचित है, हमारा आग्रह होगा कि इसको बढ़ायें, प्रश्न यह है कि उन परिवारों के बच्चे होंगे जो पढ़ते होंगे, उनके लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराना, पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराना।

श्री अध्यक्ष--

ये तो सुझाव है, प्रश्न कीजिये, अगर सुझाव हो, तो लिखकर भेज दीजिये।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'--

प्रश्न ही पूछ रहा हूं, मान्यवर। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, स्कूलों और कालेजों में दाखिला दिलाने में और दूसरी सुविधायें दिलाने के लिये जैसा राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने किया है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी उस आधार पर व्यवस्था करेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद--

इस दिशा में जिलाधिकारियों को जो पत्र लिखा गया है उसमें इस बिन्दु को भी लिखा गया है कि शिक्षा के लिये भी व्यवस्था की जाय।

(श्री अध्यक्ष द्वारा "तारांकित प्रश्न संख्या-2" पुकारे जाने पर विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों के प्रश्न पूछने के लिये खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अभी पहले ही प्रश्न पर चल रहे हैं, 12.20 पर समाप्त होना है। यह निर्णय हो चुका है कि अन्य सदस्य केवल दो अनुपूरक प्रश्न करेंगे। अब आप लोग बैठें।

प्रदेश में गेहूं पर आधारित पुष्टाहार योजनायें

*2--श्री रविदास मेहरोत्रा तथा श्री मंजूर--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री को जानकारी है कि गेहूं पर आधारित पुष्टाहार हेतु वर्ष 1988-89 में भारत सरकार द्वारा 4 लाख 68 हजार लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जब कि वर्ष 1989-90 में यह लक्ष्य

घटकर 3 लाख 53 हजार लाभार्थियों को स्वीकार हुआ था ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 1990–91 में सरकार द्वारा कितने लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है ? वित्तीय वर्ष 1988–89 तथा 1989–90 में लाभार्थियों की संख्या में घटोत्तरी के क्या कारण थे ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां । लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । वर्ष 1990–91 के लिये लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है ।

लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, 1988–89 में 4 लाख 68 हजार लाभार्थियों का लक्ष्य था जो कि 1989–90 में घटकर 3 लाख 53 हजार हो गया । मुझे पूछना है कि लक्ष्य घटने के क्या कारण हैं ? दूसरी बात, वर्ष 1990–91 के लिये अभी तक लक्ष्य निर्धारित क्यों नहीं किया गया है ? इस लक्ष्य के निर्धारण के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद—

माननीय सदस्य ने वर्ष 1990-91 के लक्ष्य के बारे में जानकारी चाही है, बताना चाहता हूं कि वर्ष 1990–91 में 4 लाख 55 हजार लाभार्थियों के लिये 24 अप्रैल, 1989 को भारत सरकार से निवेदन किया गया है । जहां तक इस बात का प्रश्न है कि वर्ष 1988–89 और वर्ष 1989–90 के लिये क्या कारण रहे कि लक्ष्य कम रहा, इस दिशा में कुछ परियोजनायें हैं जिसमें से 7 परियोजनायें नोराड़ स्कीम में चली गयीं, वह कारण रहा, दूसरा कारण रहा कि हाई कोर्ट में रिट दायर हुयी, इसीलिये समस्या पड़ी ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

19 जनवरी, 1990 से जो योजनायें बन्द पड़ी हैं, जानना यह है कि वे बन्द क्यों हैं और कब शुरू की जायेंगी ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि चूंकि इससे सम्बन्धित मामला न्यायालय में है और जिसमें 3 रिट दायर हुयी है और यह मामला आरबीट्रेशन के सामने भी है जिसमें इसी महीने में 9 तारीख को पेशी है आरबीट्रेशन के सामने । हमारा प्रयास है कि बहुत जल्द इस मामले को तय कराकर इस योजना को व्यवस्थित रूप से चलाने का प्रयास बहुत जल्द कर रहे हैं ।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के कतिपय समस्याओं से सम्बन्धित ज्ञापन पर कार्यवाही

*3—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र की कतिपय मांगों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता एवं अन्य पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित मुख्य मंत्री को सम्बोधित ज्ञापन दिनांक 2 अप्रैल, 1990 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो ज्ञापन में वर्णित मांगों के समाधान हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

जी हां।

सूचना एकत्रित की जा रही है।

(मूल प्रश्न का उत्तर पढ़ने के बाद) मान्यवर, इस सम्बन्ध में आज ही 4 बजे मीटिंग रखी गई है, उसमें सारे बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करेंगे और इसमें प्रश्न संख्या 7 और 14 में शामिल हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी केवल आठ जिलों के मंत्री हैं और यह 16 जिलों का सवाल है। तीन महीने प्रश्न किये हुए हो गये तब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

अब दे देंगे।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

इनसे जब कोई बात करता हूं या सवाल पूछता हूं तो हमेशा यही कह देते हैं कि मैं मीटिंग बुलाने वाला हूं।

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

मान्यवर, आज निश्चित रूप से मीटिंग बुलाई जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, पहली बात तो यह कि माननीय मंत्री जी को प्रशिक्षण की जरूरत है क्योंकि मूल लिखित उत्तर से आगे इनको नहीं बोलना चाहिये था। खैर बोल लिये तो अच्छा किया इससे सरकार की कमजोरी इन्होंने स्वयं ही प्रस्तुत कर दी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बैठक आज बुला रहे हैं जबकि सरकार के पास यह प्रश्न तीन माह पहले गया था, क्या सरकार को इससे पहले बैठक नहीं बुला लेनी चाहिये थी। ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

मान्यवर, यह मामला कई विभागों से सम्बन्धित है और कुछ नीतिगत बातें हैं, कुछ आर्थिक मामले हैं, कुछ वन नीति से सम्बन्धित हैं। इसलिए इसमें निश्चित रूप से समय लगना जरूरी है, कुछ सूचना एकत्रित हो गई है और कुछ एकत्रित की जा रही है, इसी वजह से आज मीटिंग बुलाई गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने केवल इतनी बात जाननी चाही थी कि मीटिंग आज ही क्यों बुलाई गई, इससे पहले क्यों नहीं बुलाई गई ? माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि इसमें कई विभाग शामिल हैं, जैसे हम सबको यह पता ही नहीं है कि पर्वतीय विकास में कई विभाग सम्मिलित हैं। प्रश्नकर्ता का प्रश्न महत्वपूर्ण है आप माननीय मंत्री जी से साफ-साफ उत्तर दिला दें। इन्होंने बड़े भोलेपन से कह दिया कि आज मीटिंग बुलाई है।

श्री अध्यक्ष--

अब वे साफ ही तो कह रहे हैं।

प्रदेश के हरिजन प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की मांग

*4—श्री अनुग्रह नारायण सिंह (अनुपस्थित)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को यह ज्ञात है कि विभाग द्वारा संचालित हरिजन प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत चपरासियों, दाइयों तथा चौकीदारों का मासिक वेतन 225 रुपया है जो कि श्रम कानूनों के प्राविधानों के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन के प्रतिकूल है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस वर्ग के कर्मचारियों को अन्य विभागों के समकक्ष कर्मचारियों के बराबर वेतनमान देने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी नहीं ।

हरिजन प्राइमरी पाठशालाएं विभाग द्वारा संचालित न होकर अनुदानित संस्थाएं हैं । हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में चपरासी/चौकीदार पदों के लिए अनुदान नहीं दिया जाता । वरन हरिजन कन्या प्राइमरी पाठशालाओं में अंशकालिक दाइयों का पद अवश्य है और उन्हें 225 00 रु0 प्रतिमास मानदेय दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मचारियों के कतिपय मांगों पर हुए निर्णय की जानकारी

*5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री को इसकी जानकारी है कि 19 अक्टूबर, 1989 को उ0 प्र0 स्थानीय निकाय कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो वार्ता शासन के प्रतिनिधियों (प्रमुख सचिव वित्त, सचिव नगर विकास आदि) से से हुई उसमें प्रमुख मांगें क्या थी ? वार्ता के दौरान लिये गये निर्णयों की प्रगति क्या है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

प्रमुख मांगें संलग्न हैं । सूची 1 ।

वार्ता के दौरान लिये गये निर्णयों की प्रगति संलग्न सूची 2 में दर्शायी गई है ।

(देखिये मत्थी 'ख' भाग पृष्ठ संख्या पर) ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो सूची इस सम्बन्ध में दी है उसकी सूची संख्या 2 में जो बिन्दु 2 दर्शाया है, इसको आप देखने की कृपा करें जिसमें लिखा है कि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को समय से वेतन वितरण सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 दिसम्बर, 1989 द्वारा कर दिया गया है । अब 19 दिसम्बर, 1989 को जी0 ओ0 हो गया तो फिर अब तक इन कर्मचारियों को समय से वेतन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अब सरकार ने क्या निर्णय लिया है कि स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को वेतन समय से मिल जाय ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, आदरणीय सदस्य से यह जानना चाहा है कि प्रमुख वित्त विभाग की अध्यक्षता में जो समिति बनायी गयी थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया है, उसके बाद कर्मचारियों को वेतन समय से मिल सके उसके लिये आप क्या करने जा रहे हैं ? मैं बताना चाहूंगा कि 19 दिसम्बर, 1989 को प्रमुख वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी । मान्यवर, 5 दिसम्बर, 1989 को इस लोकप्रिय सरकार ने सेवा का भार ग्रहण किया था और 14 दिन के बाद तत्काल कार्यवाही की और वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया । मान्यवर, इस सम्बन्ध में यह हमारी तत्परता का द्योतक है । माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि 6 महीने में हमने क्या-क्या किया है, मैं कहना चाहता हूं कि इस बीच जो निर्णय आने चाहिये, वह नहीं आ पाये हैं और हाल ही में एक पत्र गया है, जिससे समिति अपनी रिपोर्ट दे दे और वेतन समय से दिया जा सके ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दुख व्यक्त किया है, मैं भी उनके दुख से अपने को सम्बद्ध करता हूं । आगे वह दुखी न हों, इसलिये वह इस पर निर्णय कर लें । मान्यवर, मैं बिन्दु तीन के बारे में कहना चाहता हूं, जिन लोगों की सेवायें 3 वर्ष या 240 दिन की हो गयी हैं, उन लोगों को पूरी पगार दी जायेगी । इसका उत्तर मिला है कि प्रस्ताव पर कुछ जिलों से सूचना प्राप्त हो गयी है और कुछ जिलों से नहीं प्राप्त हुई है । मान्यवर, मैं मात्र इतना आश्वासन चाहता हूं कि जिन जिलों से प्रस्ताव नहीं आये हैं, उनसे प्रस्ताव लेकर एक महीने में यह सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे कि प्रस्ताव आ जायें और वेतन मिलने की व्यवस्था कर देंगे । यह 24 अक्तूबर का शासनादेश जो है, क्या इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

माननीय सदस्य ने बिन्दु तीन के बारे में प्रश्न किया । जो समझौता हुआ था, उसके सम्बन्ध में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि यह बात बिलकुल सही है कि अब तक प्रदेश के कुछ जनपदों से यह सूचना आई है । दूसरी बात यह है कि जहां से यह सूचना प्राप्त हुई है यह भी अपूर्ण रही है । आपकी चिन्ता है कि सूचना शीघ्र मंगा ली जाये और 24 अक्तूबर का जो समझौता है, उसको लागू किया जाये । मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही सूचना प्राप्त हो जायेगी, उसको एक्जामिन किया जायेगा और जो निर्णय हुआ है, उसके अनुसार तत्काल कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से अपने को सम्बद्ध करते हुये यह पूंछना चाहता हूं कि उन निर्णयों का कार्यान्वयन कब तक कर लिया जायेगा । अगर समयबद्ध कार्यक्रम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है । जो उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दिये हैं, क्या उनका कार्यान्वयन एक महीने में सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

माननीय सदस्य ने एक महीने का समय चाहा है । मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा प्रदेश है और इसमें 700 स्थानीय निकाय हैं और प्रयास करने के बावजू

भी सारी सूचना इतनी जल्दी एकत्र नहीं की जा सकती है। मैं इतना निवेदन करूंगा कि जो आपकी चिन्ता है वही हमारी भी चिन्ता है कि सूचना जल्दी से आ जाये, लेकिन सूचना आने के बाद भी उसका परीक्षण करना होता है, इसलिय यह एक महीने मे नहीं हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष--

आप समय बढ़ा दें।

*6--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

[दिनांक 28 जून, 1990 को नियम 52 के अन्तर्गत सदन में चर्चा हो जाने के कारण निरस्त।]

जनपद गढ़वाल के कोटद्वार भावर क्षेत्र में पेयजल हेतु नलकूप लगाया जाना

*7--श्री भारत सिंह रावत--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जनपद के कोटद्वार भावर में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल निगम में कितने नलकूप प्रस्तावित किये हैं। पेयजल के संकट को दृष्टिगत रखते हुए इन नलकूपों को कब तक लगाया जायेगा ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

प्रयोगात्मक रूप से एक नलकूप 1989-90 में लगाया गया है केवल विद्युत् संयोजन प्राप्त होना है।

उक्त नलकूप के सम्पन्न हो जाने के उपरान्त इस क्षेत्र में नलकूप पर आधारित योजना बनाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

(मंत्री जी द्वारा लिखित उत्तर पढ़ने के उपरान्त।)

बाकी और मान्यवर, आज भी मैंने विभाग के लोगों को बुला रखा है, जिसमें हम विचार करेंगे।

श्री भारत सिंह रावत--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि एक नलकूप प्रयोगात्मक रूप से तैयार हो गया जिसका विद्युतीकरण होना है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि इस नलकूप में पानी पर्याप्त मात्रा में है और जैसा कि आपने कहा कि यह प्रयोगात्मक रूप में है, एक अच्छा नलकूप है, कोटद्वारा नगर और कोटद्वार भावर बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहां पर पानी की दिक्कत है। उसको देखते हुये, पानी की कठिनाई को देखते हुये, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जैसा उन्होंने कहा कि वे सर्वेक्षण करा रहे हैं, उसे कराकर जल्दी से जल्दी शेष और जो अपेक्षित नलकूप जल्दी बना देंगे ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

मान्यवर, जैसा कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि इसमें सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है और जितनी ही जल्दी वह कार्य पूरा हो जायेगा, निश्चित रूप से जिन पर्वतीय क्षेत्रों में, खासकर अल्मोड़ा, पौड़ी-गढ़वाल और टेहरी, इन 3 जिलों में पानी की बहुत परेशानी है, उस पर विचार जल्दी से जल्दी किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह मंडारी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोटद्वार भावर में किसी व्यक्तिगत संस्था ने नलकूप वहां पर खोला है जिससे जल निगम पानी खरीदता है। जब वहां पर प्रयोगात्मक रूप से परीक्षण हो चुका है और नलकूप फलीभूत हो गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि वहां के पानी के संकट को दूर करने के लिये वहां पर तुरन्त नलकूप खुदवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि सर्वेक्षण चल रहा है। जितनी ही जल्दी वह पूरा हो जायगा उस पर विचार कर लिया जायेगा।

स्वरूप केमिकल्स प्रा0 लि0, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

*8--श्री रामरती विन्द (अनुपस्थित)--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि स्वरूप केमिकल प्रा0 लि0, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ में बनने वाली रासायनिक वस्तुओं की विषाक्त हवा से उस क्षेत्र के हजारों परिवार के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कारखाने के मालिक द्वारा इस कारखाने को चिनहट में शिफ्ट किए जाने के वर्ष 1986-87 में किये गये वायदे को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*9--श्री राजकिशोर सिंह--

[दिनांक 29 जून, 1990 को अता0 प्र0 सं0 98 द्वारा उत्तरित]

नगर पालिका (नवाबगंज), बाराबंकी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के भविष्य निधि एवं पेंशन अंशदान को यथासमय न जमा किया जाना

*10--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका (नवाबगंज), बाराबंकी द्वारा अपने कर्मचारियों के खातों में भविष्य निधि तथा पेंशन अंशदान का पैसा कितने माह से जमा नहीं किया गया है ? क्या विलम्ब के कारण कर्मचारियों को होने वाले ब्याज के नुकसान की पूर्ति नगरपालिका करेगी ? क्या नगरपालिका द्वारा भविष्य में उक्त मदों में पैसा जमा करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

नगरपालिका नवाबगंज, बाराबंकी द्वारा अपने कर्मचारियों का 53 माह का भविष्य निधि तथा 48 माह का पेंशन अंशदान नहीं जमा किया गया है।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि नगरपालिका, नवाबगंज, बाराबंकी द्वारा अपने कर्मचारियों का 53 माह का भविष्य निधि तथा 48 माह का पेंशन अंशदान नहीं जमा किया गया है। साथ ही उन्होंने इन मदों में पैसा जमा करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में कहा है कि जी हां। मैं जानना चाहता हूं कि यह भविष्य निधि और पेंशन का पैसा कर्मचारियों का कब तक जमा कर दिया जायेगा और क्या मंत्री जी इस अनियमितता के लिये सम्बन्धित लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, कर्मचारियों की पेंशन और भविष्य निधि का पैसा समय पर जमा हो, बात सुनिश्चित होनी चाहिए लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितने भी स्थानीय निकाय हैं उनको सब्सिडी दी जाती है, 25 प्रतिशत महापालिका को, 30 प्रतिशत नगर पालिका और 35 प्रतिशत नोटीफाइड एरिया को। हम कोशिश करते हैं कि जो कर्मचारियों का पैसा जमा होता है, वेतन के समय जो काटा जाता है वह तुरन्त उनके खाते में जमा हो इसी संदर्भ में मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हमने अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है और साथ ही यह व्यवस्था की है जो सब्सिडी उनको दी जाय उससे वह पैसा काटकर दिया जाय।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह---

मान्यवर, मैं एक निश्चित जानकारी देना चाहता हूं कि नगरपालिका द्वारा धन अनावश्यक रूप से खर्च किया गया है और इसी कारण उसके द्वारा भविष्य निधि और पेंशन का यह पैसा जमा नहीं किया गया है। क्या माननीय मंत्री जी इस सारे प्रकरण की जांच करायेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय---

मान्यवर, माननीय सदस्य कोई शिकायत करेंगे तो उसकी जांच करा ली जायेगी। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारियों की भांति बरेली नगरपालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की मांग

*11--डा0 दिनेश जौहरी---

क्या सरकार को जानकारी है कि नगर महापालिका में 3 वर्ष से अधिक से काम कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश इस वर्ष से सरकार ने दिये हैं ? यदि हाँ, तो लखनऊ व वाराणसी नगरमहापालिकाओं की भाँति बरेली में भी अभी तक उन्हें स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार बरेली नगरपालिका में भी 3 वर्ष से अधिक से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

समस्त नगर महापालिकाओं में कार्यरत ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जिन्होंने अनवरत 3 वर्ष हर वर्ष में 240 दिन कार्य कर लिया है को नियमित किये जाने हेतु अस्थायी पदों के सृजन का मामला शासन के विचाराधीन है। अब तक केवल नगर महापालिका, लखनऊ में अस्थायी पदों का सृजन किया गया है।

डा० दिनेश जौहरी--

गत 3 वर्षों में जितने अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी करने के विषय में सरकार ने फैसला ले लिया है लेकिन केवल लखनऊ के कर्मचारियों को स्थायी किया गया है बाकी बरेली, आगरा आदि नगर महापालिकाओं के कर्मचारियों को छोड़ दिया गया है। मैं स्पष्ट जानना चाहूंगा कि कब तक एक, दो, तीन माह में बरेली तथा दूसरे नगर महापालिकाओं के कर्मचारियों को जो अस्थायी हैं, स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, इसके पूर्व इसी से सम्बन्धित प्रश्न आदरणीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी का था उसमें काफी चर्चा हो चुकी है उस संदर्भ में भी जानना चाहा था कि क्या एक महीने में कर देंगे तो हमने कहा था कि यह मामला चूंकि काफी बड़ा है प्रयास करने पर भी एक महीने में सम्भव नहीं है तो उसी स्थिति को दोहराते हुये कहना चाहता हूं कि अतिशीघ्र करा दिया जायेगा।

श्री बाल चन्द्र मिश्रा--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लखनऊ में ही नगर पालिका और विकास प्राधिकरण के 156 कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया बाकी को कर दिया गया है और उनके लिये भी 28 फरवरी, 1990 में शासकीय पत्र आया है कि उन कर्मचारियों को स्थायी कर देंगे तो यह कब तक कर देंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, जैसा आपने बताया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का मामला संदर्भित है। तो विकास प्राधिकरण में किसी का नियमित नहीं किया गया है केवल नगर महापालिका के सम्बन्ध में यह किया गया है।

श्री रविकान्त गर्ग--

नगरपालिका और नगर महापालिका के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के आर्थिक संकट को देखते हुये उनको स्थायी करने का जो निर्णय लिया गया है तो क्या मथुरा नगरपालिका के दैनिक भोगी कर्मचारियों को भी नियमित करने की कार्यवाही करेंगे।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, जो समझौता हुआ था वह समझौता केवल महापालिकाओं के लिये नहीं हुआ बल्कि सम्पूर्ण स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये हुआ था इसलिये सारा प्रकरण विचाराधीन है।

(प्रश्न संख्या 13 पुकारने पर)

श्री बालचन्द्र मिश्रा--

मान्यवर, एक प्रश्न और करना है जितने भी कर्मचारी 3 वर्ष से लगातार काम कर रहे हैं उनको नियमित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष--

इस पर काफी प्रश्न हो गये हैं। मैं आगे बढ़ गया हूं।

*12—श्री बदन सिंह—

[6ठे शुक्रवार के लिये स्थगित]

नगरपालिका, हरदोई के अध्यक्ष के विरुद्ध लगाये गये गबन के आरोप की जांच

*13—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 18 जनवरी, 1990 को प्रश्नकर्ता का नगरपालिका, हरदोई के अध्यक्ष के विरुद्ध लाखों रुपये के गबन की शिकायत सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुआ है ? क्या यह सत्य है कि उस पर मुख्य मंत्री द्वारा यह आदेश दिये गये हैं कि पन्द्रह दिन के अन्दर जांच रिपोर्ट दी जाये परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

जी हां । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जांच 15 दिन के अन्दर सम्पन्न कराने के आदेश दिये थे ।

विलम्ब के लिये छानबीन कराई जा रही है ।

प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र भत्ता के समान रेल हेड से ऊंचाई एवं दूरी के आधार पर भत्ता दिये जाने की जानकारी

*14—श्रीमती सरस्वती तिवारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत सभी कर्मचारियों को समान दर से पर्वतीय क्षेत्र भत्ता प्रदान किया जा रहा है ? क्या सरकार रेल हेड से ऊचाई की ओर आनुपातिक ढंग से पर्वतीय क्षेत्र भत्ता देने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी नहीं ।

पर्वतीय क्षेत्र के तीन सीमान्त जनपदों यथा चमोली, उत्तरकासी और पिथौरागढ़ में कार्यरत समस्त पूर्णकालिक राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को सीमान्त विशेष भत्ता तथा सीमान्त पांच जनपदों यथा अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में कार्यरत समस्त पूर्णकालिक राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को पर्वतीय विकास भत्ता दिया जा रहा है ।

2—रेल हेड से दूरी एवं ऊंचाई के आधार पर विभिन्न दरों से सीमान्त विशेष भत्ता एवं पर्वतीय विकास भत्ता दिये जाने का मामला विचाराधीन है ।

(मंत्री जी द्वारा लिखित उत्तर पढ़ने के बाद)

तो जैसा बताया जो 5 जिले हैं उनमें पर्वतीय भत्ता देने की बात शासन के विचाराधीन है ।

श्रीमती सरस्वती तिवारी—

जैसा माननीय पर्वतीय विकास मंत्री जी ने बताया कि 3 जिलों को दे रहे हैं और 5 जिलों को देने जा रहे हैं तो हमारे यहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी विषम है एक छोर, रेल हेड से कम ऊंचाई पर होता है और दूसरी छोर काफी दूर और ऊंचाई पर होता है और जितना दूर होता है उतनी ऊंचाई ज्यादा होता है, तो कोई अधिकारी वहां जाते नहीं हैं, इसलिये मेरा प्रश्न था कि रेल हेड से ऊंचाई की ओर आनुपातिक ढंग से पर्वतीय क्षेत्र भत्ता क्या सरकार देगी, उत्तर दिया है विचाराधीन है। यह तो कई वर्षों से सुन रही हूं लेकिन कब तक इस पर विचार कर लेंगे ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

मान्यवर, कब तक इस पर निर्णय लिया जायेगा, तो बहुत जल्दी ही निर्णय लेने सरकार जा रही है और बहुत जल्दी ही इसमें विचार हो जायेगा।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय भत्ता दिया जाता है उसी प्रकार से आप यहां पर्वतीय भत्ता पर्वतीय क्षेत्र में देने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

मान्यवर, इस बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, इसलिये जानकारी करके ही बता पाऊंगा।

जल संस्थान, बेसिक शिक्षा एवं विकास प्राधिकरण को प्रदेश के नगर महापालिकाओं में विलय का प्रस्ताव

*15—श्री अमर नाथ यादव—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान, बेसिक शिक्षा एवं विकास प्राधिकरण को प्रदेश की महापालिकाओं में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मात्र जल संस्थान को महापालिका में मिलाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री अमर नाथ यादव—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो जल संस्थान को महापालिका में मिलाने का प्रकरण विचाराधीन है उस पर कब तक निर्णय हो जायेगा ? दूसरा प्रश्न बेसिक शिक्षा एवं विकास प्राधिकरण को क्यों सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, मैंने कहा है कि जल संस्थान को मिलाने का प्रश्न विचाराधीन है, कब तक किया जायेगा तो यह नहीं कहा जा सकता है।

दूसरे प्रश्न में मैं बताना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा को कुछ कारणों से ही महापालिकाओं से अलग किया गया। कब तक मिलायेंगे, यह कहना तो सम्भव नहीं है।

श्री हरद्वार दुबे, एडवोकेट--

मान्यवर, बेसिक शिक्षा दो भागों में बंट चुकी है ग्रामीण और शहरी। शहर की बेसिक शिक्षा में जो व्यवस्था डाली गयी है वह तहस-नहस हो गयी है, विद्यालय नहीं चलते हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि नगर महापालिका की शिक्षा व्यवस्था जो है उसके लिये क्या अलग अधिकारी नियुक्त करके संचालित करेंगे या नहीं ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

माननीय सदस्य का यह कहना कि गांवों में बेसिक शिक्षा और नगरों में जो व्यवस्था है, यह दो तरह की है। मैं बताना चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा परिषद् गांवों में और नगरों में व्यवस्था करती है। यह कहना कि शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, यह प्रश्न तो हो सकता है लेकिन जब बेसिक शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो सम्पूर्ण में परिवर्तन करने की बात होगी, केवल नगर महापालिका में परिवर्तन करने की अलग से बात नहीं की जा सकती है।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि बेसिक शिक्षा को नगर महापालिकाओं से कतिपय कारणों से अलग कर दिया गया, तो क्या वह बतायेंगे कि वह कारण क्या था और उन कारणों को दूर करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार और इस सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं और नहीं तो उसे अमल में न लाए जाने के पीछे क्या कारण था ? इसे स्पष्ट करें ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, मूलतः यह प्रश्न शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, लेकिन चूंकि मैं भी उस विभाग से सम्बन्धित हूं, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। बेसिक शिक्षा को डिस्ट्रिक बोर्ड (जिला परिषद्) के माध्यम से इसकी व्यवस्था की जाती थी और उस समय यह कहा जाता था कि जिला परिषद् से जो उसकी व्यवस्था की जा रही है, उसका राजनीतिकरण हो गया है, ठीक से पढ़ाई का काम नहीं होता है और शिक्षा नहीं दी जाती है। अतः उस समय इसके एकीकरण के लिए हमने बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की थी और अब वह अपने उद्देश्यों में कहां तक सफल हुई है, यह तो मैं नहीं जानता, किन्तु मैं इतना जानता हूं कि उद्देश्य में पूरी सफलता नहीं मिली है। परन्तु बेसिक शिक्षा परिषद् के दोष देख कर पुनः इसे नगर महापालिका में कर दें, उससे इसमें हमें सुधार की आशा नहीं दिखाई देती है।

(इस समय 12 बजकर 15 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उनकी प्रौढ़ शिक्षा में बड़ी रुचि है तो क्या वह इस कार्यक्रम को नगर क्षेत्रों में भी लागू करेंगे ?

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं बुलाया गया)।

जनपद ललितपुर के प्रत्येक ग्राम सभा का पेयजल संकट दूर करने का प्रस्ताव

*16--श्री देवेन्द्र कुमार सिंह (अनुपस्थित)--

क्या नगर विकास मंत्री जनपद ललितपुर के प्रत्येक गांव सभा की पेयजल समस्या सुलझाने हेतु प्रत्येक ग्राम में ट्यूबवेल स्थापित कराकर पानी की टंकी बनाकर, नल योजना द्वारा पेयजल देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं । सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण यह सम्भव नहीं है ।

वर्ष 1990-91 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के मात्राकरण प्रतिशत

*17—श्री गजराज सिंह (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में मात्राकरण का प्रतिशत कुल राज्य परिव्यय की तुलना में वर्ष 1989-90 की अपेक्षा 14.6 प्रतिशत के स्थान पर 9.7 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि प्रधान मंत्री जी के निर्देशानुसार 21 प्रतिशत मात्राकरण प्रदेश की अनुसूचित जातियों के लिए अपेक्षित था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

विभिन्न विकास विभागों द्वारा वर्ष 1990-91 हेतु प्रस्तावित परिव्यय के आधार पर अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ राज्य के कुल आयोजनागत परिव्यय के अपेक्षा 9.7 प्रतिशत का मात्राकरण प्रस्तावित किया गया था, जिसे अभी अन्तिम नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में सचिव स्तर पर बैठक कर मात्राकरण बढ़ाने हेतु कार्यवाही की जा रही है । मात्राकरण का अन्तिम निर्धारण माह जुलाई, 1990 तक हो जायेगा ।

प्रदेश के मात्राकरण को 21 प्रतिशत किये जाने में मुख्य कठिनाई यह है कि प्रदेश के कुल राज्य आयोजनागत परिव्यय का 50 प्रतिशत भाग बृहद योजनाओं जैसे सड़क, सिंचाई, विद्युत, भारी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग तथा सूचना आदि विभागों को आवंटित किया जाता है जो मुख्यतः अविभाज्य है तथा उससे समाज के सभी वर्ग लाभ प्राप्त करते हैं। फिर भी अवशेष परिव्यय में से अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ अधिकाधिक धनराशि मात्राकृत किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

*18—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[दिनांक 22 जून, 1990 को ता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में 'हरिजन' शब्द के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

*19—श्री फौजदारा, श्री शिव राम सिंह कुशवाहा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की करेंगे कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 22/8/1982-कार्मिक-2, दिनांक 12 मई, 1982 के द्वारा "हरिजन" शब्द के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ? यदि हां, तो शासन के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में उक्त शब्द "हरिजन" के प्रयोग का क्या औचित्य है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां । जाति प्रमाण-पत्र जारी करने पर उक्त प्रतिबन्ध लगाया गया है । प्रकरण विचाराधीन है ।

श्री फौजदार—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो "हरिजन" शब्द का हर जगह बहिष्कार कर दिया गया है, तो आपके विभाग का नाम जो हरिजन कल्याण विभाग है, उसमें से "हरिजन" शब्द कब तक हटाया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र धानापुर में गंगा के कतिपय तटवर्ती ग्रामों में पेयजल समस्या का निराकरण

*20--श्री दयाशंकर--

क्या सरकार को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र धानापुर, जनपद वाराणसी में गंगा के तटवर्ती गांवों में पीने के पानी की समस्या है और कुएं सूख गये हैं ? यदि हां, तो सरकार पीने के पानी को उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी हां ।

कुएं सूखने की जानकारी अभी नहीं है किन्तु पिछले वर्ष की तुलना में जल स्तर में अधिक गिरावट आई है ।

इंगित क्षेत्र में गंगा के तटवर्ती 60 ग्राम हैं, जिसमें से 13 गैर आबाद हैं शेष 47 की स्थिति निम्नानुसार है :--

पाइप पेयजल योजना से लाभान्वित	8 ग्राम
हैण्ड पम्प से सेचुरेटड	16 ग्राम
हैण्ड पम्प से आंशिक सेचुरेटेड	20 ग्राम

अवशेष 3 ग्रामों को वर्ष 1990-91 में लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है तथा वर्ष 1990-91 में 5 ग्रामों को सेचुरेट भी किया जायेगा ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद देवरिया में जल निगम प्रकल्प शाखा के कार्यों की सतर्कता विभाग द्वारा जांच

1--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम, देवरिया की प्रकल्प शाखा के कार्यों की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा ऐसी कोई जांच की जा रही है, जिसके कारण उक्त शाखा के लगभग 20 सहायक/अवर अभियन्ताओं एवं राज्य कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी लाभ विगत लगभग 5 वर्ष से रुके हुए हैं। यदि हां, तो उक्त जांच के पूर्ण होने तक क्या उक्त कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी लाभों को यथावत् रोका जायेगा ? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 15/85/1983, कार्मिक-2, दिनांक 30 नवम्बर, 1983 के अनुसार उक्त जांच कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

नोट--नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या 19 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी हां। सतर्कता जांच वर्ष 1986 से चल रही है जिसमें 14 सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता अन्तर्ग्रस्त हैं।

जी नहीं।

सतर्कता जांच पूर्ण होने के सम्बन्ध में पहले से कोई निश्चित सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

2--श्री सत्य प्रकाश विकल--

[6वें मंगल में अता० प्र० सं० 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ शहर के वाटर वर्क्स रोड स्थित आई० टी० कालोनी में पार्क के सुधार व नामकरण की मांग

3--श्री मूलचन्द्र--

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ वाटर वर्क्स रोड पर स्थित आई० टी० कालोनी में पार्क के सुधार व नामकरण करने के बारे में तत्कालीन सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल बदूद खां का पत्र सं० 10061/89, नगर विकास राज्य मंत्री जी को 17 जुलाई, 1989 को प्राप्त हुआ था जिसको राज्य मंत्री जी ने ता० 21 जुलाई, 1989 को प्रशासक नगर महापलिका को भेज दिया था ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या पार्क का सुधार व नामकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी हां।

पार्क के सुधार के लिये कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। नामकरण का प्रकरण विचाराधीन है।

शहर लखनऊ में ऐशबाग वाटर वर्क्स रोड पर स्थित कोलघर को हटाने पर विचार

4--श्री मूलचन्द्र--

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में ऐशबाग वाटर वर्क्स रोड पर स्थित कोलघर को हटाने के बारे में तत्कालीन सदस्य विधान परिषद् माननीय खान अब्दुल बदूद खां का पत्र सं० 9043/89, नगर विकास मंत्री को ता० 11 मई, 1989 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त कोलघर को हटा दिया गया ? यदि नहीं, तो उसे कब तक हटाया जायेगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी हां।

जी नहीं, कोल घर नहीं हटाया गया अभी इसे हटाने की कोई योजना नहीं है, परन्तु इस परशासन द्वारा विचार किया जायेगा।

जनपद एटा के जलेसर नगर पालिका द्वारा दो स्व0 वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित करने हेतु उनके तैलचित्र तथा मार्गों का नामकरण किया जाना

5—श्री मूलचन्द्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के चौथे सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 141 के उत्तर के सन्दर्भ में नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मार्गों का नामकरण स्व0 सदस्यों के नाम से हो गया है और टाउन हाल में उनके चित्र लगा दिए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

इस सम्बन्ध में स्वीकृति हेतु विहित प्राधिकारी (आयुक्त, आगरा मण्डल) को लिखा गया है । आयुक्त का अनुमोदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

आगरा स्थित सीवेज पम्पिंग स्टेशन से सिंचाई के लिए आपूर्ति किये जाने वाले गन्दे जल को बन्द न करने की मांग

6—श्री बदन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान समय में आगरा स्थित समस्त सीवर लाइनों की सफाई न कर नालों में उनका गन्दा पानी डाल दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि आगरा सीवेज पम्पिंग स्टेशन से खेतों के उपलब्ध होने वाला गन्दा पानी न मिलने से खेती पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है और सिंचाई से होने वाली जल संस्थान की आय बन्द हो गयी है ? यदि हां, तो क्या गन्दे नालों का पानी टैपकर सीवेज पम्पिंग स्टेशन पुनः चालू किया जायेगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

आगरा शहर में अधिकतर सीवर नालों से जोड़े गये हैं ।

समस्त सीवर ट्रंक मेन्स पोक होने के कारण आगरा सीवेज पम्पिंग स्टेशन से लगातार गन्दा पानी सिंचाई के लिए दिया जा रहा है । सीवेज पम्पिंग स्टेशन से होने वाली जल संस्थान की आय बन्द नहीं हुई है ।

चूंकि सीवेज पम्पिंग स्टेशन बन्द नहीं है अतः पुनः चालू किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

शहर लखनऊ के ऐशबाग स्थित मूक-बधिर विद्यालय में प्रवेश हेतु लिए जाने वाले डोनेशन के विरुद्ध शिकायत

7—श्री मूल चन्द्र—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ के ऐशबाग में स्थित गूंगे बहरों के स्कूल में प्रवेश में अभिभावकों से हजारों रुपया का डोनेशन जबरन वसूल करने के बारे में तत्कालीन सदस्य विधान परिषद्, खान अब्दुल वदूद खान का पत्र सं0 143/89 उनके कार्यालय में ता0 6 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस मामले की कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ है और पूरे प्रकरण की निदेशालय स्तर से जांच करायी जा रही है ।

शहर लखनऊ के महानगर में एक ट्यूबवेल लगाये जाने का प्रस्ताव

8—श्री राम कुमार शुक्ला—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगर, लखनऊ में जल आपूर्ति हेतु क्या कोई नया नलकूप बनाया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो वह नलकूप कहां लगाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

महानगर, लखनऊ में जल आपूर्ति हेतु पुराने एवं खराब नलकूपों के स्थान पर महानगर के सुभाष पार्क में एक नलकूप प्रस्तावित है । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अब तक निर्माण कार्य नहीं प्रारम्भ किया गया ।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण पर पर्वतीय विकास मंत्रालय/मंत्री की सहमति

9—श्री महेन्द्र सिंह, श्री भारत सिंह रावत, श्री बलवीर सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी स्थानान्तरण होते हैं, उन पर पर्वतीय विकास मंत्रालय एवं पर्वतीय विकास मंत्री की सहमति होनी आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पूर्व शासनादेश जारी हुए हैं ? क्या इस वर्ष होने वाले स्थानान्तरणों में उन पर पर्वतीय विकास मंत्री एवं पर्वतीय विकास विभाग से सहमति ली गयी है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी नहीं, । केवल विकास कार्यों से सम्बन्धित 28 विभागों (सूची संलग्न है) के कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण के पूर्व पर्वतीय विकास विभाग की सहमति लेना आवश्यक है ।

जी हां । आदेश दिनांक 3 अप्रैल, 1981 को जारी किये गये हैं ।

सभी सम्बन्धित विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

(देखिये नस्थी 'ग' आगे पृष्ठ....पर)

जनपद देवरिया के रुद्रपुर में आई0 टी0 आई0 खोले जाने के प्रस्ताव की जानकारी

10—श्री मुक्तिनाथ—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की नीति के अनुरूप रुद्रपुर जिला देवरिया में आई0 टी0 आई0 खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक खोल दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा के भतरौज खान में आई0 टी0 आई0 खोले जाने के प्रस्ताव की जानकारी

11–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट––

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान भतरौज खान जनपद अल्मोड़ा में आई0 टी0 आई0 स्वीकृति की गई है ? यदि हां, तो कब तक आई0 टी0 आई0 में प्रशिक्षण प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा––

जी नहीं ।

समुचित परीक्षणोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सम्प्रति बित्तीय संसाधनों के अभाव में किसी नए संस्थान की स्थापना करना संभव नहीं है । वर्तमान में केवल पूर्व में स्वीकृत संस्थानों के लिए स्टाफ तथा साज–सज्जा एवं भवन उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ।

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ टाउन एरिया को नगर पालिका बनाये जाने का प्रस्ताव

12–श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)––

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील के अन्तर्गत टाउन एरिया हैदरगढ़ को नगर पालिका बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय––

टाउन एरिया हैदरगढ़ को नगर पालिका बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर अन्तर्गत ग्रामसभा अमृतपुर में ठेकेदार द्वारा नियमों के विपरीत एवं गलत स्थानों पर हैण्ड पम्प जाने की शिकायत

13–श्री विमल प्रसाद तिवारी––

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अमृतपुर विकास खण्ड राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद में इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प नियमों के विपरीत ठेकेदार द्वारा अपनी स्वेच्छा के स्थानों पर लगाये जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी फर्रुखाबाद ने अपने पत्र संख्या 3171/आ0 ले0–जि0 अ0–90 दिनांक 11/15–1–90 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम फर्रुखाबाद से इस प्रकरण में पन्द्रह दिन में जांच कर आख्या मांगी थी ? यदि हां, तो जांच आख्या के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो अधिशासी अभियन्ता जल निगम फर्रुखाबाद द्वारा जांच में बिलम्ब का क्या कारण है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय––

जी हां ।

जांच के अनुसार ठेकेदार द्वारा अपनी स्वच्छा से कोई भी हैण्डपम्प अधस्ठापित नहीं किया गया तथा सभी हैण्ड पम्प तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित स्थलों पर ही लगाये गए हैं । अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद गाजीपुर में वर्ष 1989–90 में अनुश्रवण समिति द्वारा पानी की टंकियों का पुनर्निर्माण किए जाने एवं उन पर जेन–रेटरों की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव

14–श्री अफजाल अंसारी तथा श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर अनुश्रवण समिति की 1989–90 की बैठकों में किन–किन पानी की टंकियों का पुनः निर्माण किए जाने एवं जनरेटर की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव किया गया है ? उक्त कार्य करवा दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

बीस सूत्रीय कार्यक्रम की वर्ष 1989–90 में हुई बैठक में बहरियाबाद पेयजल योजना की टंकी की मरम्मत तथा सभी ग्रामीण योजनाओं पर जनरेटर की व्यवस्था का अनुरोध किया गया ।

टंकी की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है । जहां तक जनरेटरों की व्यवस्था का सम्बन्ध है सीमित वित्तीय संशोधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रदेश के कतिपय नगर पालिकाओं में रिक्त अध्यक्ष पदों पर चुनाव न कराने के कारण

15—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी नगरपालिकायें ऐसी हैं जहां अध्यक्ष का स्थान रिक्त है ? रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु चुनाव कब तक कराये जावेंगे ? शाहजहांपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद रिक्त हुए कई माह बीतने के बाद अब तक दुबारा चुनाव न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के पढ़े लिखे विकलांगों को योग्यतानुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाना

16—श्री ऊदल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो पढ़े लिखे बी0 एड0, बी0 टी0 सी0 वर्क की ट्रेनिंग किये हुए विकलांग हैं उनके लिए कोई योजना सरकार के समक्ष नौकरी देने की है ? यदि हां, तो क्या है ? क्या यह भी सही है कि ऐसे विकलांग समाज कल्याण विभाग में भी प्रार्थना–पत्र दिये हैं ? क्या सरकार सभी सरकारी विभागों को आदेश देगी कि विकलांगों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाय ?

श्री अवधेश प्रसाद—

सभी प्रकार सरकारी सेवाओं में विकलांगों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है ।

जी हां ।

सभी सरकारी विभागों को विकलांगों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं ।

17—श्री ऊदल—

[4थे मंगल में अता० प्र० सं० 173 के अन्तगत स्थानान्तरित]

नगरपालिका फतेहपुर सीकरी में वर्ष 1989–90 में सुलभ शौचालयों के निर्माण हेतु दिया गया अनुदान

18—श्री किशन गोपाल—

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि वित्तीय वर्ष 1989–90 में शासन द्वारा नगरपालिका, फतेहपुर सीकरी को सुलभ शौचालय निर्माण हेतु 1,25,000 रु० अनुदान दिया गया था जिसमें से एक लाख रु० माह अक्टूबर, 1989 में पालिकाध्यक्ष द्वारा ठेकेदार को दिया गया ? क्या शौचालय का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है? यदि हां, तो कहा–कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

जी हां ।

नगरपालिका, फतेहपुर सीकरी में केवल एक सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु धन अवमुक्त किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश के उप मुख्य परिवेक्षा अधिकारियों के लिए क्रय किये गये वाहनों में अनियमितता की शिकायत

19—श्री खुर्शीद—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1987–88 में प्रदेश के उप परिवेक्षा अधिकारियों के प्रयोग के लिए कुछ वाहन क्रय करने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो उसमें किन–किन फर्मों से निविदायें आमंत्रित की गई ? मारूति उद्योग लिमिटेड, हरियाणा से 12 जिप्सी क्रय करने का क्या औचित्य है ? क्या बिना जिप्सी प्राप्त किये ही उक्त फर्म को अग्रिम के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि दी गयी थी ? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ? उसमें कौन–कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां ।

डी0 जी0 एस0 ऐण्ड डी0 रेट्स के अन्तर्गत मारुति उद्योग को वाहनें आती हैं अतः निविदायें आमंत्रित नहीं की गयीं । 12 जिप्सी वाहनों का क्रय डी0 जी0 एस0 ऐण्ड डी0 रेट्स के अनुसार क्रय का औचित्य पाया गया ।

जी हां । परिवहन अनुभाग 4 के शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 1986 के अनुरूप प्रोफार्मा बिल का आहरण बिना वाहन की डिलेवरी प्राप्त किया गया तथा मारुति उद्योग लिमिटेड को उनकी शर्तों के अनुरूप वाहन के मूल्यों का भुगतान अग्रिम रूप में बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया गया । अतः दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

20—श्री हृदय नारायण—

[6वें सोम में अ0 ता0 प्र0 सं0 175 के अन्तर्गत हस्तानान्तरित]

शहर आजमगढ़ के मुहल्ला सर्फुद्दीनपुर में जल निगम द्वारा बिछाये गये पाइपों के कारण बाधित पेय जल सम्पूर्ति

21—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्फुद्दीनपुर मुहल्ला शहर-आजमगढ़ में जल निगम की रद्दी फटी हुई पाइप बिछाई गई है जिससे उक्त मुहल्ले के नागरिकों को पानी नहीं मिल पाता है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर अच्छी पाइप लगवाकर पानी की सप्लाई करायेगी ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं ।

आजमगढ़ शहर में पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य 1988 में आरम्भ हुआ और मार्च, 1989 तक पूरा हो गया था । माह अप्रैल से जुलाई, 1989 के बीच भारतीय दूर संचार विभाग द्वारा शहर में भूमित टेलीफोन लाइनों के डालने का कार्य किया गया जिसके दौरान बगल में पड़े पाइप लाइनों को कुछ क्षति पहुंची । उक्त क्षति तथा अन्य कमियों को दिनांक 6 मार्च, 1990 को पूर्ण कर दिया गया है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक अजमतगढ़ एवं हरैया में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वालों की संख्या

22—श्री पंचानन राय—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने यह जानकारी प्राप्त कर ली है कि आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ तथा हरैया ब्लाक में कितने व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं ? इनमें से कितने व्यक्तियों को 1 मई, 1990 को पेंशन स्वीकृत कर दी गई है ? यदि यह जानकारी प्राप्त नहीं की गई तो सरकार की पेंशन देने की नीति के क्रियान्वयन का आधार क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जनपद आजमगढ़ के अजमतगढ़ ब्लाक में 441 व्यक्ति तथा हरैया ब्लाक में 236 व्यक्तियों को दिनांक 9 जून, 1990 तक वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत हो चुकी है । पात्र व्यक्तियों के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है ।

दिनांक 1 मई, 1990 विशेष को किसी को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

23--डा0 दिनेश जौहरी--

[4थे मंगल में अता0 प्र0 सं0 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद बांदा स्थित कालिंजर किले पर पानी की टंकी बनाकर पार्श्ववर्ती ग्रामों को जलापूर्ति की योजना

24--डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ऐतिहासिक किले कालिंजर एवं उसके आस-पास गांवों के लिए किले पर पानी टंकी बनवाकर तथा बागै नदी से पानी सप्लाई करके पेयजल योजना का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो इस योजना का कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी हां । प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।

धन उपलब्ध हो जाने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

लखनऊ के ऐशबाग पुरानी कालोनी स्थित क्रियाघर के जीर्णोद्धार की कार्यवाही

25--श्री मूलचन्द्र--

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगर महापालिका के वार्ड 18 में ऐशबाग पुरानी कालोनी में स्थित क्रियाघर में सुधार कराने हेतु तत्कालीन सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या 10040/89, नगर विकास राज्य मंत्री को 7 जुलाई, 1989 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी हां ।

उक्त क्रियाघर की मरम्मत की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

लखनऊ के ऐशबाग स्थित पुरानी श्रमिक बस्ती में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आवंटित भवन खाली कराया जाना

26--श्री मूलचन्द्र--

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ ऐशबाग स्थित पुरानी श्रमिक बस्ती में सेवा निवृत्त कर्मचारियों से आवंटित भवन खाली कराने के बारे में तत्कालीन सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या 10006/89 उनके कार्यालय में 19 जून, 1989 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां । सक्षम अधिकारी को मामले में नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया था ।

प्रदेश के चीनी मिलों के कल्याण अधिकारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण सम्बन्धी शासनादेश

27--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रम विभाग के शासनादेश संख्या 226/36/3-200(16) डब्लू-ओ0-82, लखनऊ 27 फरवरी, 1990 जिसका सम्बन्ध चीनी मिलों के कल्याण अधिकारी के वेतनमान से है, का अनुपालन मिल प्रबन्धकों द्वारा नहीं किया जा रहा है ? क्या माननीय मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त शासनादेश का पालन किन-किन मिल प्रबन्धकों के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है ? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

प्रश्नगत अधिसूचना द्वारा केवल चीनी मिलों के कल्याण अधिकारियों का ही नहीं, अपितु प्रदेश के समस्त कारखानों के कल्याण अधिकारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण किया गया है ।

संलग्न सूची में उल्लिखित 70 चीनी मिल प्रबन्धकों द्वारा उक्त अधिसूचना के अनुसार वेतनमान नहीं दिया जा रहा है जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश के श्रमिक न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों के एवार्डों के विरुद्ध सेवायोजकों द्वारा उच्च न्यायालय में की गयी अपील का विवरण

28--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिये गये प्रदेश में कितने एवार्ड (आदेशों) के विरुद्ध सेवायोजकों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिकायें दायर की गई हैं तथा कितने आदेशों के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किए गए हैं ? क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ में श्रमिकों के विवादों में सेवायोजकों द्वारा दायर की गई याचिकाओं तथा प्राप्त किये गये स्थगन आदेश में श्रमिकों को न्याय दिलाने हेतु शासन द्वारा पैरवी किये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो शासन में अब तक कितने स्थगन आदेशों के निरस्त कराने हेतु कार्यवाही की है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद नैनीताल के नगर पालिका सितारगंज की सीमान्तर्गत आने वाली भूमि को स्थानान्तरित किया जाना

29--डा0 दिनेश जोहरी--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सितारगंज, जनपद नैनीताल की नगरपालिका के अन्तर्गत आने वाली भूमि चाम से महापालिका को स्थानान्तरित किये जाने के विषय में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 9 मार्च, 1990 उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 601 पर ।)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी नहीं ।

प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 9 मार्च, 1990 शासन में प्राप्त नहीं हुआ है । परन्तु इसके पूर्व का पत्र दिनांक 24 फरवरी, 1990 प्राप्त हुआ था जिसके सम्बन्ध में उन्हें दिनांक 29 मार्च, 1990 को यह सूचित कर दिया गया था कि नगर विकास विभाग के स्तर से प्रश्नगत मामले में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

प्रदेश के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में अधिकारियों के पदों पर लिपिकों की पदोन्नति का प्रतिशत

30--श्री दौलत राम--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987 में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के 15 प्रतिशत पदों पर लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नति की व्यवस्था शासन द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो कुल कितने लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नति होनी थी और अब तक कितने कर्मचारियों की प्रोन्नति उक्त पद पर की गई हैं ? यदि अपेक्षित संख्या में प्रोन्नति नहीं की गई है तो कब तक हो सकेगी । वर्ष 1987 से अब तक जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र कितने अनुसूचित जाति के लिपिक वर्गीय कर्मचारी उक्त पद पर प्रोन्नत किए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां ।

वर्ष 1987 में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों के कुल 66 पद स्वीकृत थे जिन पर 10 लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नति होनी थी, किन्तु इस संवर्ग के केवल 4 कर्मचारियों की प्रोन्नति की गयी थी । जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों के अब 72 पद स्वीकृत हैं जिन पर निर्धारित 15 प्रतिशत के आरक्षण के अनुसार लिपिक संवर्ग के कुल 11 कर्मचारियों की प्रोन्नति होनी है । इस संवर्ग से वर्ष 1990 में दो और प्रोन्नतियां की गयी हैं । वर्तमान समय में लिपिक संवर्ग के कुल चार कर्मचारी जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर प्रोन्नत प्राप्त कर कार्यरत हैं ।

सुसंगत नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

कोई नहीं ।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी संवर्ग में अनुसूचित जाति का आरक्षण पहले से ही पूरा था । फिर भी भविष्य में नियमावली की अंतिम संरचना के पश्चात् लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नति करते समय इस संवर्ग से भी आरक्षण का ध्यान रखा जायेगा ।

31--श्री रविकान्त गर्ग--

[6वें मंगल में अता० प्र० सं० 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद हरदोई के ब्लाक सुरसा में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के चयन में अनियमितता की शिकायत

32--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के ब्लाक सुरसा में 107 आंगन बाड़ी कार्यकत्रियों का चयन माह जनवरी, 1990 में हुआ ? इस

चयन में हुई अनियमितताओं की शिकायत ने माननीय मंत्री व जिलाधिकारी, हरदोई से की थी, जिस पर परगनाधिकारी, हरदोई ने जांच भी की थी तथा 50 प्रतिशत चयन गलत पाया था ? यदि हां, तो सम्पूर्ण चयन को रद्द न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां ।

जी हां ।

चूंकि 50 प्रतिशत आंगन बाडी कार्यकत्रियों का चयन गलत था और 50 प्रतिशत सही था तो सम्पूर्ण चयन को रद्द किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

धनानन्द राजकीय इन्टर कालिज मसूरी (देहरादून) के भवनों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य पूरा कराने की मांग

33--श्री मंत्री प्रसाद नैथानी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 1438/28-2-7 (4)/85, दिनांक 31 मार्च, 1989 द्वारा धनानन्द राजकीय इन्टर कालेज मंसूरी (देहरादून) के भवनों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु जो रुपया 25,00,000 (पच्चीस लाख रुपया) स्वीकृत किया गया था वह अभी तक शिक्षा निदेशक के पी0 एल0 ए0 में जमा है ? यदि हां, तो अभी तक वह धनराशि मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग गढ़वाल क्षेत्र को हस्तान्तरित क्यों नहीं की गई है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

जी हां ।

इस विद्यालय के भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि को पी0 एल0 ए0 से आहरित कराकर मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0 वि0, गढ़वाल क्षेत्र के अधिकार में रखने की कार्यवाही की जा रही है ।

34--श्री खुर्शीद--

[6वें मंगल में अता0 प्र0 सं0 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अल्मोड़ा के ग्राम उजराड़ में एक अतिरिक्त टैंक एवं स्टैण्ड पोस्ट बनाये जाने की मांग

35--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कचैराला क्षेत्र पेयजल ग्राम समूह उभरा विकास खंड सल्ड तहसील भिक्यासैंड, जनपद अल्मोड़ा के ग्राम उजराड़ की कितनी जनसंख्या है और कितने स्टैण्ड पोस्ट ग्राम में बनाए गए हैं ? क्या रिजर्व वायर (टैंक) जनसंख्या के आधार पर बना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अतिरिक्त (टैंक) व स्टैण्ड पोस्ट बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

ग्राम उजराड़ की वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 526 है ।

छः स्टैण्ड पोस्ट ।

जी हां ।

जी नहीं। अभी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

36--श्री राम कुमार शुक्ल--

[4थे मंगल में अता0 प्र0 सं0 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

37--श्री रविकान्त गर्ग--

[4थे मंगल में अता0 प्र0 सं0 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

38--श्री मोहम्मद रिजवानुलहक--

[4थे मंगल में अता0 प्र0 सं0 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश में जिन नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त किये गये हैं उनके चुनाव शीघ्र कराये जाने की मांग

39--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990 में जिन नगर-पालिकाओं और टाउन एरिया में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास पारित हो गया है ? क्या वहां तीन महीने में चुनाव कराये जायेंगे ? यदि हां, तो क्या सदस्यों और अध्यक्ष के बीच ताल-मेल रखने के लिए बोर्ड भंग करके सदस्यों के भी चुनाव कराये जायेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी हां ।

जी नहीं ।

40--श्री हरद्वार दुबे (एडवोकेट)--

[4थे मंगल में अता0 प्र0 सं0 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के निशातगंज स्थित यू0 आई0 सी0 पेपर मिल के कर्मचारियों को वर्ष 1978 से 1989 तक के न्यूनतम बोनस के भुगतान में गड़बड़ी की शिकायत

41--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 आर0 सी0 पेपर मिल निशातगंज, लखनऊ के सेवायोजकों द्वारा अपने श्रमिकों को वर्ष 1978 से वर्ष 1989 तक किन-किन वर्षों से न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया है ? क्या जिन वर्षों में न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है उसके लिए सेवायोजकों के विरुद्ध श्रम विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के श्रम विभाग के कतिपय समितियों का पुनर्गठन एवं उनमें श्रमिकों की भागीदारी

42--श्री हरिद्वार दुबे (एडवोकेट)--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग में कर्मचारियों को लाभ देने वाली कितनी समितियां वर्तमान समय में कार्यरत हैं तथा ऐसी कितनी समितियां

है जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया है परन्तु उनका पुनर्गठन नहीं हुआ है और ऐसी समितियों का पुनर्गठन न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन समितियों में श्रमिक संघों का प्रतिनिधित्व देने का क्या आधार है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी अन्तर्गत ग्राम शाहपाटन की पेयजल समस्या निराकरण हेतु और हैण्ड पम्प लगाये जाने की मांग

43--डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी ब्लाक के गांव शाहपाटन में पेयजल की गम्भीर समस्या को देखते हुए कितने हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे ? क्या यह सही है कि जो हैण्ड पम्प लगे हैं वह पानी नहीं दे रहे हैं ? यदि नहीं तो क्या प्रश्नकर्ता के साथ अधिशासी अभियन्ता स्तर के किसी अधिकारी को जांच में भेजा जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

इस ग्राम में प्रस्तावित 8 हैण्ड पम्प लगाए जा चुके हैं । आगे अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केवल एक हैण्ड पम्प सूख गया है । शेष चालू हैं व पानी दे रहे हैं ।

आवश्यकता नहीं । फिर भी यदि माननीय सदस्य अधिशासी अभियन्ता के साथ सम्बन्धित गांव का निरीक्षण करना चाहेंगे तो उनको पूर्ण सहयोग दिया जायेगा ।

44--डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा--

[5वें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड चोलापुर के ग्राम रौनाकला व रौनाखुर्द में पेयजल संकट

45--श्री दयाराम भास्कर--

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी अन्तर्गत विकास खण्ड चोलापुर के ग्राम रौनाकला व रौनाखुर्द के रामजी, प्यारे लाल, राम कुमार आदि ने पीने के पानी के लिए कुंआ सूख जाने पर प्रार्थना जिलाधीश व अधिशासी अभियन्ता जल कल विभाग वाराणसी को क्षेत्रीय विधायक श्री राजित यादव व श्री फौजदार प्रसाद, मऊ के संस्तुति के साथ दिनांक 10 फरवरी, 1990 को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी हां, केवल ग्राम रौनाखुर्द के सम्बन्ध में ऐसा प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता जल निगम, वाराणसी के कार्यालय में दिनांक 12 फरवरी, 1990 को प्राप्त हुआ था ।

ग्राम रौनाखुर्द का अधिकांश भाग नाद नदी के उत्तर दिशा में है जो रौनाखुर्द ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना से आच्छादित है ।

ग्राम रौनाकला में कुल प्रस्तावित 6 हैण्ड पम्पों के समक्ष 5 हैण्ड पम्प स्थापित किये जा चुके हैं ।

प्रदेश के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में होने वाले सामूहिक स्थानान्तरण का विकलांगों पर प्रभाव

46--श्री राजकिशोर सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में इस समय सामूहिक स्थानान्तरण हो रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या इसमें महिलाओं, विकलांगों, नेत्रहीनों की सुविधाओं को ध्यान में रखा जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस स्थानान्तरण में लगभग कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां । प्रश्नगत स्थानान्तरण दिनांक 15 जून, 1990 से पहले किये गये हैं ।

जी हां । कार्मिक अनुभाग के शासनादेश 14/1/84-कार्मिक-2, दिनांक 31 मार्च, 1989 के अनुसार महिलाओं, विकलांगों, नेत्रहीनों की सुविधाओं ध्यान रखा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों के स्थानान्तरण में व्यय का विवरण उनके द्वारा ट्रांसफर टी0 ए0 बिल प्रस्तुत किये जाने पर ही ज्ञात हो सकेगा । इस समय टी0 ए0 बिल का आंकलन करना सम्भव नहीं है ।

जनपद गोरखपुर में वक्फ की अचल सम्पत्ति को चोरी छिपे बेचे जाने की शिकायत

47--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे की गोरखपुर जनपद में वक्फ की कितनी अचल सम्पत्ति है क्या कुछ लोगों ने वक्फ की सम्पत्ति को गत 5 वर्षों में बेचा है ? यदि हां, तो इसकी सुरक्षा के लिये विभाग अथवा सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या उक्त सम्पत्ति बेचने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कारवाई कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

शिया एवं सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्डों से प्राप्त सूचना के आधार पर जनपद गोरखपुर में 176 पंजीकृत तथा 1,384 अपंजीकृत वक्फ हैं ।

वक्फ बोर्डों को पिछले 5 वर्षों में वक्फ की कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति द्वारा बेचे जाने की कोई जानकारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

48--श्री विशुन दयाल--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

49--श्री हृदय नारायण--

[4 थे मंगल में अता0 प्र0 सं0 171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद नैनीताल में काशीपुर नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत

श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13 मई, 1990 को नगर पालिका काशीपुर, जिला नैनीताल के सदस्यों ने अध्यक्ष, नगर पालिका, काशीपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के खिलाफ प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हाँ, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार दोषी अध्यक्ष एवं सम्बन्धित अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगर पालिका सीतापुर के सेवानिवृत केन्द्रीकृत सेवा कर्मचारियों के पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान की कार्यवाही

51--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगरपालिका में कार्यरत केन्द्रीकृत सेवा के कर्मचारी जो वर्ष 1984 में रिटायर हुए उन्हे पेंशन तथा ग्रेच्युटी मिलनी प्रारम्भ हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

नगर पालिका, सीतापुर से वर्ष 1984 में सेवा निवृत्त हुये कर्मचारी के अन्तरिम पेंशन तथा अन्तरिम पेंशन तथा अन्तरिम ग्रेच्युटी के स्वीकृति एवं भुगतान के आदेश दिनांक 27 जून, 1990 को जारी कर दिये गये हैं ।

प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाओं के अन्तर्गत तदर्थ रुप से तैनात साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों की भांति तदर्थ रूप से कार्यरत चिकित्साधिकारियों (आयुर्वेद) को भी सेवा व्यवधान समाप्ति का लाभ दिया जाना

52--श्री शिव दर्शन--

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि श्रम विभाग में श्रम अनुभाग के आदेश सं0-3758/36-7-5(290)86, दिनांक 27 मार्च, 1990 के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाओं के अन्तर्गत तदर्थ एवं अस्थायी रूप से नियुक्त 144 साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों को एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के उपरान्त एक दिन का सेवा व्यवधान समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसी प्रकार श्रम विभाग के अन्तर्गत ही श्रमायुक्त संगठन में तदर्थ रूप से कार्यरत चिकित्साधिकारियों (आयुर्वेद) के सम्बन्ध में भी एक दिन के सेवा-व्यवधान समाप्त करने के आदेश करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां । कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाओं के अन्तर्गत तदर्थ रूप से तैनात साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति में 27 मार्च, 1990 के पश्चात् सेवा में पड़ने वाले व्यवधान को समाप्त कर दिया गया है । तदर्थ रूप से कार्यरत चिकित्साधिकारियों (आयुर्वेद) के सम्बन्ध में उक्त प्रकार का आदेश मंत्रि परिषद् के स्तर से निर्णय के पश्चात् ही जारी हो सकेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गोड़ एवं खरवार जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना

53—श्री दयाराम भास्कर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किस मण्डल में गोड़ एवं खरवार जाति अनुसूचित जाति में मानी जाती है ? पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर जनपद—वाराणसी में किन-किन आधारों पर गोड़ एवं खरवार जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं ? ऐसा करने की राजाज्ञा संख्या व दिनांक क्या है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

प्रदेश में गोड़ एवं खरवार जाति अनुसूचित जाति घोषित नहीं है अपितु गोंड़ एवं खरवार जाति पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति घोषित हैं।

प्रश्नगत जनपदों सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में गोंड एवं खरवार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र शासनादेश के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

शासनादेश संख्या 1432/26-3-86-11(वि0 स0)/86, दिनांक 10 जुलाई, 1986 है।

शाहजहांपुर में बाल विकास योजनान्तर्गत वित्तीय अनियमितता के विरुद्ध शिकायत

54—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 25 मई, 1990 को शाहजहांपुर के कांग्रेस सेवा दल के मन्त्री ने शासन को एक प्रार्थना-पत्र बाल विकास योजना में हजारों का गोलमाल होने की जांच हेतु दिया है ? यदि हां, तो उसकी जांच किसने की और उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री अवधेश प्रसाद—

विभाग में ऐसा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल स्थित नैनी लेक में पैडल बोट चलाये जाने पर रोक का मांग

55—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को जानकारी है कि नैनीताल स्थित नैनी लेक में पिछले वर्ष से पैडल बोट नगरपालिका ने चलवाना आरम्भ किया है किन्तु पैडल बोट के साथ लाइफ जैकेट और अन्य जीवन रक्षा उपाय न रहने के कारण प्राण लेवा दुर्घटनायें हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी पैडल बोट का प्रचलन रोकने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

नगरपालिका नैनीताल द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1989 से पैडल बोट चलाये जाने की अनुज्ञा दी गयी है। परन्तु यह सत्य नहीं है कि जीवन रक्षा उपकरण नाव में नहीं है किन्तु यह सत्य है कि विगत वर्ष इस प्रकार की एक दुर्घटना हुयी थी।

चूंकि नाव में जीवन रक्षा उपकरण है, इसलिये पैडल बोट के प्रचलन को रोकना उचित नहीं है।

श्री रामचन्द्र सेवानिवृत्त टिम्बर स्टोर कीपर, राजकीय केन्द्रीय काष्ठकला संस्थान, बरेली के पेंशन आदि के भुगतान की मांग

56—डा0 दिनेश जोहरी—

क्या श्रम मन्त्री को जानकारी है कि श्री रामचन्द्र टिम्बर स्टोर कीपर के पद से वर्ष 1985 में काष्ठ कला केन्द्र बरेली रिटायर हुये थे किन्तु अभी तक उनकी पेंशन एवं अन्य लाभों का भुगतान नहीं हुआ है ? कृपया इनको पेंशन व अन्य लाभों का भुगतान कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुहम्मद आजम खां—

श्री राम चन्द्र टिम्बर स्टोर कीपर, राजकीय केन्द्रीय काष्ठ कला संस्थान, बरेली दिनांक 28 फरवरी, 1985 को सेवानिवृत्त हुये थे। इनके द्वारा स्टोर कीपर का पूर्ण प्रभार न देने तथा पेंशन प्रपत्र पूर्ण प्रस्तुत न करने के कारण ही पेंशन एवं अन्य लाभ अनिस्तारित हैं। इनकी पूर्ति पर ही लम्बित मामले में कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

श्री टी0 एन0 अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता, शोध इकाई उत्तर प्रदेश जल निगम, रुड़की के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत एवं उनके स्थानान्तरण की मांग

57—श्री मुहम्मद रिवानुलहक—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री टी0 एन0 अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता, शोध इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, रुड़की में 9 वर्ष तक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि इनका दो बार स्थानान्तरण हो चुका है ? यदि हां, तो यह कार्यमुक्त क्यों नहीं किये गये ? क्या इनका इस वर्ष स्थानान्तरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन को यह भी जानकारी है कि जल निगम में मास्टर रोल व वर्कचार्ज में नियुक्तियों की रोक होने के बावजूद भी श्री अग्रवाल ने श्री जगदीश चन्द्र जोशी को नियुक्ति 1 अप्रैल, 1985 से कर रखी है ? यदि हां, तो क्या शासन इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां। इनके द्वारा प्रदेश के समस्त नगर एवं ग्रामीण पेय जल क्षेत्रों की वितरण प्रणाली एवं जलाशय की डिजाइन रुड़की यूनिवर्सिटी में उपलब्ध कम्प्यूटर तथा उनके सहयोग से कराये जाते हैं।

जी हां।

श्री टी0 एन0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता एक मात्र ऐसे अभियन्ता हैं जो उपर्युक्त वर्णित कम्प्यूटर डिजाइन में दक्ष हैं। इनके द्वारा रुड़की में रह कर ही सुविधा से कम्प्यूटर द्वारा डिजाइन कार्य का सम्पादन किया जा सकता है।

अभी प्रस्ताव नहीं है।

श्री जगदीश चन्द्र जोशी की जल निगम में कार्य प्रभारित अधिष्ठान में नियुक्ति प्रबन्ध निदेशक, जल निगम के इन आदेशों के परिपेक्ष्य में की गयी जिनके अनुसार कार्य विशेष के निर्माण हेतु ऐसे कर्मचारियों को रखे जाने की अनुमति दी गयी थी।

श्री जयकरन सिंह, नैत्यिक लिपिक, अधीक्षण अभियन्ता, षष्टम मंडल जल निगम को नियम विरुद्ध पदोन्नति दिया जाना

58—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि अधीक्षण अभियन्ता (प्रकल्प), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ने अपने कार्यालय ज्ञाप सं0 312/अ-3—आ0 प्र0-क0 आ0 प्रा0 (मंडल)-शाखा, दिनांक 28 जुलाई, 1985 द्वारा श्री जय करन सिंह जिनकी नियमित नियुक्ति नैत्यक लिपिक के पद पर अधीक्षण अभियन्ता, षष्टम मंडल, लखनऊ के ज्ञाप सं0 1068/एम-2/57, दिनांक 26 जुलाई 1978 द्वारा की गई थी को आ0 प्रा0 के पद पर पदोन्नति करके नवम् प्रकल्प शाखा, लखनऊ में तैनात कर दिया ? यदि हां, तो किस आधार पर जबकि इसी ज्ञाप द्वारा पदोन्नति अन्य लिपिक जो इसके काफी वरिष्ठ थे, को लखनऊ के बाहर पदोन्नतकर तैनात किया गया ? क्या इस मामले की जांच करवाकर उचित आदेश दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

प्रशासनिक आधार पर ।

जांच की आवश्यकता नहीं है । वरिष्ठ कर्मचारी को उसी स्थान पर रखने का कोई नियम नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका उत्तरकाशी के प्रकाश व्यवस्था ठीक रखने हेतु एक विद्युत् लाइनमैन की नियुक्ति

59—श्री ऊदल—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष नगरपालिका उत्तर-काशी श्री कमला राम नौटियाल ने पत्रांक मेमो-पदसृजन/1989-90, दिनांक 3 मार्च, 1990 को एक ज्ञापन पर्वतीय विकास मंत्री को मिल कर दिया है कि नगरपालिका उत्तरकाशी में प्रकाश व्यवस्था की देखरेख हेतु एक विद्युत् लाइनमैन का पद सृजित किये जाने के बारे में है, यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

विद्युत् लाइमैन के सृजन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

नगरपालिका उत्तरकाशी को प्रकाश व्यवस्था ठीक करने हेतु अनुदान की मांग

60—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष नगरपालिका उत्तरकाशी श्री कमला राम नौटियाल ने पत्रांक मेमो-विद्युत् अनु/1989-90, दिनांक 3 मार्च, 1990 के द्वारा एक ज्ञापन विद्युत् व्यवस्था हेतु नगरपालिका सीमा के लिये अनुदान की मांग करते हुए मिल कर उन्हें दिया है ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विद्युत् व्यवस्था करने का कोई फैसला लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

अध्यक्ष, नगरपालिका उत्तरकाशी का पत्र दिनांक 3 मार्च, 1990 विभाग में प्राप्त हुआ था किन्तु उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । अध्यक्ष, नगरपालिका से उक्त पत्र की प्रति उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है ।

नगरपालिका उत्तरकाशी के साधारण सड़कों के लिये अनुदान की स्वीकृति

61—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, नगरपालिका उत्तरकाशी श्री कमला राम नौटियाल ने अपने पत्रांक मेमो 29—सा0 सड़क अनु/1981—90, दिनांक 27 फरवरी, 1990 द्वारा नगरपालिका उत्तरकाशी के लिये साधारण सड़क अनुदान के वितरण के सम्बन्ध में उक्त सड़कों का ज्ञापन नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश को दिया है ? यदि हां, तो उक्त नगरपालिका को साधारण सड़क अनुदान में कितना रुपया शासन ने दिया है ? क्या सरकार इस नगरपालिका को पचास लाख का अनुदान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

नगरपालिका उत्तरकाशी को वर्ष 1989—90 में 2,00,000 रु0 साधारण सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया ।

जी नहीं ।

अभाव के कारण ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है ।

उत्तरकाशी में सुलभ शौचालयों के निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में दिये गये ज्ञापन पर कार्यवाही

62—श्री ऊदल—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, नगरपालिका उत्तरकाशी ने पत्रांक 3128/21—सु0 शौ0/1989—90, दिनांक 26 फरवरी, 1990 द्वारा सार्वजनिक सुलभ शौचालयों के निर्माण हेतु अनुदान के सम्बन्ध में उनसे मिलकर ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितने सुलभ शौचालयों के लिये कितना धन आवंटित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी हां । वित्तीय वर्ष 1989—90 में विलम्ब से प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण विचार नहीं किया जा सका । वर्ष 1990—91 में विचार किया जायगा ।

नगरपालिका उत्तरकाशी के लिए सफाई उपकरण खरीदने हेतु अनुदान की स्वीकृति

63—श्री ऊदल—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष नगरपालिका, उत्तरकाशी ने अपने पत्रांक-मेमो/31—सं0 अनुदान/89—90, दिनांक 27 फरवरी, 1990 के द्वारा एक ज्ञापन पर्वतीय विकास मंत्री को सफाई उपकरणों के लिए अनुदान हेतु दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी हां । वित्तीय वर्ष 1989—90 में सफाई व्यवस्था हेतु दो लाख रु0 की धनराशि नगरपालिका, उत्तरकाशी को स्वीकृत की गई है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड बीरोंखाल की ईड़ा पेयजल योजना का पुनर्गठन

64—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाप्रबन्धक गढ़वाल जल संस्थान देहरादून के पत्रांक 2730/आ0 पो0 पौड़ी, दिनांक 8 सितम्बर, 1987 के द्वारा

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड बीरोंखाल की ईड़ा पेयजल योजना के पुनर्गठन हेतु अधीक्षण अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम पौड़ी को लिखा गया था ? यदि हां, तो इड़ा पेयजल योजना के पुनर्गठन की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बरफिया लाल जुवाठा—

जी हां ।

इस योजना में अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने के लिए स्रोत का अनुसंधान कार्य किया जा रहा है । उचित स्रोत मिलने पर ही आगे कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में जल निगम के रेस्ट हाऊसों एवं स्टाफ क्वार्टरों को निर्माण

65—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के प्रबन्ध निदेशक के पत्रांक 723/पी0-1/निरीक्षण/1, दिनांक 25 जून, 1986 के क्रम में मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम देहरादून के पत्रांक 5561/लेखाभूमि क्रम, दिनांक 18 अक्टूबर, 1986 पर अधीक्षण अभियन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम पौड़ी द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा जनपद-पौड़ी गढ़वाल में कहां-कहां रेस्ट हाउसों के निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है ? क्या यह सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड द्वारीलाल के स्थान किनसूर (पुलनावड़) में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाने के सम्बन्ध में जनपद विकास समिति गढ़वाल के दिनांक 15 दिसम्बर, 26 दिसम्बर, 1986, 24 जनवरी, 1986 24 जनवरी, 1987, 5 मार्च, 1987 तथा 20 अक्तूबर, 1988 के पत्रों द्वारा उ0 प्र0 जल निगम के मुख्य अभियंता (पर्वतीय) देहरादून तथा अधीक्षण अभियंता पौड़ी को लिखा जाता रहा है . यदि हां, तो इन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा कृत कार्यवाही से अवगत न कराये जाने के क्या कारण हैं . इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा कब तक स्टाफ क्वार्टर बनाये जाने की सम्भावना है .

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

अधीक्षण अभियंता द्वारा शाखा से रेस्ट हाउस हेतु प्रस्ताव मांगा गया ।

चेलूसैंण गूम्खाल, बियूली एवं किन्सूरर में रेस्ट हाउस प्रस्तावित हैं ।

जी हां, इस सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुये हैं ।

किन्सूर (पुलनागढ़) में रेस्ट हाउस हेतु एक स्टाफ क्वार्टर के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है । अन्तिम निर्णय हो जाने पर तदनुसार अवगत करा दिया जायेगा ।

उपर्युक्तानुसार

पालिका केन्द्रीयित सेवा में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर पदोन्नति का मामला

66—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सम्बोधित श्री महेश्वर पाण्डेय, एम0 एल0 सी0 का कोई पत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1989 जो पालिका केन्द्रीयित सेवा में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर पदोन्नति विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित उक्त बिन्दुओं का निराकरण शीघ्र ही करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

प्रोन्नति मद में सहायक अभियन्ता के पदों की रिक्तियों के उपलब्धता के दृष्टिगत तथा सहायक अभियंता पद पर प्रोन्नति हेतु माननीय उच्च न्यायालय और माननीय लोक सेवा अधिकरण के आदेशों/निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में शेष कर्मचारियों के पदोन्नति पर यथा समय विचार किया जायेगा ।

67—श्री ऊधल—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद देहरादून के रायवाला एवं सौड़ा सरोली में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण की मांग

68—श्री रणजीत सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देहरादून के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायवाला एवं सौड़ा सरोली में छात्र संख्या कितनी है तथा जिस भवन में विद्यालय संचालित हो रहा है उसमें कितने छात्र कक्ष हैं ? क्या यह सत्य है कि कक्षायें मैदान में संचालित होती हैं और वर्षा होने के समय छात्रों की छुट्टी कर दी जाती है ? क्या मंत्री जी प्रश्नगत विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला एवं समुचित विद्यालय भवन यथाशीघ्र बनवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

देहरादून जनपद में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायवाला तथा सौड़ा सरोली का विद्यालय भवन वर्तमान में जिला परिषद एवं पंचायत के भवनों में कार्यरत है । इन दोनों विद्यालयों में छात्र संख्या क्रमशः 615 तथा 190 है तथा कक्षा-कक्षों की संख्या क्रमशः 6 तथा 3 है ।

जी हां ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय रायवाला के विद्यालय भवन के निर्माणार्थ शासन को स्वीकृति हेतु आगणन प्राप्त हो गया है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौलीबड़ोवाला जनपद देहरादून के भवन निर्माण की मांग

69—श्री रणजीत सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देहरादून के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौलीबाड़ोंवाला में छात्र संख्या कितनी है, जिस भवन में विद्यालय संचालित हो रहा है, में कितने छात्र कक्ष हैं ? क्या यह सत्य है कि कक्षायें मैदान में संचालित होती हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि वर्षा होने के समय छात्रों को छुट्टी कर दी जाती है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रश्नगत विद्यालय में स्थान अभाव के कारण विज्ञान लैब भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी विद्यालय भवन यथाशीघ्र बनवाने की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

प्रश्नगत विद्यालय में छात्रों की संख्या 709 है । कक्षा-कक्ष चार हैं ।

जी हां ।

विद्यालय में उपलब्ध कक्षों में से एक कक्ष विज्ञान प्रयोगशाला के लिए है।

विद्यालय के आवश्यक भवन निर्माणार्थ आगणन शासन को प्राप्त हो गया है।

जनपद आजमगढ़ के विकास खंड बिलरियागंज में कतिपय विधवाओं के पेंशन की धनराशि न मिलने की शिकायत

70—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अलालपुर विकास खंड बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ में किन-किनको विधवा पेंशन दी जाती है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1988-89 में पेंशन की धनराशि सम्बन्धित विधवाओं को न मिलकर इनकी धनराशि का चेक एक ही व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया है ? यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नवमेश प्रसाद—

जनपद आजमगढ़ के विकास खंड बिलरियागंज के ग्राम अलालपुर में कुल 8 विधवाओं सिरताजी पत्नी स्व0 श्री तनकू, कमला देवी पत्नी स्व0 श्री रामभूति, शनिचरा पत्नी स्व0 श्री बिहारी, छबिराजी पत्नी स्व0 श्री मुन्नर, समरथी पत्नी स्व0 श्री कल्लू, समवेई पत्नी स्व0 श्री मगरू, सिराजो पत्नी स्व0 श्री रामराज तथा पतिराजी पत्नी स्व0 श्री पलटन को भरण-पोषण अनुदान दिया जाता है।

उक्त सभी विधवाओं की चेक प्राप्ति सम्बन्धी अंगूठा निशान अभिलेखों में उपलब्ध है लेकिन इसके सत्यापन के सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है।

छानबीन से प्रथम दृष्टतया प्रकाश में आयी अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए श्री राधाकृष्ण पाण्डेय, वरिष्ठ लिपिक को निलम्बित किया गया है।

जनपद शाहजहांपुर के नगर पालिका तिलहर के भवन में चल रहे शराब के ठेके को बन्द करने की मांग

71—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद शाहजहांपुर की नगर पालिका तिलहर के भवन में एक दुकान देशी शराब की चल रही है जबकि शासन के आदेशों के अनुरूप किसी भी जिला परिषद् या नगर पालिका के भवन में शराब की दुकान नहीं चलायी जा सकती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या शराब की दुकान को हटवाने हेतु माह जनवरी, 1990 में जिलाधिकारी से मांग की गयी थी ? क्या मार्च, 1990 में पुनः उक्त भवन में ठेका आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार ठेके को उक्त भवन से हटाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जनपद शाहजहांपुर की नगर पालिका तिलहर के भवन में तो नहीं, परन्तु तिलहर बाजार बिरियागंज में नगरपालिका की एक दुकान में किराये पर देशी शराब की दुकान वर्ष 1970-71 से चल रही है। यह दुकान आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा अनुमोदित है।

माह जनवरी, 1990 में श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता कार्यकारी अध्यक्ष, युनाइटेड यूथ एसोसिएशन तिलहर द्वारा बिरियागंज स्थित देशी शराब की दुकान हटाने का ज्ञापन दिया गया था। आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित होने के कारण इसे हटाने की कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुयी,

वर्ष 1990-91 के आबकारी नीलाम के समय बिरियागंज स्थित दुकान नियमानुसार होने तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा अनुमोदित होने की दशा में नीलामी द्वारा व्यवस्थापित की गयी है। इसी आधार पर बिरियागंज स्थित दुकान का हटाया जाना राजस्व हित में उचित प्रतीत नहीं होता।

लखनऊ शहर के मालवीय नगर एवं पाण्डेय तालाब श्रमिक कालोनियों में अवैध रूप से रहने वालों के विरुद्ध शिकायत

72—श्री ओम प्रकाश, श्री एबल सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर के मालवीय नगर, पाण्डेय तालाब में स्थित श्रमिक कालोनियों में श्रमिक स्तर के ऊपर के लोग अधिकांश भवनों में निवास कर रहे हैं तथा अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनका लखनऊ में अपना निजी भवन है? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि वर्ष 1980 में निरीक्षक श्रमिक आवास कालोनी मालवीय नगर लखनऊ की लापरवाही के कारण हजारों मूल गृह स्वामियों को उन्हें भवन हस्तान्तरित किये जा रहे हैं? क्या सरकार खाली भवनों को आवंटित करेगी या ऐसे भवनों के किराये में वृद्धि किये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री मोहम्मद आजम खां—

पाण्डेय तालाब में कोई श्रमिक बस्ती नहीं है। नवीन श्रमिक बस्ती, ऐशबाग, मालवीय नगर में स्थित है। यह सही है कि गैर श्रमिक भी इन भवनों में निवास कर रहे हैं। इन कालोनियों में रहने वालों में ऐसे कितने लोगों के लखनऊ में अपने निजी मकान हैं, की सूचना उपलब्ध नहीं है।

जी हां, इस तरह की शिकायतें हैं।

नियमानुसार ही आवंटन करने के आदेश हैं।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद मऊ में वितरित वर्ष 1989 की छात्रवृत्ति में बरती गयी अनियमितता की शिकायत

73—श्री सुभाष—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष 21 एवं 22 सितम्बर, 1989 को भूतपूर्व केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्री श्री कल्पनाथ राय की अध्यक्षता में मऊ जनपद की छात्रवृत्ति बांटी गयी थी? वह कुल कितनी धनराशि थी? क्या यह सही है कि धनराशि एवं लिस्ट के अलावा कोई दूसरी लिस्ट बनाई गई थी? क्या उनकी अनुपस्थिति में भी कुछ धनराशि बांटी गयी? यदि हां, तो उक्त धनराशि कितनी थी? दूसरी लिस्ट बनाने का कार्य किस अधिकारी के आदेश से हुआ? उक्त लिस्ट एवं वितरण के दौरान में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां ।

कुल धनराशि रुपये 3,77,952.00 थी ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून के ग्राम जौलीग्रान्ट की पेयजल समस्या दूर करने हेतु एक अतिरिक्त ट्यूबवेल लगाये जाने की मांग

74--श्री रणजीत सिंह--

क्या नगर विकास एवं जल सम्पूर्ति मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विभागीय नीति के अनुसार पेयजल आपूर्ति हेतु एक साथ एक ही स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में दो नलकूप बनाये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जनपद देहरादून के ग्राम जौलीग्रान्ट में पेयजल आपूर्ति हेतु एक ही नलकूप की व्यवस्था है तथा प्रश्नगत नलकूप के खराब होने की स्थिति में पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित ग्रामवासियों को पेयजल आपूर्ति से वंचित रहना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ग्राम जौलीग्रान्ट में दूसरे नलकूप छेदन हेतु विभाग को निर्देश देंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी नहीं ।

जी हां ।

जी नहीं । सिंचाई विभाग के नलकूप से पेयजल की आंशिक व्यवस्था की जाती है। यदि धन उपलब्ध हुआ तो निर्माण कराया जावेगा ।

जनपद लखनऊ में वर्ष 1985 से 1989 के मध्य स्वीकृत पिछड़ी/अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति में हुई अनियमितता की शिकायत

75--श्री रविदास मेहरोत्रा--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले में वर्ष 1985 से 1989 की अवधि में किन-किन स्कूलों के हरिजन/पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष दी गई ? क्या जूनियर हाई स्कूल पकरा बहरौली को उक्त अवधि में कोई धन आवंटित किया गया ? यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितना धन आवंटित किया गया ? क्या आवंटित की गयी धनराशि नियमानुसार थी ? यदि नहीं, तो अनियमितता हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

वित्तीय वर्ष 1986-86 से 1988-89 तक जिन-जिन स्कूलों के अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है, उनकी सूची† सदन के पटल पर रख दी गयी है।

---

† छापी नहीं गयी ।

वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 में चन्द्रकला जूनियर हाई स्कूल पकरा, बहरोली के अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति/विमुक्ता जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु नियमानुसार धनराशि अवमुक्त की गई। वर्ष 1985-86 में कोई धनराशि नहीं अवमुक्त की गई।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के कतिपय ग्रामों में दो-दो हैण्ड पम्प लगाये जाने की व्यवस्था

76--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मरंरा, बरहना, किरयावली, मैसोड़ा, जलालपुर, बिहिटा, चन्दियाना, गैसूपुर, बसीबाघर, मांकड़ी, बबई, तिलखनी, भगवन्तपुर नरसेना, अमरपुर, भड़कऊ पुरैना, गिरोरा, लाड़ाना, बेहरा, काचरोट करियारी, खिजरपुर, परवाना, खनपुरा, बुलखड़ा, आड़ौल, मुल्लानी, दौलतपुर-कला, बाहमनपुर, बहीरखेड़ा, नबीनगर, रोन्डा मानकरोड़ा, खन्डोई, नगला मदारीपुर, अमरगढ़, ढलना, रघुनाथपुर कमालपुर एवं ऊंचागांव, जनपद बुलन्दशहर में ए0 आर0 पी0 इंडिया मार्क (2) के दो-दो हैण्ड पम्प लगा दिए गए हैं? यदि हां, तो क्या हैण्ड पम्प योजना के अन्तर्गत 250 की जनसंख्या पर एक हैण्ड पम्प लगाने का प्राविधान है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर इंडिया मार्क (2) हैण्ड पम्प लगाने हेतु विशेष अनुदान स्वीकार करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

प्रश्नगत ग्रामों में ग्राम कुरैना, बहीरखेड़ा व तिलखनी से माननीय विधायक का तात्पर्य सम्भवतः क्रमशः पुरैना, बहेरीखेड़ा व पिलखनी से है। इनमें से बहेरीखेड़ा को छोड़कर शेष सभी ग्रामों में 2 या इससे अधिक हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। ग्राम बहेरीखेड़ा में एक हैण्ड पम्प हरिजन बस्ती में लगाया गया है।

जी हां, परन्तु यह कार्यवाही अगले पांच वर्षों में किया जाना प्रस्तावित है।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उत्तर प्रदेश जल निगम में दस वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की प्रकिया

77--श्री हरवंश सहाय--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, देहरादून/गोरखपुर/इलाहाबाद/आगरा/मध्य जोन में किन-किन से सहायक अभियन्ताओं (प्रभारी) सहायक अभियन्ताओं को 10 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है? क्या इन अभियन्ताओं के स्थानान्तरण मुख्यालय की नीति दिनांक 23 जनवरी, 1990 के अनुसार तुरन्त अन्यत्र क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जल निगम में लगभग एक हजार सहायक अभियन्ता व तीन हजार अवर अभियन्ता कार्यरत हैं। इनमें से कतिपय अभियन्ताओं का स्थानान्तरण किया जा चुका है, जिसके सम्बन्ध में परीक्षण किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश जल निगम, गोपेश्वर, जनपद चमोली में कार्यरत कतिपय अवर अभियन्ताओं का वर्ष 1989 में स्थानान्तरणोपरान्त अवमुक्त न किया जाना

78—हरवंश सहाय—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोपेश्वर (चमोली) में वर्ष 1989 में किन-किन अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है तथा उन्हें अभी तक कार्यमुक्त न कराने का कारण क्या है? क्या उन्हें तुरन्त कार्यमुक्त कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

उत्तर प्रदेश जल निगम, गोपेश्वर (चमोली) में वर्ष 1989 में किसी अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर नहीं किया गया।

(नोट:—नियम 40 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों की प्रार्थना पर निम्नलिखित स्थगित तारांकित प्रश्न।)

उत्तर प्रदेश महापालिकाओं के नगर प्रमुखों, उपनगर प्रमुखों तथा सभासदों को प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी

*7—श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासन ने उत्तर प्रदेश महापालिकाओं के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख तथा सभासदों को कोई वेतन भत्ता तथा अन्य सुविधायें देने का निश्चय किया है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

नगर प्रमुखों को अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24 जून, 1968 द्वारा चपरासी, स्टेनोग्राफर, एम्बेसडर कार सुविधा, दूरभाष तथा 150 रु0 प्रतिमाह पेट्रोल भत्ता तथा एक कार चालक की सुविधा अनुमन्य है गण्यमान्य तथा विशिष्ट व्यक्तियों के आतिथ्य सत्कार के लिए 1,000 से 1,500 रु0 प्रति वर्ष अनुमन्य है।

उप नगर प्रमुखों को एक चपरासी, दूरभाष तथा आवश्यकता पड़ने पर महापालिका का एक लिपिक, आशुलिपिक और एक कार अथवा जीप की सुविधा स्थानीय निरीक्षण के लिए पालिका कार्य हेतु अनुमन्य है।

नगर महापालिकाओं के नगर प्रमुखों एवं उप नगर प्रमुख को वही सुविधा दिए जाने का निर्णय लिया गया है जो उन्हें पहले उपलब्ध होती रही है। महापालिकाओं की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए सभासदों को कोई वाहन भत्ता न दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के टाउन एरियाओं, नगर पालिकाओं एवं नगर महापालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की मांग

*1—श्री सत्य प्रकाश विकल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की टाउन एरियाओं, नगर पालिकाओं व महापालिकाओं की कमजोर आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय संशोधन तथा अधिकार बढ़ाने की योजनाओं पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है । आय के उपलब्ध स्रोतों का सही ढंग से उपयोग करके स्थानीय निकायें अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ कर सकती हैं ।

श्री अनिल कुमार सिंह यादव स0 वि0 सभा पर गोली से हुए हमले के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 311 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार यादव के सम्बन्ध में जो सूचना दी है, वह प्राप्त हो गई है और मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री....

(घोर व्यवधान)

*श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, 311 की सूचना को सुनें । यह एक विधायक की हत्या के प्रयास का मामला है । सरकार को हम तब सुनेंगे जब आप हमारी सुनेंगे ।

(व्यवधान)

*श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

मान्यवर, आप कहते हैं कि इसकी सूचना आपने संसदीय कार्य-मंत्री को दे दी है । मान्यवर इसकी सूचना कल इस सदन के माध्यम से माननीय अधिष्ठाता महोदय को, जो उस वक्त इस पीठ पर बैठे थे, दी गई थी । उसके बाद भी इतनी शर्मनाक घटना घटित हुई । मान्यवर, यहां पर जो जनप्रतिनिधि आते हैं वे जनता की भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए आते हैं । लेकिन जब हमारी जिन्दगी ही सुरक्षित नहीं है तो इस सदन का क्या महत्व है । क्या मूल्य है जनतन्त्र का, किस लिए माननीय मन्त्री जी यहां पर विराजमान हैं । मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं, सारे प्रदेश की जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि इतनी बड़ी और शर्मनाक घटना जिसकी पुनरावृत्ति कल 5/6 की रात को हुई, ऐसी ऐतिहासिक घटना पहले कभी नहीं हुई । कल इसी सम्मानित सदन के अन्दर माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार जी, निर्दोलाकलां ने इस पीठ पर विराजमान माननीय अधिष्ठाता महोदय से कहा था कि मेरी जान को खतरा है । उन्होंने कहा कि माननीय विधायकों को झंडी देने

---

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और उनकी सुरक्षा करने का जो प्राविधान है आप सरकार उसका मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। जन प्रतिनिधियों के पास जो सुरक्षा गार्ड थे, उन सुरक्षा गार्डों को हटाया जा रहा है। यह केवल उनके साथ ही नहीं हुआ बल्कि हमारे और भी विधायक हैं, लटूरी सिंह, देवेन्द्र कुमार, रवीन्द्र जी इन सब लोगों के पास से गनर हटाये जा रहे हैं। जो सजायाफ्ता अपराधी वृत्ति के हैं उनको गनर दिए जा रहे हैं। मान्यवर, आपके यहां कानून की कोई परिभाषा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

मान्यवर, संक्षेप में नहीं कहा जा सकता है। मान्यवर, आपकी सरकार संसदीय मर्यादा का हनन कर रही है, आज आपने न्याय पर रोक लगा दी है बड़ी लोकप्रिय

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

सरकार आपकी है, बड़ी जनप्रिय सरकार आपकी है आपके यहां न्याय नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, न्याय नाम की कोई परिभाषा नहीं रह गई है आप गोली चलवा दीजिए, अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी पर तमाम मुकदमें चल रहे हैं उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मेरे ऊपर मुकदमें हैं, तमाम वक्तव्यों में कहा है कि मेरे ऊपर मुकदमें चल रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से कानून को अपने हाथ में न लीजिए, आप न्याय की परिभाषा को दुहराइए, न्याय को समझिए, न्याय को पहचानिए। जम्हूरियत में विश्वास करिए आपने लुभावने नारों से, सुलोगनों से जनता का विश्वास अर्जित किया है। हम जनता की इच्छा का स्वागत करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसको सम्मान देते हैं लेकिन अगर आप वायदाखिलाफी करने लगेंगे, न्याय नहीं करेंगे, न्याय की परिभाषा को नहीं समझेंगे तो जनता को दुख होगा, हमें दुख होगा और उसको हम क्या प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं? क्या जनता की भावनाओं को हम आपके सामने नहीं रखेंगे? अगर हम उन भावनाओं को यहां नहीं रख सकते हैं, तो हम फिर किस लिए चुनकर आए हैं? हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया इनका गनर हटाया जा रहा है, उस जिले के अन्दर भूतपूर्व जनप्रतिनिधियों को, सांसदों को, विधायकों को गनर दिया है, क्रिमिनल लोगों को दिया है, यह आपकी परिभाषा है? लेकिन जो आदमी कह रहा है उसे नहीं दिया जा रहा है।

अभी मुख्य मंत्री जी को चार दिन पहले अपने पत्र के माध्यम से मैंने कहा था कि माननीय अनिल जी के साथ, लटूरी सिंह जी के साथ और देवेन्द्र सिंह जी के साथ साजिश हो रही है इनकी जान को खतरा है इनको पूर्ण सुरक्षा दी जाए, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, लेकिन इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन पर 200 फायरिंग हुई है। रामनगर और एटा के बीच में 200 फायरिंग इनके ऊपर हुई है यह तो भगवान की कृपा थी कि यह बच गए। 24 घंटे भी उनको सरकार ने नहीं दिए, 24 घंटे की मेहनत इस सरकार की पुलिस ने नहीं दी। 12 घंटे ही हुए थे कि उनके ऊपर गोली की बौछार शुरू हो गयी। आज विरोधी मान्यताओं को अस्वीकार करते हैं और आप विरोधियों की आवाज को दबाना चाहते हैं जनता की भावनाओं को दबाना चाहते हैं, जम्हूरियत का गला घोंटना चाहते हैं यह आपके नियम हैं यह आपके नियम हैं यह

आपकी परम्परायें हैं, हम चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण मामले पर सारी कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाय । और वहां के एस0 एस0 पी0 को तत्काल निलम्बित किया जाए, उसको हटाया जाए । हमारा खुला आरोप है कि वहां के सभी सम्मानित सदस्यों ने कहा है कि वहां एक निर्दोष व्यक्ति को दरोगा ने मार दिया । जब जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इसको बन्द किया जाए इसकी एफ0 आई0 आर0 लिखी जाए, उस पर मुकदमा चलाया जाए, तो उस एस0 एस0 पी0 ने कहा कि इसने जनसमूह को देखकर छोड़ दिया है बाद में मजा चखाऊंगा, तो सरकार इस बात को स्वीकार करे, इसको देखें और उसको तत्काल निलम्बित किया जाए । आप विरोध पक्ष की भावनाओं को दबा नहीं सकते हैं, ऐसे आपकी सरकार चल नहीं सकती है अगर आप सुरक्षा का इन्तजाम नहीं करते हैं तो हम प्रदेश की जनता से सुरक्षा की भीख मांगेंगे । आप अपने बहुमत के बल पर, द्वेष की भावना से कार्य करेंगे तो इस सरकार को नहीं चलने दिया जाएगा । हमारी मांग है कि सारी कार्यवाही को रोककर इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा कराई जाए ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, हमें भी सुन लिया जाए । 311 में हमारी सूचना है ।

श्री उपाध्यक्ष --

अब आप लोग बैठें उप नेता विरोधी दल ने बोल लिया है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

इस तरह से सदन नहीं चलेगा, 311 में मेरी सूचना है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जायं । यह बात सदन के संज्ञान में आ गयी है ।

*श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, जिनके नाम 311 की सूचना में हैं उनको बुलवाइये ।

श्री प्रमोद कुमार--

आप मान्यवर, हमें बुलवाइये । [× × ×]

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय उप नेता विरोधी दल बोल चुके हैं । मैं इसे संज्ञान में लेने के बाद सरकार को निर्देशित करता हूं कि शाम तक इस सम्बन्ध में सूचना मंगाकर शाम को सूचना दें कि क्या हुआ ।

(माननीय मुख्य मंत्री के खड़े होने पर ।)

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, पहले आप हमें सुन लें उसके बाद मुख्य मंत्री बोलें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के अदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सदन की परम्परा रही है कि जब माननीय नेता सदन खड़े हो जाते हैं तो और लोग बैठ जाते हैं। आप बैठ जायं। मैंने शासन को निर्देशित कर दिया है कि अनिल सिंह यादव की घटना के सम्बन्ध में शाम तक सूचना मंगाकर सदन को सूचित कर दें।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

मान्यवर, सारे विधायक उद्वेलित हैं किसी कारण से इस कारण का ज्ञान आपको और सदन को होना चाहिये। माननीय नेता सदन जो कहना चाहते हैं, मैं सुनना चाहता हूं।

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आश्वस्त किया था, पूरे प्रदेश के जन प्रतिनिधियों को और विशेषकर सम्मानित सदस्यों को, कि जन प्रतिनिधियों का सम्मान रखा जायगा। मैंने यहां तक कहा था, पिछली सरकार ने लगातार कहा कि मनोबल टूट जायगा अगर कार्यवाही की जायगी, दर्जनों विधायक पीटे गये, अपमानित हुये, मैंने इस परम्परा को तोड़कर कहा है कि हमारे विधायक यदि सिफारिश करेंगे तो वह इन्टरफियरेंस, बाधा नहीं माना जायगा। सही काम है तो अफसर करें, सही न हो तो न करें, यहां तक मैंने कहा है। माननीय अनिल कुमार सिंह जी के साथ जो कुछ हुआ अभी शासन को उसकी जानकारी नहीं है। आपने निर्देश दे दिया है, समय दे दिया है, उस समय तक पूरी जानकारी सदन में देंगे। लेकिन जितने गुस्से में माननीय उप नेता विरोधी दल बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मुख्य मंत्री ने हमला करवा दिया है। मैंने हमेशा कहा है कि आपके जमाने में नौकरशाही मालिक थी, अब नौकरशाही मालिक नहीं रहेगी, जनता की सेवक रहेगी। (मेजों की थपथपाहट) मैं कहना चाहता हूं कि मेरी जान लेने की कोशिश की गयी, मेरे ऊपर हमला हुआ लेकिन आपकी सरकार ने उसकी जांच तक नहीं की। आपकी सरकार और इस सरकार में अन्तर है, जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिये। जहां तक अपराधियों को सुरक्षा गार्ड देने की बात है, मैं घोषणा करता हूं कि इस सत्र के तत्काल बाद बहुतों के गनर वापस लिये जायेंगे और हर एक को मनमाने तरीके से गनर नहीं दिये जायगे। गनर का एक प्रचलन बन गया है। इससे हमारा नुकसान होता है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो आप इतने जोश में बोल रहे थे, आप मिनिस्टर थे, आपने मुझसे पूछा था, आप तो मेरे साथी थे, आपने पूछा था, आप मिनिस्टर थे, मैं भी कोई मामूली आदमी नहीं था और इसी के बल पर इधर बैठा हुआ हूं। लेकिन जब मेरे ऊपर चोट लगी थी, और उसकी जांच हुई हो या कार्यवाही हुई हो, तो बता दें।

(कांग्रेस पक्ष के सदस्य एक साथ खड़े हो गये जिससे घोर व्यवधान हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया बैठें। हमारा अनुरोध कृपया सुन लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि मेरे ऊपर जब हमला हुआ था और आप मंत्री थे, आप हमारे साथी थे, आपने क्या किया ?

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुईद साहब, आप कृपया बैठें। मैंने अभी अनुरोध किया था कि शासन को हमने निर्देशित कर दिया है कि वह घटना की गम्भीरता को देखते हुए, आज सदन उठने से पहले इस सम्बन्ध में सूचना मंगा कर सदन को अवगत कराये। शाम तक सूचना आने दीजिए, तब आपको जो कुछ कहना हो, तब आप कहिएगा। माननीय लटूरी सिंह जी, उस समय क्या आप साथ में थे या आप बताई हुई सूचना के अनुसार बता रहे हैं।

श्री लटूरी सिंह—

मान्यवर, मेरे पास आज अनिल बाबू का टेलीफोन आया था, वह एटा से अपने घर जा रहे थे....

श्री मुलायम सिंह यादव—

चर्चा कराना है, तो करा लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

लटूरी सिंह जी, आप बैठ जायं, यह मालूम हो गया कि आप साथ नहीं थे।

(व्यवधान)

माननीय लटूरी सिंह ने जब बता दिया कि उनके पास टेलीफोन आया था, वह स्वयं उनके साथ नहीं थे।

(व्यवधान)

शासन को मैंने निर्देशित कर दिया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब यह कह दिया कि हमें इस पीठ का निर्देश स्वीकार है, तो अब कौन सी बहस की बात रह जाती है। माननीय मुईद साहब, आप यह बताइये कि माननीय उप मंत्री कह चुके, माननीय लटूरी सिंह ने कहा कि टेलीफोन आया था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि हम शाम तक सूचना लाकर दे दूंगा, तो अब कौन सी बात रह गयी ?

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिससे व्यवधान हो गया और जो कुछ बोल रहे थे सुनाई नहीं पड़ा)।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने पर घोर व्यवधान बना रहा)।

श्री अध्यक्ष—

भोला पाण्डेय जी, जय नरायन डिग्री कालेज की बात नियम 56 में सुनेंगे।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय उप नेता ने पूरी बात कह दिया, अब कौन सी बात सुनने को रह गयी है। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

(घोर व्यवधान)

माननीय उप नेता को सुनने के बाद मैंने व्यवस्था दे दी, निर्देशित कर दिया सरकार को कि आज शाम तक उसके बारे में जानकारी दे। तो अब इसके बाद कौन सी बात सुनने को रह गयी है ?

(घोर व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

मान्यवर, आपने हमारे बाद नेता सदन को सुना, उन्होंने कहा कि मेरे उपर गोली चली थी उसकी जांच हुई ?

(व्यवधान)

मान्यवर, सम्मानित सदस्य लटूरी सिंह उनको देखने भी गये हैं, आपने हादसा देखा है और आज यहां सदन उठने के बाद उनकी जान की रक्षा कौन करेगा मान्यवर, आपने नेता सदन को मौका देने के बाद कहा कि कोई नहीं बोल सकता है। मान्यवर, जब सरकार को इस बात का संज्ञान नहीं है तो हमारी बात से ही उसको संज्ञान हो जाय।

(व्यवधान)

मान्यवर, सरकार को जब मैंने पत्र लिखा था तो मैंने कहा था कि उनकी रक्षा कीजिए इसकी सूचना हमने दी है, माननीय सदस्य ने यह सूचना शासन को दी है उसके बाद गोली चल रही है। एक विधायक चिल्ला रहे हैं कि मेरे प्राण की रक्षा कीजिए, अगर मेरे ऊपर गोली चलती है तो उसकी सरकार जिम्मेदार है। यह प्रोसिडिंग में आया है। सरकार यहां की प्रोसिडिंग का संज्ञान नहीं लेती है, मैं क्या कहता हूं इसका कोई संज्ञान सरकार नहीं लेती है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

आज दिनांक 6 जुलाई, 1990 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई। (1) श्री शिवकरन सिंह, (2) श्री कृष्णस्वरूप वैश्य, (3) श्री दौलाराम, (4) डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी, (5) श्री रवीन्द्र शुक्ल, (6) श्री हरिचरन यादव तथा (7) श्री सुरेश कुमार खन्ना, के सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी।

(निम्नलिखित सूचनाएं पढ़ी मानी गयी)

जनपद हरदोई के बिलालपुर गांव के श्री गुरुबख्श सिंह की हत्या काण्ड में पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवकरन सिंह--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

हरदोई जनपद के सम्प्रति कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी है । कत्ल, डकैती एवं अपहरण की घटनायें चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं । विशेष रूप से थाना शाहाबाद की घटनायें उल्लेखनीय हैं । अभी पिछले माह शाहाबाद थाने के बिलालपुर गांव में एक प्रतिष्ठित एवं शान्तिप्रिय व्यक्ति श्री गुरुबख्श सिंह का पहले अपहरण कर लिया गया और तमाम प्रयासों के बावजूद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज न की और न ही कोई उल्लेखनीय कार्यवाही की जिसके परिणाम स्वरूप चौथे दिन उक्त श्री सिंह की लाश कई टुकड़ों में उनके घर से 500 गज दूर पर पायी गयी, वह भी एक बन खुले मैदान में कई हिस्सों में बंटी हुई । उक्त घटना तो एक उदाहरण मात्र है ।

पुलिस की निष्क्रियता का यह आलम है कि अभी तक पोस्टमार्टम की कार्यवाही के बाद घटना स्थल पर भी नहीं गयी है । इससे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि भयंकर हाथों का खिलौना बनी हुयी है जिससे समस्त क्षेत्र में अत्यन्त खौफनाक माहौल बना हुआ है । क्षेत्र का सामान्य जन का विश्वास पुलिस से उठ गया है ।

मेरी आपके माध्यम से स्पष्ट मांग है कि उक्त घटना के सम्बन्ध में एवं पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के सम्बन्ध में शासन वक्तव्य दें जिससे जनहित की सुरक्षा विश्वास दिलाया जा सके ।]

जनपद बदायूं के उझयानी नगर में बाजार कला आदि बस्तियों के नाले की सफाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

[मान्यवर, बदायूं जनपद के उझयानी नगर में बाजार कला, नक्खी, गंज शहीदा के निवासी नारकीय जीवन जी रहे हैं । इस बस्ती के माध्यम से एक नाला गुजरता है नगरपालिका द्वारा उसकी सफाई न कराने से वह ऊपर तक भर रहा है, बदबू एक सड़ांध फैल रही है । वर्षा हो जाने के कारण तो अब उसका गंदा पानी मकानों के दरवाजों से टकरा रहा है, संक्रामक रोग फैलने की पूरी संभावना है, नगरपालिका और प्रशासन मौन है ।

उझयानी नगरपालिका इसकी सफाई कराने में कोई रुचि नहीं ले रही है । वास्तव में इसकी पानी के निकाल की कोई रास्ता ही नहीं है । पानी इस नाले में ही भरता रहता है, जब तक इस पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं होगी, इन बस्तियों के गरीब, हरिजन, पिछली जाति के लोगों को गंदगी से निजात नहीं मिलेगी ।

अतएव मेरा सरकार से आग्रह है कि इस नाले के पानी निकास की समुचित व्यवस्था करें तथा नगरपालिका उझयानी को निर्देशित करें कि वह इस नाले की कारगर सफाई करायें ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद सीतापुर के ग्राम कोरेया में श्रीमती गुड्डी की दहेज के कारण हुयी हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दौलत राम—

[मान्यवर, मैं मानव समाज को कलंकित करने वाली दहेज हत्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये नियमावली सख्त कार्यवाही की मांग करता हूं।

सीतापुर जनपद के ग्राम कोरेया उदयपुर निवासी श्याम सुन्दर शुक्ल की पुत्री गुड्डी की शादी ढ़ाई वर्ष पूर्व लखीमपुर खीरी के ग्राम खागा ओयल के श्री राम सागर मिश्र के पुत्र श्री विजय कुमार मिश्र के साथ हुआ था परन्तु सोने की चेन व अंगूठी की मांग को लेकर ससुराल वाले उसे निरन्तर परेशान करते रहे तथा गत 1 मई, 1990 को जहर देकर उसकी हत्या कर दी मायके वालों द्वारा समय से थाना खीरी को सूचित करने पर पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम तो करा दिया गया लेकिन आज तक नामजद हत्यारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की तथा दहेज हत्या अधिनियम के विपरीत क्षेत्राधिकारी के बजाय एक दरोगा को जांच दे दी। मेरी पुरजोर मांग है कि नामजद अभियुक्तों को अविलम्ब गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाय। तथा मामले की जांच क्षेत्राधिकारी के सुपुर्द की जाय। साथ ही थाना खीरी में धारा 394ए/304 बी के तहत दर्ज एक अन्य दहेज हत्या के मुकदमें में भी अभियुक्तों को गिरफ्तारी की जाय।]

जनपद लखनऊ के सदर हाता रामदास बगिया के निवासियों को पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान हाता राम दास बगिया सदर, लखनऊ के निवासियों की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां हरिजन एवं अनुसूचित राज्य कर्मचारियों तथा केन्द्र कर्मचारी एवं भूतपूर्व सैनिक निवास करते हैं। वहां के लोग एक-एक बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं। छावनी परिषद् लखनऊ द्वारा पानी देने के सम्बन्ध में छावनी बैठक की परिषद् में दिनांक 12 अक्तूबर, 1988 को पानी आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने तथा नागरिकों को पानी देने के सम्बन्ध में अपनी अनुमति दे दी है जिसका कार्य कराने का उत्तर दायित्व जल निगम द्वितीय खंड शाखा को सौंपा गया है। कुछ पाइप लाइन बिछायी जा चुकी है। छावनी जल कल्याण समिति के अध्यक्ष द्वारा जब जल निगम द्वितीय खंड के अधिशासी अभियन्ता से पत्र व्यवहार किया गया तो अधिशासी अभियन्ता अशोक मित्रा का पत्र, दिनांक 23 अप्रैल, 1990 को इस समिति के अध्यक्ष को मिला जिसमें श्री मित्रा ने पाइप आपूर्ति डायनेमिक प्रा0 लि0, गाजियाबाद द्वारा न होने की बात कही गयी थी परन्तु छावनी परिषद्, लखनऊ द्वारा नागरिकों को पानी के अभाव की बात कही जाती है जबकि कुछ भूखंडों को मकान बनवाने हेतु पानी टैंकरों से दिया जाता है। जिसका उदाहरण दैनिक आज में दिनांक 31 मई, 1990 तथा 8 जून, 1990 के अखबार से मिलता है। वहां के निवासी पानी के अभाव में किन-किन परेशानियों का सामना उठाते हैं। इसे आप स्वयं समझ सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं व्यवस्था की मांग करता हूं कि वहां पाइप लाइन बिछाकर तुरन्त लोगों को पेयजल आपूर्ति करायी जाये ताकि वहां के निवासियों को राहत मिल सके ।]

लखनऊ नगरमहापालिका द्वितीय यूनिट (कपूर थला) के कर्मचारियों द्वारा किसानों को मुआवजा दिये जाने में अनियमितता किये जाने के के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रवीन्द्र शुक्ल--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं--

लखनऊ नगर महापालिका (द्वितीय) कपूरथला द्वारा किसानों की अधिगृहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान किया जाता है किसानों को मुआवजे के भुगतान में प्रधान लिपिक (श्री आरिफखान) व अमीन (श्री नन्द किशोर) द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लखनऊ बार एसोसिएशन के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री मेड़ी लाल त्रिपाठी ने माह मई, 1990 में जिलाधिकारी लखनऊ, अध्यक्ष, राजस्व परिषद् तथा आयुक्त, लखनऊ को शिकायती-पत्र दिये हैं । परन्तु उन पर अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों का उत्साह और भी बढ़ गया है । गरीब किसानों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश बावजूद भी मुआवजा प्राप्त करने के लिये दर-दर भटकना पड़ रहा है ।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर मामले को आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाते हुये माननीय राजस्व मन्त्री से मांग करता हूं कि किसानों के हितों की रक्षा के लिये इनको तुरन्त स्थानान्तरित करके अनियमितताओं की जांच करायी जाय ।]

जनपद सुल्तानपुर के अमेठी क्षेत्र के ग्राम गाजी खां का पुरवा में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कतिपय व्यक्तियों के घर आग लगा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिचरण यादव--

[मान्यवर, गजाधर पुत्र राम नरायण वर्मा, कल्लू पुत्र राम प्रसाद वर्मा, मकदूम पुत्र बूथन वर्मा निवास ग्राम गाजी खां का पुरवा मजरा रामगढ़ परगना व तहसील अमेठी जिला सुल्तानपुर के मकान में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिनांक 3 जून, 1990 को आग लगा देने से पूरा मकान अनाज, कपड़ा भूसा जलकर राख हो गया है जानवर भी आग की लपटों से जलकर मर गये हैं । यह तो अत्यन्त निर्धन मजदूर वर्ग के लोग हैं । इनके पास रहने के लिये कोई स्थान न खाने के लिये अनाज तथा पहनने के लिये कोई कपड़ा नहीं है । परगनाधिकारी, अमेठी द्वारा मात्र सात सौ रुपया प्रत्येक पीड़ित परिवार को दिया गया है । यह राहत बिल्कुल ही अपर्याप्त है । पीड़ित परिवार भूखों से कराह रहे हैं । बरसात शुरू हो गया है । अकाश के नीचे रह कर तड़प रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उपरोक्त पीड़ित परिवार को शासन अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देने का कष्ट करें जिससे उपरोक्त परिवार अपने जीविका का प्रबन्ध कर सकें ।]

शाहजहांपुर शहर में विद्युत की अनावश्यक कटौती किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना—

[मान्यवर, शाहजहांपुर नगर में पिछले तीन माह से अघोषित विद्युत कटौती से आम नागरिक परेशान हैं । गर्मी के इस भीषण मौसम में विद्युत की अनावश्यक कटौती से जलापूर्ति का भी संकट हो जाता है । लोगों को कई-कई दिनों तक बूंद-बूंद पानी को तरसना पड़ता है । अधिकारियों से बात करने पर कोई सन्तोष-जनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है । सदैव ही सुनने को मिलता है ऊपर से कटौती की गई है बिना पूर्व सूचना के कई-कई घंटों तक विद्युत सप्लाई गोल होने के पीछे क्या कारण है । जनहित में अविलम्ब सुधार की आवश्यकता है ।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार को इस तथ्य से अवगत कराके शाहजहांपुर के विद्युत अधिकारियों को विद्युत सप्लाई में सुधार के लिए निर्देशित करें तथा अनावश्यक कटौती के लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित करें ।]

(घोर व्यवधान)

(डाक्टर बृजभूषण मणि त्रिपाठी, श्री भोला पाण्डेय, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री श्याम सुन्दर शर्मा आदि अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं, सदन को एक बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिये स्थगित कर दी) ।

1 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन डेढ़ बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है ।

1 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है ।

1 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन सवा दो बजे तक और बढ़ा दिया है ।

2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

सिंचाई विभाग के जिला सेक्टर का 16 करोड़ रुपया स्टेट सेक्टर में खर्च कर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री गोपी नाथ वर्मा, श्री मुईद अहमद, श्री सुरेश चन्द्र खन्ना, श्री रविकान्त गर्ग, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री इम्तियाज मोहम्मद खां ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)--

मेरी भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी, बाराबंकी जिले की ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 300 की बात कर रहे हैं, अभी नियम 56 में कहा आयें हैं । आप बैठें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी----

मान्यवर, मेरी औचित्य की सूचना नियमावली के नियम 38 और संविधान के अनुच्छेद 202 लगायत 205 से सम्बन्धित है । कल तारांकित प्रश्न संख्या 8 में उसके उत्तर में माननीय सिंचाई मंत्री ने स्वीकार किया कि तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने नवम्बर, 1989 में 16 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग का जिला सेक्टर में खर्च कर लिया । मेरा निवेदन यह है कि जो बजट यहां पर विधान सभा पास करती है वह न तो किसी की विरासत में मिला हुआ धन होता है न व्यक्तिगत अर्जित की हुई धनराशि होती है । जिन परपजेज के लिये विधान सभा उसे पास करती है, उसी मद में उस धनराशि को खर्च किया जा सकता है । अनुच्छेद 202 से 205 जो है हमारे संविधान का बजट उसी से गवर्न होता है । जितने भी बजेटरी आइटम आते हैं, जितने भी मनी बिल होते हैं, उसी से गवर्न होते हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देंगे, उनके पास सार्वजनिक निर्माण विभाग भी है । अगर यह चाहें कि भवन निर्माण के लिये जो पैसा है उसे सड़क के लिये खर्च करले तो नहीं कर सकते हैं, सड़क का पैसा पुल पर नहीं खर्च कर सकते हैं । यहां पर हुआ यह है कि जिला सेक्टर का 16 करोड़ रुपया स्टेट सेक्टर में खर्च कर दिया गया तत्कालीन मंत्री लोकपति जी द्वारा । जब मैंने प्रश्न पूछा कि ऐसा करना वित्तीय अनुशासनहीनता थी तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह मंत्री जी तो चले गये । मैंने कहा कि इसीलिये विभागों में सचिव हुआ करते हैं । अगर मंत्री जी को नियम कानून की जानकारी नहीं हो तो सचिव का दायित्व बनता है कि अपनी राय दें कि यह नहीं हो सकता, वित्तीय हस्तपुस्तिका होती है, वह भी मार्गदर्शन के लिये होती है । इसके बाद जब मैंने सचिव के लिये प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि मंत्री के आदेश अन्तिम होते हैं, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती । अगर माननीय सिंचाई मंत्री का यह तर्क मान लिया जाय तब तो वित्तीय अनुशासनहीनता पर कोई अंकुश नहीं लग सकेगा । श्रीमन्, अगर यह अवधारणा स्वीकार कर ली गयी और इन कार्यों पर कोई पाबन्दी न लगायी गयी, कोई रोक न लगायी गयी तो जिस तरह का ऐलान कोई मंत्री चाहेगा कर लिया करेगा और धनकामनमाना प्रयोग कर लेगा उस पर कोई पाबन्दी या रोक नहीं रहेगी । और इस तरह से विधान सभा की प्रासंगगिता पर प्रश्न चिह्न लग जायेगा ।

संविधान के अनुच्छेद 204 में स्पष्ट है कि अगर सरकार के किसी विभाग को जितना बजट अनुमोदित है उससे ज्यादा खर्च कर लेता है तो इसीलिये संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट लेता है और उसको पास कराया जाता है । किसी एक मद का पैसा किसी दूसरी मद में खर्च कर देना मिस एप्रोप्रिएशन आफ पब्लिक फण्ड है और यह मिस एप्रोप्रिएशन आफ पब्लिक फण्ड हुआ है । पिछली सरकार ने यह घटना की और हमारी सरकार ने इसे स्वीकार कि उस वित्तीय अनुशासन-हीनता हुई थी । आप देखें कि बड़े-बड़े लोग चाहे वे अधिकारी रहे हों, उनको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट प्रासीक्यूट करने जा रही है और उनके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 लाज हुई हैं ।

का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संविधान के अनुच्छेद 177 में यह व्यवस्था की गयी है कि एडवोकेट जनरल इस सदन में आयेगा और वह आकर वहां सलाह दे सकता है। नियमावली के नियम 3 के सब क्लाज (ला) को आप देखें कि उसमें एडवोकेट जनरल इस विधान सभा का सदस्य माना गया है। माननीय भूतपूर्व मंत्री, श्री लोकपति त्रिपाठी द्वारा 16 करोड़ रुपया अपनी पर्सनल जागीर की तरह खर्च किया था, आपने अपने उत्तर से उनके पापों पर परदा डालने का प्रयास किया है। यदि इस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश न लगा तो इसी तरह से वित्तीय अनुशासनहीनता होती रहेंगी।

इसीलिये मेरा निवेदन है कि आप एडवोकेट जनरल को विधान सभा में बुलवाइये और उनसे राय लीजिये कि यह मिस एप्रोप्रिएशन आफ पब्लिक फण्ड हुआ है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठिये।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

जो लोग इसमें अपराधी हैं चाहे वे सचिव हों, तत्कालीन सिंचाई मंत्री हों, उन्हें प्रासीक्यूट किया जाना चाहिये।

संविधान के आर्टिकिल 177 में यह व्यवस्था है और नियमावली के नियम 3 के के सब क्लाज (ला) में भी यह व्यवस्था है कि आप महाधिवक्ता की राय जानने से लिये बुला सकते हैं। आप केन्द्र के वित्त मंत्री से और वित्त मंत्रालय के इस बात में परामर्श लें और आखिर में आप जिस पीठ पर आसीन हैं, आपको अधिकार है--

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप माननीय तिवारी जी बैठिये।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

आपको अधिकार है कि हाऊस आफ कामन्स के स्पीकर के आप इस मामले का जिक्र करिये और उनकी भी सलाह आप इसमें ले सकते हैं।

यह कोई नई बात नहीं है। सन् 1957-62 तक से पीरियड में माननीय स्वर्गीय खेरासाहेब जो थे उन्होंने इस तरह के मामले उठाये जाने पर जब अपोजीशन के एक सदस्य ने उनकी व्यवस्था के असहमति प्रकट कर दी और उनसे अनुरोध किया कि इस पर वे हाऊस आफ कामन्स के स्पीकर की सलाह ले लें, तो उन्होंने उन्हें जनरल को चिट्ठी लिखी थी।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी, आप अपनी बात को कह चुके, अब आप कृपया बैठें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, इस मामले को आप गम्भीरता से लें और इस पर अपनी व्यवस्था दें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, कल मैंने प्रश्न किया था नत्थी (ग) अ तारांकित प्रश्न संख्या 8 में, कि पिछली सरकार के कार्यों को अगर आप देखें तो उसमें वित्तीय अनियमितता इतनी मिलेगी कि इनके मुंह पर कालिक पोत देनी चाहिये। केवल एक जगह 16 करोड़ की बाततिवारी जी ने कही, ऐसे जिलों का पैसा है जैसे कि सिद्धार्थनगर नया जिला है, ट्यूबवेल लगाने का पैसा--

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

फैजाबाद में नलकूप लगाने का पैसा है। यह सारा पैसा 1 करोड़ 20 लाख का केवल सिद्धार्थ नगर का है और यह पैसा कब लिया गया, जब चुनाव अपनी चरम सीमा पर थे और इस सम्बन्ध में जब सवाल किया गया कि कहां पर खर्च किया गया, तो उसका उत्तर नहीं दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि यह पैसा चुनाव में प्रयोग किया गया और जो हमारा जनप्रतिनिधि अधिनियम है, उसका उल्लंघन किया गया। अगर यह विनियमित कर लिया गया होता तो एक दूसरी बात थी, लेकिन वह विनियमित नहीं किया गया और मैं कहना चाहता हूं कि यह वित्तीय अनियमितता है। एक हजार पी0 एल0 ए0 खाते हैं और यह कहते रहे हैं कि बजट में कोई घाटा नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप एडवोकेट जनरल को बुला लें और उनकी राय आप जान लें। औचित्य के प्रश्न के माध्यम से यह मांग आयी है और मैं कहना चाहता हूं कि जिन जिलों का पैसा (लोकपति जी) तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने दूसरे जिलों में खर्च किया है, उसको वर्तमान सरकार को स्टेट सेक्टर से करना चाहिये।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

तिवारी जी ने और पान्डे जी ने जिला सेक्टर और राज्य सेक्टर में पैसा खर्च किये जाने की बात कही है और उस पर अपनी आपत्ति उठायी है यह बताया है कि यह वित्तीय अनियमितता है और एडवोकेट जनरल की इस पर राय लेनी चाहिये। मान्यवर, बजट में प्राविधान होता है विभाग के लिये और तिवारी जी विद्वान सदस्य हैं। राज्य सरकार को जिला सेक्टर का पैसा राज्य सेक्टर में और राज्य सेक्टर का पैसा जिला सेक्टर में तबदील करने का अधिकार है। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह ठीक है और फिर माननीय तिवारी जी और पाण्डे जी बड़े नियमों के जानकार हैं और उन्होंने नियम 38 का हवाला दिया और सुसंगत उत्तर होना चाहिये, और अगर सुसंगत उत्तर नहीं है, तो औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है और उसको उठाया नहीं जा सकता है। आपकी पीठ से व्यवस्थायें हैं उनमें इस बात का उल्लेख है कि किस तरह के प्रश्न को यहां पर उठाया जा सकता है। इसलिये यह औचित्य के रूप में नहीं आता है। हम यह मानते हैं कि राज्य सेक्टर का पैसा जिला सेक्टर का पैसा राज्य सेक्टर में नहीं खर्च किया जाना चाहिये। तिवारी जी की जो शंका है, वह उचित है। तिवारी जी ने एक विभाग को पकड़ लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि और भी विभागों में ऐसा हुआ है, जो नहीं होना चाहिये। चूंकि राज्य सरकार को अधिकार है कि वह परिवर्तन कर सकती है, इसलिये यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। परिवर्तन नहीं होना चाहिये, इससे हम सहमत हैं लेकिन यह प्रश्न औचित्य के प्रश्नों के अन्तर्गत नहीं आता है।

नियम 301 एवं 51 की सूचनाओं की ग्राह्यता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, नियम 301 और नियम 51 में करीब एक सप्ताह से लगातार सूचना दे रहा हूं। नियम 301 अन्तर्गत जो आप सूचना लेते हैं, वह लाटरी सिस्टम से निकाली जाती है। और बहुत सी ऐसी सूचनायें हैं जो बहुत ही आवश्यक, अविलम्बनीय और लोक महत्व की होती हैं। ऐसी सूचनायें लाटरी में नहीं निकल पाती हैं। जैसा नील गाय ने किसान के तीन बीघा खेत का गेहूं खा लिया है और लाखों रुपये की कीमत के किसान के 2 हजार बोरे आलू कोल्ड स्टोरेज मालिक द्वारा बेच लिये गये जिससे किसान को भारी क्षति हो गई, एक सूचना नहीं आ सकी है। इस प्रकार लाटरी से 301 के अन्तर्गत कम महत्व की सूचना आ जाती है और ज्यादा महत्वपूर्ण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सूचना नहीं आ पाती है । इसलिये जो 301 की सूचनायें लेने की व्यवस्था बनायी गई है इसमें संशोधन करने की जरूरत है । दूसरी तरफ हम नियम 51 के अन्तर्गत नोटिस देते हैं, एक सप्ताह से हम दे रहे हैं वह भी नहीं आ पायी . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया बैठ जांय । आपकी बात हमने समझ ली । नियम 301 में जो सूचनायें प्राप्त होती हैं उसमें लाटरी डालकर 7 सूचनायें चुनी जाती हैं । उसमें यदि दो-एक माननीय सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं तो हम उसके लिये एक प्रतीक्षा सूची बनाते हैं, उसमें से ले लेते हैं । यह शलोका के आधार पर किया जाता है । इसलिय इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं ।

(व्यवधान)

(श्री गोपीनाथ वर्मा के कुछ कहने पर)

हमने आपका आशय समझ लिया है । जहां तक नियम 51 की बात है उसमें अध्यक्ष जी निर्णय लेते हैं और माननीय अध्यक्ष के निर्णय को आप चुनौती नहीं दे सकते ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं । मैंने नियम 51 में सूचना दी थी, वह नहीं आ पायी ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने बताया कि नियम 301 के अन्तर्गत शलाका के आधार पर 7 सूचनायें निकाली जाती है । नियम 51 में अध्यक्ष का विवेक होता है और उसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं । इसलिये कृपया आप बैठ जांय ।

(श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट तथा श्री रविकन्त गर्ग के खड़े होकर कुछ कहने पर)

आप लोग बैठ जांय । हम नहीं सुनेंगे ।

(व्यवधान)

श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट—

हम अपनी बात बोलने के लिय खड़े होते हैं तो आप कहते हैं कि हम नही सुनेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई भी बात नियमों के अन्तर्गत ही कहनी चाहिए । हर बार सम्मानित सदस्य खड़े होते हैं और कहने लगते हैं तो इस तरह से अनुमति नहीं मिल सकती है ।

श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट—

[× × ×]

(व्यवधान)

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

दुबे जी, आप अध्यक्ष पीठ के ऊपर आक्षेप नहीं कर सकते । कृपया बैठ जांय । (श्री हरद्वार दुबे तथा श्री रविकान्त गर्ग के एक साथ बोलते रहने पर) । यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । कुछ नहीं लिखा जायगा । मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप कृपया बैठ जांय ।

मैंने आपकी भावनाओं और जजबात को अच्छी तरह से समझ लिया है । शलाका से निकालने की जो बात आपने बतायी है, उसके लिये नियम इस तरह सम्मानित सदन ने ही बनाये हैं और सर्वसम्मति से शलाका से निकालने के नियम बनाये हैं । जहां तक नियम 51 की बात है वह अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर होता है । मेरा निवेदन आप लोगों से यही है माननीय दुबे जी और माननीय वर्मा जो जो बड़े उद्वेलित हो रहे हैं विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष पीठ से निष्पक्ष और स्वतन्त्र निर्णय लिये जाते हैं । अध्यक्ष पीठ के लिये सभी माननीय सदस्य समान हैं (व्यवधान) माननीय दुबे जी अपने हृदय से यह धारणा बिल्कुल निकाल दें ।

श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट—

जितने दिन सदन चला है मैं अनुरोध करूंगा आप समिति बना कर जांच करवा लें नये विधायकों को नहीं सुना जाता है कुछ को छोड़ कर । मेरी व्यथा यही है कि नये सदस्यों की बात नहीं आती है और उन्हें खड़े होकर बोलने का मौका नहीं दिया जाता है हम इने गिने लोग हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता भाजपा से मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य को बैठा लें । कार्य-मंत्रणा समिति में आपके दल के सदस्य भी जाते हैं आप अपनी बात अपने दल के सदस्यों से कार्य-मंत्रणा समिति में रखवा सकते हैं, वहां कहलवा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, मैंने भी एक प्रस्ताव दिया है...

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो जिला स्तरीय पंच सम्मेलन 28 जून, 1990 की बात कही है उसमें इस माननीय सदन के सदस्य नहीं होते हैं यह औचित्य का प्रश्न नहीं है (व्यवधान) अगर कोई जिला स्तरीय समिति की बैठक होती है जिसमें माननीय सदस्य भी सदस्य होते हैं तो औचित्य का प्रश्न बनता है ।

श्री मुईद अहमद—

मैं पंच सम्मेलन की बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें तो आपने यही लिखा है 28 जून को जिलाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा पंच सम्मेलन बुलाया है ।

श्री मुईद अहमद—

जहां पर तमाम प्रधान इकट्ठा होते हैं...

संसदीय काय मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, आपकी व्यवस्था देने के बाद भी क्या आप सुनेंगे ?

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, इसमें तमाम प्रधान इक्ट्टे होते हैं बी0 डी0 सी0 की बैठकें होती हैं...

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुईद साहब आप बैठें आपकी सूचना जिला स्तरीय पंच सम्मेलन के सम्बन्ध में है बी0 डी0 सी0 आदि के सम्बन्ध में नहीं। तो इस पंच सम्मेलन में माननीय सदस्य नहीं होते हैं। यह औचित्य में नहीं आता है।

तो जो यह 300 के अन्तर्गत औचित्य की सूचनायें हैं माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री रविकन्त गर्ग, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री इम्तियाज मोहम्मद खां आदि की हैं, इनमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1989-90 का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री रुद्र प्रसाद--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1989-90 का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1989-90 का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री रुद्र प्रसाद--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1989-90 का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1989-90 का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री रुद्र प्रसाद--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1989-90 का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से निदेश संख्या 15 के अनुसार निम्नलिखित 10 सूचनायें चयनित की गई हैं :

1--(1) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम कुमार शुक्ल (2) श्री पंचानन राय	आजमगढ़ जनपद के ग्राम लोहरा में दिनांक 4 जुलाई, 1990 को हुए साम्प्रदायिक संघर्ष में पुलिस द्वारा गोली वर्षा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

†छापा नहीं गया।

2—डा0 सरजीत सिंह डंग, श्री बाल चन्द्र मिश्र	गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर के एनाटामी विभाग के छात्रों का शोषण एंव मानसिक उत्पीड़न किए जाने के सम्बन्ध में ।
3—श्री शिव प्रताप शुक्ल	दिनांक 1/2 जुलाई की रात में कैण्ट थाना गोरखपुर पुलिस द्वारा महेन्द्र सिंह की पीट-पीट कर की गई कथित हत्या के सम्बन्ध में ।
4—श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा	रेलवे द्वारा सरकारी खजानों को भेजे जाने वाले करोड़ों रुपये के जनरल स्टैम्प पेपरों की चोरी से राजस्व को हो रही क्षति के सम्बन्ध में ।
5—श्री रवीन्द्र शुक्ल, श्री अरविन्द कुमार, श्री तीरथ राज	झांसी में अवैध अतिक्रमण के कारण समाप्त हो रही ऐतिहासिक धरोहर के कारण जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में ।
6—(1) श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, (2) श्री कुंवर सिंह नेगी	दिनांक 5 जुलाई, 1990 को जयनारायण डिग्री कालेज, लखनऊ के प्राचार्य पर नकलची छात्रों द्वारा किए गए प्राण घातक हमले के सम्बन्ध में ।
7—श्री रामरती विन्द, श्री मिठाई लाल शास्त्री	लखनऊ स्थित इन्दिरा नगर के ग्राम ककरौली में भुनेश्वर नामक हरिजन को आवंटित भूमि पर कब्जा न मिलने के सम्बन्ध में ।
8—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)	दिनांक 1 जुलाई, 1990 को बाराबंकी जनपद के ग्राम अल्हापुर में पुलिस के आंतक से गांव वासियों मे व्याप्त असुरक्षा एवं असंतोष के सम्बन्ध में ।
9—श्री अकबर हुसैन बाबर, डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री राजकिशोर सिंह, श्री ऊबल, श्री राम प्रसाद, श्री मंजूर	मुस्लिम सन्त मौलाना नसीर अहमद किरमानी की गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
10—(1) श्री प्रमोद कुमार, (2) श्री देवकुमार यादव	गत एक माह से दैनिक उपभोग की वस्तुओं की अनुपलब्धता, विशेष रूप से पेट्रोल, डीजल मिट्टी का तेल की चोर बाजारी से जन-जीवन को हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में ।

*श्री भोला पाण्डेय--

मुझे सुनने के लिए कहा था ।

श्री उपाध्यक्ष--

एजेन्डे में जब नम्बर आयेगा तो आपको सुनेंगे । आप बैठ जायं । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ।

*श्री मुईद अहमद--

व्यवस्थ का प्रश्न है । जो मेरा नियम 200 में दूसरा मुद्दा है कि जिलाधिकारी द्वारा अध्यक्षता करना, यह भी औचित्य के प्रश्न में आता है । जब बारबार इस पीठ से निर्देश हो चुके हैं, सरकार की घोषणायें हो चुकी हैं, आश्वासन हो चुका है कि जिलाधिकारी किसी मीटिंग की अध्यक्षता नहीं करेंगे, इस पर व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी सूचना आप अलग से दें ।

(व्यवधान)

आप बैठ जायं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अपने देश में सर्वधर्म सम्भाव स्वीकार किया है, इसलिए उपासना करने की आजादी है, लेकिन दुख तब होता है जब सभी को न्याय देने के बजाए किसी वर्ग विशेष को राजनीतिक आधार पर तुष्ट करने की कोशिश की जाती है । इससे देश और प्रदेश को खतरा पदा हो गया है । मान्यवर, इसी महीने की 4 तारीख को आजमगढ़ जनपद के ग्राम लोहरा में कांड इस तरह का हुआ कि वहां पहले पशुवध नहीं होता था लेकिन पिछले साल कुछ शरारती तत्वों ने पशुवध सार्वजनिक स्थान पर किया जबकि सार्वजनिक स्थान पर पशुवध करना मना है । हमारे पार्टी के नेता श्री कलराज मिश्र वहां गए थे और तय हुआ था कि सार्वजनिक स्थान पर पशुवध नहीं होगा बल्कि इब्राहिमपुर जहां स्लाटर हाऊस है वहां पशुवध किया जायेगा किन्तु वहां के थानाध्यक्ष ने जानबूझकर लोगों को प्रेरित किया कि सार्वजनिक स्थान पर पशुवध किया जाये जिससे वहां लोग इकट्ठा हुए, चूंकी वहां पशुवध करने से लोगों में असंतोष हुआ और जो यहां के लोग शांतिपूर्वक इस बात पर बल देते थे कि सार्वजनिक स्थान पर पशुवध न किया जाये, तो वहां की पुलिस ने उन पर फायरिंग किया और लाठी चार्ज किया जिससे पूरे गांव के लोग गांव खाली करके भाग गये हैं और छोटे-छोटे बच्चे एवं लड़कियां गायब हैं तथा गांव में आतंक व्याप्त है । इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुए चाहता हूं कि सभी को न्याय देने के बजाए किसी वर्ग विशेष को राजनीतिक आधार पर तुष्ट करने की जो कोशिश की जा रही है इससे देश और प्रदेश में गम्भीर खतरा पैदा हो गया है, इसलिए इस नीति सम्बन्धी प्रस्ताव पर सभी कार्य रोक कर आप चर्चा करायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, कहीं पर भी साम्प्रदायिक तनाव होने पर हर उस आदमी के लिए दुखद है, जिसका धर्म निरपेक्षता में विश्वास है। लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्य मंत्री जी साम्प्रदायिक तत्वों के सहारे राज्य चला रहे हैं। मान्यवर, उनकी मजबूरी कुछ भी हो, लेकिन इस प्रदेश में और इस देश में अल्पसंख्यकों को भी अपना धर्म अपनाने और पालन करने का तथा अपने त्योहार मानने का अधिकार है। वहां पर घटना हुई है और साम्प्रदायिक तत्व उसे तरह-तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ विश्व हिन्दू परिषद् के लोग भी वहां गये थे, उन्होंने उसको भड़काया। झगड़ा तो वहां गांव में रहने वालों के बीच है, लेकिन यह सही है कि वहां पर साम्प्रदायिक भावना पैदा की गयी है। अल्पसंख्यकों के त्यौहार मनाने में बाधा डालने का प्रयास किया गया और उससे वहाँ पर यह घटना हुई है और मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी उसके सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें।

*श्री राम कुमार शुक्ल--

मान्यवर, यह जो आजमगढ़ में घटना हुई है, यह वहां तक सीमित नहीं है। यह तो वहां का मामला है इसलिए यहां कह रहे हैं। लेकिन यह स्थिति पूरे प्रदेश की है, और हर ईद और बकरीद की यह बात है। लखनऊ में ही यहां हमने प्रायः देखा है कि सड़क किनारे दुकान है और वहीं सड़क पर बकरे वह काट रहे हैं। यह बहुत लोगों को नागवार लगता है और उन लोगों को इससे बहुत तकलीफ होती है, जो मांस नहीं खाते हैं। यह जो अवैध कार्य खुले आम हो रहा है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जब उसकी एक जगह निश्चित है तो इस तरह खुले में सार्वजनिक स्थानों पर बकरे काटने में अवैध कार्य पर रोक लगनी चाहिए। उस गांव में यह हुआ है और सभी जगह इस चीज का उल्लंघन हो रहा है इस गलत कार्य को जब कुछ लोग देख नहीं सके, तो उन्होंने उसका विरोध किया, और जब विरोध किया तो पुलिस ने, जिसको इस गलत कार्य के लिए मना करना चाहिए, जनता पर लाठी चार्ज किया और गोलियां चलाईं। तो मान्यवर, क्या किसी गलत काम को रोकना भी साम्प्रदायिकता है? वहां यही कुछ लोगों ने कहा था कि सामूहिक वध नहीं होना चाहिए

(व्यवधान)

यह तो केवल एक चिंगारी है, अब यह पूरे प्रदेश में फैल रही है

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

राम कुमार शुक्ला जी अब आप बैठें।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, यह पूरे सदन को प्रशंसा करना चाहिए कि अबकी बार बकरीद का त्यौहार बहुत शान्तिपूर्वक पूरे प्रदेश में सम्पन्न हो गया है। आजमगढ़ की जिस घटना की ओर ध्यान राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने आकर्षित किया, उस सम्बन्ध में मैं कोई चीज छिपाऊंगा नहीं। ग्राम लोहरा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ में ईदज्जुहा की नमाज के पश्चात्, एक सम्प्रदाय के लोगों द्वारा जब कुर्बानी देना प्रारम्भ किया गया तो दूसरे धर्म के लोगों ने उसका विरोध किया और एक नलकूप में आग लगा दी और तीन घरों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में भी उनके द्वारा आग लगा दी गई । इसमें बहुसंख्यक वर्ग के कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें पुलिस कर्मियों और थानाध्यक्ष मुबारकपुर को चोट भी आई । उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस भी प्रयोग किया गया और उससे भी भीड़ पर काबू न मिलने पर पुलिस को 4 राउन्ड हवाई फायर भी करने पड़े । पुलिस कार्यवाही में किसी व्यक्ति का कोई चोट लगने की सूचना नहीं है स्थिति वहां पर तनावपूर्ण होते हुए भी नियन्त्रण में है ।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

नहीं, स्थिति सामान्य है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

इसमें 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । श्रीमन्, ग्राम लोहरा में कुर्बानी के मसले को लेकर अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच विवाद बहुत दिनों से चलाया जा रहा है । कुछ चलता है और कुछ चलाया जाता है । 1989 में भी यह मामला हुआ था । इस पृष्ठ भूमि में जिला प्रशासन ने गांव में समुचित पुलिस की व्यवस्था आज भी कर रखी है । फिर भी हम चाहते हैं कि सरकार पर सभी सम्प्रदाय के लोगों का पूरी तरह विश्वास रहे । जो भी सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी हैं वे पूरी निष्ठा से लोगों की सेवा करें, हुकूमत न करें । कुछ गल्तियां वहां पर की गयी हैं उसके परिणामस्वरूप आर0 टी0 प्रसाद, एस0 डी0 एम0 और श्याम पाल, पुलिस अधीक्षक को निलम्बित कर दिया गया है । हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी पहले कह चुके हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं । कोई भी गलती करेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । जो लोग इस तरह की साम्प्रदायिक भावना को भड़काते हैं, शान्ति व्यवस्था को भंग करते हैं, उनके खिलाफ सरकार कड़े कदम उठायेगी और आवश्यकता होने पर कार्यवाही करेगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने सारे तथ्य सदन के समक्ष रख दिये, मुझे आवश्यकता नहीं थी बोलने की लेकिन माननीय पंचानन राय जी ने एक ऐसा सवाल, उठा दिया है कि हम साम्प्रदायिक तत्वों के बल पर सरकार चला रहे हैं, जहां तक इस घटना का सवाल है, यह हमने पहले कहा है कि जहां साम्प्रदायिक तत्व होंगे या दंगे उसके लिए उस जिले के अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट जिम्मेदार ठहराये जायेंगे । वहां पर एस0 डी0 एम0 और डिप्टी एस0 पी0 होते हुए भी एक मामूली आग लगी है तो उनकी लापरवाही हमने मानी और उन दोनों को मुअत्तल कर दिया । प्रमोद तिवारी जी जाति का नाम ले रहे हैं । चाहे वह किसी भी जाति के हों, यादव हों चाहे पांडे हों, कानून के सामने बराबर हैं । संविधान को अंगूठा दिखाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी । अब वहां पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है । लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस व्यवस्था कर दी गयी है माननीय पंचानन राय जी कहते हैं कि हम साम्प्रदायिक ताकतों के बल पर सरकार चला रहे हैं । वह इतिहास भूल रहे हैं । वह सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों में से हैं और तैयारी करके बोलते हैं इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । तो याद कीजिये कि साम्प्रदायिक ताकतों को इस देश में किसने बढ़ाया । नम्बूदरीपाद की सरकार को गिराकर सरकार किसने बनायी ? पंजाब में किसने बढ़ाया भिण्डरावाले को ? (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) फारूक अब्दुल्ला सरकार को गिराकर काश्मीर में सम्प्रदायिक तत्वों को किसने बढ़ाया ? यहीं पूरा इतिहास देखिये, आजादी के बाद से

अगर आप मेरे सहयोगियों की तरफ उंगली करते हैं तो अपनी तरफ भी देखिये, आपकी सरकार की वजह से हमारे देश की सीमा सिकुड़ी है । इसके लिए कौन जिम्मेदार है क्या भारतीय जनता पार्टी या हमारा दल । आपकी सरकार ने साम्प्रदायिक ताकतों को का बढ़ावा दिया है ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, पंचानन राय जी ने कहा कि आप साम्प्रदायिक तत्वों के सहारे सरकार चला रहे हैं । आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जिसमें साम्प्रदायिक तत्व शामिल न हों ।

डाक्टर सुरजीत सिंह डंग--

मान्यवर, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर में कथूरिया आत्महत्या काण्ड हुआ था । उसके विरोध में वहां पर डाक्टरों ने अन्दोलन किया, सरकार ने उसमें इन्टरफेयरेन्स किया । वहां के प्रधानाचार्य को हटाया कार्यवाहक प्रधानाचार्य डाक्टर दयाल को बनाया गया डाक्टर दयाल इस आन्दोलन पर नियंत्रण नहीं कर सके, तो एनाटामी का हेड उनको बना दिया गया । मान्यवर पहली अप्रैल को परिणाम निकला और 180 में से 81 विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण कर दिया, बहुसंख्यकों ने शून्य अंक प्राप्त किए । जितने मेडिकल कालेज भारत में हैं यह पहली घटना है । छात्रों के मन में रोष व्याप्त है उनका गुरुजनों से विश्वास उठ गया है वह गुरुजनों से नाराज हैं । जिस तरह से बदले की भावना से अत्याचार किया गया है उससे पूरे विद्यार्थियों के मन में आग भरी हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समाप्त करें ।

डाक्टर सुरजीत सिंह डंग--

छात्र बहुत क्षुब्ध हैं और हो सकता है वह हड़ताल कर दें इससे मेडिकल कालेज बन्द हो सकते हैं । इसमें चर्चा कराई जाए ताकि कोई बदले की भावना से किसी पर अत्याचार न कर सके, किसी को उत्पीड़ित न कर सके ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र--

यह कानपुर मेडिकल कालेज की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसीलिए तो आपको बुलवा रहा हूं वरना तो डंग साहब कह चुके थे । एक मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र--

कानपुर मेडिकल कालेज के कथूरिया हत्या कांड के बारे में कहना चाहता हूं । डाक्टर कथूरिया की पत्नी के साथ बुरी दृष्टि रखकर दबाव डालने का प्रयास किया गया, वहां के प्रोफेसर द्वारा । जब उनको कोई पांजिटिव रेसपांस नहीं मिला तो उनको फेल करने की योजना बनाई गई । जब यह जानकारी डाक्टर कथूरिया को हुई तो

उन्होंने पाइजनस इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में आन्दोलन हुआ, तो शासन की तरफ से सावधानी बरती जानी चाहिए, जैसा कथूरिया कांड में हुआ वहां के प्रोफेसर किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं—

श्री उपाध्यक्ष—

अब खत्म करें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र—

मेरा निवेदन है मुख्य मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इसकी गम्भीरता को समझें । अतः मान्यवर आप सदन की कार्यवाही को रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराएं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

मैं ऐसे इंस्पेक्टर की कहानी कहने जा रहा हूं जिसके शरीर पर पुलिस की वर्दी शोभा नहीं देती है । रामाधारे यादव कैन्ट गोरखपुर के इंसपेक्टर ने पहली जुलाई की रात को महेन्द्र सिंह, श्री हर नारायण का पुत्र था और रमपुरा कारखाना जिला देवरिया का रहने वाला था, नाम के लड़के को गिरफ्तार किया और उसके बाद गोरखपुर कैन्ट के थाने में उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद उस लाश को सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और इसको अज्ञात मौत बताया गया और सुबह दस बजे के पहले सदन अस्पताल के लाशघर से जबकि किसी को लाश नहीं मिलती है । पुलिस के लोगों ने 6 बजे सुबह उस लाश का पंचनामा बनाकर उसे कब्जे में ले लिया । पत्रकार लोग वहां थे उन्होंने पत्रकारों को उसकी फोटो भी नहीं लेने दी—

श्री उपाध्यक्ष—

स्थान ग्रहण करें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

इसी तरह से अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कराया गया अधिवक्ताओं को अपने हाथों से पीटा, इसमें न्यायिक इन्क्वायरी चल रही है ।

मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले एक आदमी के यहां शादी हो रही थी और जिसके यहां का व्यक्ति ब्रेन ट्यूमर की बिमारी में संजय गांधी इंस्टटीट्यूट में भर्ती है उसके घर में छापा मार कर गहने और 25 हजार रुपये छीन लिए इसकी सूचना मैंने मुख्य मंत्री को दिया था । तो इस प्रकार की घटना जो घटित हुई है जिसमें एक आदमी को पकड़ कर हत्या कर दी गई है यह बड़ी ही अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना है । मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री कोई सूचना उपलब्ध हो तो उत्तर दे दें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

मान्यवर, नासिक रोड से फैजाबाद के सरकारी खजाने में रेलवे द्वारा लकड़ी की पेटियों में स्टाम्प पेपर्स भेजे गए थे वह जब वहां पहुंचे तो जब पहली पेटी खोली गई तो उसमें स्टाम्प पेपर की जगह सीमेंट की छड़ें और अन्यान्य अनावश्यक वस्तुयें मिलें ।

जब आकलन किया गया तो लेखाधिकारी और दूसरे अधिकारियों ने पाया था कि इस पेटी में से 75 हजार रुपये के स्टाम्प पेपर्स गायब थे। इस चीज को देखकर कुछ उन अधिकारियों ने अन्य पेटियों को खोलने से रोक दिया और रेलवे के अधिकारियों को सूचित किया।

मान्यवर, कुछ माह पहले भी 18 लाख रुपये के जनरल स्टाम्प पेपर गायब पाये गये थे। यह सिर्फ फैजाबाद की घटना नहीं है। प्रदेश के अन्य जिलों में इसी प्रकार की घटनायें हुई हैं और हो रही हैं। इसकी पूरी सम्भावना है और जैसा कि बताया जाता है विगत 3 वर्षों के अन्दर 6-7 करोड़ रुपये के स्टाम्प पेपर्स की चोरी होने की घटना प्रकाश में आयी है। यह एक व्यक्तिगत नुकसान का प्रश्न नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय क्षति है। अगर इसको न रोका गया तो निश्चित रूप से जो संसाधनों की कमी है और उत्तर प्रदेश का विकास रुका है उसमें बाधा बनी रहेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना को लाते हुये मां० करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय और सख्त कार्यवाही की जाय ताकि इस प्रकार से हो रहे बड़ी चोरियों को रोका जा सके।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर कुछ उत्तर देना चाहेंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, श्याम देव राय चौधरी ने जो प्रश्न उठाया वह गम्भीर प्रश्न है। इस तरह से रेलवे में चोरी होना, 18-18 लाख रुपये के स्टाम्प पेपर की चोरी को आसानी से नहीं लिया जा सकता। अभी मेरी मुख्य मंत्री जी से राय हुई, इस मामले की जांच सी० आई० डी० से करायी जाएगी। हम यह भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी सी० आई० डी० रिपोर्ट प्राप्त हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य-स्थगन की जो यह 10 सूचनायें हैं इनमें से आखिरी 5 के ऊपर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल--

मान्यवर, मेरी सूचना भी है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बोलिये।

*श्री रवीन्द्र शुक्ल--

मान्यवर, झांसी नगर एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। झांसी के किले के पास तमाम जमीन पड़ी है जिससे झांसी की स्मृतियां जुड़ी हैं। मान्यवर, इस समय वहां पर अतिक्रमण का एक जोर आया है और एक माफिया गिरोह सक्रिय हो गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम किला करा सकता हूं, इस तरह की रजिस्ट्रियां वहां हो रही हैं। झांसी की रानी की सहयोगी झलकारी बाई की समाधि झांसी के किले के पास थी तो वहां पर एक कब्र बना दी गयी और वहां एक कब्रिस्तान चोरी-चोरी उत्पन्न हो रहा है। जब वहां पर इसका विरोध हुआ तो कार्य रोक दिया गया था लेकिन यह कार्य फिर प्रारम्भ हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इसके बाद किले की दीवार के बाहर बिलकुल करीब से लगी हुई जगह पर किले के चारों तरफ लोग मजार बना कर अवैध कब्जा कर रहे हैं। मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर, अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। मान्यवर, सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय। मान्यवर, इसकी सारी जिम्मेदारी शासन पर है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, यह पुरातत्व विभाग के निदेशक द्वारा सूचित किया गया है कि जनपद झांसी स्थित सम्बन्धित स्मारक बरुआ सागर को सुरक्षित घोषित किया गया है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल--

मान्यवर, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं झांसी की बात कर रहा हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

उसकी सूचना हमारे पास नहीं है। आपकी सूचना भी जो है, वह भी पुरातत्व विभाग से ही सम्बन्धित है। पुरातत्व विभाग की अनुमति के और कोई ऐसा कार्य हो रहा है, तो उसे रोक दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)--

मान्यवर, मेरी भी सूचना है :

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित कर लिया गया है।

आप बैठिये।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि 1 तारीख को बाराबंकी से तीन किलो मीटर दूर आल्हापुर गांव के अन्दर कोतवाली के इन्सपेक्टर श्री के0 के0 सिंह गांव में घुस कर गांव के लोगों को मारा-पीटा और महिलाओं के साथ बलात्कार किया और एक जुबेर नाम के व्यक्ति को पकड़ कर कोतवाली ले गये, उसे फिर डाक्टर के पास ले गए, डाक्टर ने उसकी गम्भीर हालत बताया, तो उसे मेडिकल कालेज में पुलिस के पहरे में भर्ती कराया। मान्यवर, उसकी हालत बहुत गम्भीर है। मान्यवर, यह मामला अत्यन्त गम्भीर और लोक महत्व का है। मान्यवर, इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय दीक्षित जी, आपकी बात पूरी हो गई। आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)--

मान्यवर, उस इन्सपेक्टर के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाय, ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, जो माननीय दीक्षित जी ने सूचना दी है, उसकी गम्भीरता को देखते हुए, उसे दिखवा लूंगा।

(व्यवधान)

श्री भोला पाण्डेय--

मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग का बजट पेश हो रहा था तो सदन के सारे सदस्यों ने इस बात की चिन्ता व्यक्त की थी कि पूरे सूबे में जहां-जहां परीक्षाएं हो रही हैं वहां नकल को रोका जाय। मान्यवर, कल जय नरायन डिग्री कालेज के अन्दर एक अप्रिय घटना हुई। मान्यवर, नकल रोकने के संदर्भ में वहां के प्राचार्य राउन्ड लगाकर नकल रोकने का प्रयास कर रहे थे। वहां कुछ लोगों ने उनके सर पर पत्थर मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। वह घायल अवस्था में सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। यह गम्भीर रूप से प्राण घातक हमला किया गया है। यह बड़ा ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।

(व्यवधान)

*श्री शारदा प्रसाद शुक्ला--

मान्यवर, पत्थर इन्होंने ही मरवाया है, कांग्रेस छात्र संगठन के लोगों ने मारा है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

शुक्ला जी, आप बैठें।

श्री भोला पाण्डेय--

मान्यवर, इस तरह से जो अप्रिय घटना घट रही है सरकार उस पर अंकुश लगाने का निर्देश दे, वर्ना हो सकता है कि पूरे सूबे का जो बुद्धिजीवी तबका है, शिक्षक तबका है वह सड़क पर आकर अपनी सुरक्षा के लिए आन्दोलनरत हो जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, जब भोला पाण्डेय जी को सुन ही लिया है तो मुझको भी सुन लें।

मान्यवर, जय नारायण डिग्री कालेज में 5 जुलाई, 1990 को बी0 काम0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा हो रही थी। प्रधानाचार्य अन्य शिक्षकों के साथ राउन्ड पर थे। कमरा नम्बर 33 में प्रधानाचार्य के पहुंचने पर किसी ने उनके सिर पर पत्थर मारा जिससे उन्हें चोट आयी और छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। मौके पर सी0 ओ0, हजरतगंज व ए0 डी0 एम0 पुलिस कर्मियों के साथ उपस्थित थे। स्थिति पर तत्काल नियंत्रण पा लिया गया है। कालेज परिसर में स्थिति सामान्य है और परीक्षाएं सामान्य क्रम से चल रही हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है और उसकी विवेचना हो रही है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

(व्यवधान)

---

*सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें ।

नोटिस में माननीय कुंवर सिंह नेगी का नाम है । माननीय बाबर साहब, गर्ग साहब आप बात तो सुनें । चूंकि आपका नाम नोटिस में नहीं है, माननीय नेगी जी का नाम नोटिस में है इसलिए उनको बुलवा दिया गया ।

*श्री अकबर हुसैन बाबर—

मान्यवर, आपने 5 सूचनाओं को ग्राह्य किया था कि 5 सूचनाओं को सुनेंगे और पांच सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया था । आपको 5 सूचनाओं को सुनना था आपने । छठवीं सुन ली, फिर सातवीं सुनी । आप जो फैसला करते हैं उसको किन परिस्थितियों में बदलते हैं ? [× × ×]

(व्यवधान)

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

आप मेरी बात सुन लें, माननीय बाबर साहब और राम गोविन्द चौधरी जी, माननीय भोला पाण्डेय जी ने नियम 311 में सूचना दी थी तो इन्होंने जब नियम 311 में मामला उठाया तो मैंने कह दिया था कि इसे नियम 56 में सुन लेंगे, इसलिए मैंने भोला पाण्डेय जी को सुन लिया । उसमें माननीय कृष्ण स्वरूप वैश्य और कुंवर सिंह नेगी जी का नाम भी था, उनकी बात भी उसमें आ गयी । यह तो ठीक है कि नहीं लेना चाहिए था । चूंकि परिस्थितियां थीं कि लोकल मामला था, लखनऊ का था, छात्रों और विद्यार्थियों का मामला था, इसलिए इसको ले लिया और माननीय मंत्री जी की तरफ से उत्तर आ गया । नेगी जी, अब कौन सी बात रह गयी आप बैठें । अब किसी को बोलने का समय नहीं दूंगा । मैंने पांचवी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है । पहली सूचना पर शासन का उत्तर आ गया है । दूसरी सूचना जो डा0 सुरजीत सिंह डंग और श्री बालचन्द्र मिश्र की है । यह एकेडेमिक मामला है । यह अस्वीकृत हुआ । इस पर स्वास्थ्य मंत्री चाहें तो अपने स्तर पर देख सकते हैं । माननीय शिव प्रताप शुक्ल वाले मामले पर शासन के वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है और शेष सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह बता दें कि किस बात पर ध्यान आकृष्ट किया है, विषय तो बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

विषय के सम्बन्ध में एक कापी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास रहती है । उनको विषय मालूम है ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, विषय तो बता दें । ऐसे तो विषय आप जानते हैं या शासन जानता है । अगर कोई सदस्य कोई विषय उठाता है तो वह पूरे सदन की बात हो जाती है ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह प्रकरण पढ़कर सुना दिया । माननीय विधायकगण बैठ जांय । जिस विषय के लिये पूरा सदन चिंतित है, उसको चलने दें ।

श्री अनिल कुमार सिंह यादव स0 वि0 सभा पर गोली से हुए हमले के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

(क्रमागत)

श्री लटूरी सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज सुबह साढ़े सात बजे विधायक श्री अनिल कुमार सिंह यादव निधौली से अपने घर रामनगर जा रहे थे । रास्ते में उन पर दो जीपों से हमला हुआ । उन जीपों पर दो पुलिस कान्स्टेबिल भी थे । अनिल को लगभग 5 किलोमीटर तक खदेड़ा गया । उनकी गाड़ी नयी होने के कारण वे बच निकलने में सफल हो गये । उन पर लगभग 250 फायर हुए । वे सिर्फ भगवान की कृपा से बच गये । मैंने इस पर 27 तारीख को चर्चा की मांग की थी । आपने आधे घंटे की चर्चा दी थी, जिस पर कल चर्चा हुई उस समय भी माननीय अनिल जी ने कहा था कि वहां का एस0 पी0, एटा उनको मरवा देगा, लेकिन उनके लिये कोई प्रबन्ध नहीं हुआ । इस सम्बन्ध में मैं स्वयं भी गया था तो वहां पर उनका गनर तोड़ने की बात पता चली, मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के ऐसे आदेश हैं । मैंने कहा कि मुख्य मंत्री जी के ऐसे आदेश नहीं होंगे । मैंने एतराज भी जाहिर किया, लेकिन 3 तारीख को मुख्य मंत्री जी ने वायरलेस कर दिया कि इनका गनर न तोड़ा जाय । लेकिन एस0 पी0 ने कोई ध्यान नहीं दिया । तेईस तारीख को थाना इंचार्ज सिकन्दरपुर बैस ने लालाराम यादव को गोली मार दिया उसके भाई को भी गोली से मारने का प्रयास किया, लेकिन वह बच गया । पुलिस वाले तो मृतक की लाश भी ले जा रहे थे, लेकिन जनता के कारण नहीं ले जा सके । सुबह वहां पर इतनी भीड़ हो गयी कि कम से कम 10 हजार व्यक्ति एकत्र हो गये । उस समय थाने की पुलिस जबरन लाभ उठाने आयी । जनता ने मार-पीट कर दी । यह माननीय देवेन्द्र सिंह, विधायक के क्षेत्र की बात है । उसके बाद मेरे

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

पास सूचना भेजी, मैं भी आया, अनिल जी भी आये । जो मौजूदा एस0 एस0 पी0 हैं, उसने किसी कीमत पर थानेदार के खिलाफ मुकदमा न दायर करने की बात कही । जब वहां जनता पहुंच गयी, तमाम तरह की बातें हुई । तो उसने पहले थानेदार से अपनी मारपीट का मुकदमा पहले दायर करा दिया फिर 302 में, जब जनता तुल गयी कि हम पीछे नहीं हटेंगे थानेदार को जेल भेजना होगा उसके खिलाफ मुकदमा दायर कराना होगा चाहे हम लोगों को जितनी मौतें हो जायं, हम किसी कीमत पर कदम पीछे नहीं हटायेंगे, लगभग 20 हजार जनता वहां इकट्ठा हुई थी, तब एस0 एस0 पी0 ने मजबूर होकर थानेदार के खिलाफ मुकदमा दायर कराया । थानेदार को जेल भेजा गया । दूसरे दिन इतवार था, सोमवार को उसको बेल हो गयी । जबकि इसी मुकदमें में एक दरोगा और फंसा है उसको नहीं छोड़ा गया । वहां चाकरपुर की जनता पुलिस से इतना घबरा गयी है कि मैं क्या कहूं ।

मैं परसों घर गया था, मेरे पास कोठी पर वहां के लोग आये थे कि हमारी बड़ी मजबूरी हो रही है । तो फिर मैंने डी0 एम0 से कहा कि कम से कम एस0 एस0

पी0 के अत्याचारों को रोकिये । पूरे जिले म बड़ा गड़बड़ वातावरण इस एस0 एस0 पी0 ने उपस्थित कर दिया है । मैं बताना चाहता हूं कि पहले इस एस0 एस0 पी0 का ट्रांसफर कर दिया गया था, फिर जनता दल के विधायकों के कहने से उनका ट्रान्सफर कर रोक दिया था । तब से यह बिल्कुल एक तरफा हो गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

मान्यवर, यह कौन सा तरीका है, अब मंत्री जी खड़े हो गये, पहले विधायक की बात तो पूरी सुन लीजिये ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न आपकी तरफ से भी उठता है, हमारा भी अधिकार है । आपको नाराज होने की जरूरत कतई नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री लटूरी सिंह—

जनपद एटा में तीन विधायक कांग्रेस के हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप एक मिनट में अपनी बात खत्म कीजिये ।

श्री लटूरी सिंह—

यानि हम तीन विधायक कांग्रेस के हैं हमारे पास एक-एक गनर तीनों के पास हैं । उन दोनों विधायकों का गनर एस0 एस0 पी0 विड्रा कर रहा है यह बात हाउस में ता0 26 जून को उठाई गयी जिस पर आधा घंटे की चर्चा का समय मिला । मुख्य मंत्री ने 3-6 को एस0 एस0 पी0 को वायरलेस करा दिया कि गनर न हटाया जाय । उन दोनों विधायकों का विथड्रा करने की बात हो रही थी तो बात उठायी गयी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वायरलेस कर दिया था । उसी एटा में एक्स0 एम0 पी0 जनता दल मौजूदा विधायक जनता दल या बी0 जे0 पी0 सबके पास एक-एक शंडो और एक-एक गनर हैं । मुख्यमंत्री जी इसको देखकर बता देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपकी बात पूरी हो गई । अब आप समाप्त कर दें ।

श्री लटूरी सिंह--

27 तारीख को चर्चा तय हुई थी वह 5-6 में चर्चा हुई उसमें अनिल ने सुरक्षा की मांग की थी फिर भी 6-7 में एस0 एस0 पी0 ने यह ड्रामा करा दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपकी बात पूरी हो गई, अब आप बैठें।

श्री लटूरी सिंह--

एटा एस0 एस0 पी0 कांग्रेसियों के पीछे पड़कर रह गया है वह मालूम नहीं कितने बड़े घाटे में पहुंचा देगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उसको तुरन्त सस्पेंड करें, उसका ट्रांसफर वहां से करें। नहीं तो मैं समझता हूं कि हम लोगों के ऊपर क्या गुजरेगी उसका पता नहीं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, 311 में सूचना दी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय उप नेता से अनुरोध करूंगा कि सबको बिठायें, यह गलत है।

(व्यवधान)

माननीय लटूरी सिंह जी, आप लोग सुन तो लें, पहले बैठें आपने एक जिम्मेदारी ली थी, यह तय हुआ था कि कोई और नहीं बोलेगा।

श्री लटूरी सिंह--

मान्यवर, एक पत्र मैं सुरक्षा के सम्बन्ध में आपको भेज रहा हूं।

(श्री लटूरी सिंह ने स्वयं जाकर उसी वक्त पत्र श्री उपाध्यक्ष को दिया

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, वह सदन को सूचना दे रहे हैं। आप लोग कृपया बैठ जाइये। विद्यार्थी जी आप भी बैठ जाइये।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो इसके पक्षधर रहे हैं कि सदन में कभी भी किसी विधायक के साथ कोई दुर्व्यवहार हो, उत्पीड़न हो या हमला हो, सारा सदन उसके साथ हो, लेकिन माननीय उप नेता जी ने और उनके साथियों ने

ऐसा वातावरण पैदा किया है, असत्य सामने रखकर, कि वह सदन की सहानुभूति भी नहीं ले पाये । पिछली कार्यवाहियों में आप देखेंगे, मैंने कहा है कि कोई भी विधायक हो, सदन में उसके लिए सबकी सहानुभूति रहेगी । तो मान्यवर, अभी उप नेता जी ने जो आरोप लगाया था कि उनके लिखने पर भी उनको गनर नहीं दिया गया और सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया गया, आप कार्यवही देख लें । वह बात माननीय लटूरी सिंह ने कह दिया कि हम तीनों के पास गनर हैं, एक बात तो उनकी यही झूठ निकल गई । हमने कहा था कि सूचना शासन को नहीं है, सरकार को सूचना नहीं है, तो पता नहीं कि आज उप नेता गुस्से में क्यों हैं, घर से क्यों गुस्सा होकर आये हैं ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

मान्यवर, माननीय नेता सदन का वही आदर करता हूं, जो मैंने पत्र लिखा है, उसमें यह नहीं लिखा है कि हमको गनर नहीं दिए हैं, गनर तो मौजूद था । अभी माननीय सदस्य ने कहा कि आपने वायरलेस किया था कि इनके गनर न लिए जायें । कल भी मैंने कारागार नियोजन मंत्री से यही कहा था कि जो नियम बनाये हैं, उनका पालन तो करिये, अगर आपके नियम में न आते हों, तो न दीजिये । मैंने उदाहरण सहित लेटर दिया था, आपने इनफारमेशन भेजी, उन लोगों की तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं, भले ही विधायक ने उनको रिलीज नहीं किया है, जबकि जिला प्रशासन यह कोशिश कर रहा है कि उनको विधायकों से वापस ले लिया जाय ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अच्छा है, माननीय उपनेता ने अपने सभी आरोप वापस ले लिए, धन्यवाद आपके लिए । मान्यवर, हमारी श्री अनिल कुमार जी से बात हुई थी, श्री लटूरी सिंह से भी बात हुई थी और सुरक्षा का प्रबन्ध कर दिया गया था, उनके पास अंगरक्षक पहले से था । हमने यह कहा कि अगर अंगरक्षक हटा देंगे तो सबको दो-दो नहीं दे पायेंगे । आप लोग एक-एक गनर ले लीजिये, उसका आदेश भी दे दिया । इसके बावजूद एक गनर, एक अंगरक्षक उनके पास अब भी है । आप चाहें तो मैं नाम भी पढ़ दूं, श्री अनिल कुमार सिंह विधायक जी के पास ।

श्री लटूरी सिंह--

आप फिर से सूचना मंगवा लें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, अभी तक जो भी सूचना टेलीफोन पर प्राप्त हो सकी है, उसके अनुसार मैं सूचना दे रहा हूं । ठीक है, अगर आपकी बात हुई है तो एक गनर स्वीकार कर लिया । आपने यह भी कहा कि बी0 जे0 पी0 या जनता दल के लोगों पर दो-दो हैं, आपको यह भी पता होना चाहिये कि आपके कुछ साथियों के ऊपर हमने तो पूरी जीप स्कार्ट दे रखी है । आप ऐसा मत कहिये, आपको जानकारी क्या है । तिवारी जी के ऊपर मैंने सिक्योरिटी पूरी जीप के साथ दी है ।

एक सदस्य--

नाम बता दीजिये ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आप जैसे उथला थोड़े न हूं, जो नाम बता दूं। यही नहीं मान्यवर, एक बजे रिपोर्ट लिखाई गई। माननीय उप नेता विरोधी दल ने 12.20 पर ही यह मामला यहां पर उठा दिया। मान्यवर, क्या मामला है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। एक ब्लाक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रधानों ने हस्ताक्षर किए। एक पक्ष ने कहा कि यह हस्ताक्षर गलत हैं इसके लिए कल 7 तारीख लगा भी दी गई कि ये हस्ताक्षर सही हैं या गलत हैं। इसको लेकर के एक गांव पास में ही है लोधी राजपूतों का, प्रधान को जबरदस्ती पकड़ने चले गये विधायक जी और विधायक जी के साथी। दूसरे लोगों ने रोका।

(श्री लटूरी सिंह के खड़े होने पर शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री लटूरी सिंह जी आप कृपा करके बैठ जायं। आपकी बात को धैर्यपूर्वक सुना गया है, उसी प्रकार आप भी माननीय मुख्य मंत्री जी की बात को धैर्यपूर्वक सुनें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

अब जो हमें सूचना दी गई है उसके अनुसार दोनों तरफ से रपट लिखाई गई है। मैंने फिर भी डी0 एम0 को आदेश दिया है कि वह स्वयं मौके पर जायं। डी0 एम0 मौके पर पहुंच गये हैं। मौके पर जाकर वह जांच करेंगे उसके बाद जो तथ्य सामने आयेंगे, उसको भी मैं सदन के सामने बता सकता हूं। मैं छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जहां तक रही 2-2 व 3-3 लोगों को देने की बात तो जिसे जिला प्रशासन उचित समझता है, उसको उसी तरह से सुरक्षा देता है। आप लोग खुद भी जानते हैं कि कितने भूतपूर्व मिनिस्टर ऐसे हैं, जिन्होंने समझा कि हमारे पास गार्ड बना रहना चाहिये, उनके पास आज भी गार्ड हैं। हम लोग तो जिस दिन मिनिस्ट्री से हटे थे तो उसी दिन सिक्योरिटी हटा दी गई थी। यह कहना कि पक्षपात के अनुसार गनर दिए गए हैं या अंग रक्षक दिए गए हैं, बिल्कुल असत्य है। उन्होंने खुद ही कहा है कि हमारे साथियों ने हमें बुलाया था यहां पर अविश्वास प्रस्ताव के लिए, इसलिए मैं लखनऊ से आया था। रास्ते में हम पर गोली चलाई गयी। जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि दोनों पार्टियां प्रधान को पकड़ रही थी। एक पकड़ रही थी और दूसरी छुड़ा रही थी। प्रधान घर के अन्दर घुस गया। माननीय उप नेता भले ही न जानते हों, लेकिन आप तो जानते ही हैं। उप नेता जी को यह मालूम होना चहिए कि वह माननीय श्री तिवारी जी की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। रिपोर्ट एक बजे लिखी जा रही है और आप 12-20 पर ही यहां पर उस सम्बन्ध में मामला उठा दे रहे हैं। ज्योंही आपके पास टेलीफोन पर इसकी सूचना आई थी तो आप मुझसे बात कर लेते कि मुझे ऐसी सूचना दी गई है तो मैं आपको सच्चाई बता देता। मुझे तो इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों से पूरी व बराबर की हमदर्दी है।....

सदन के किसी भी माननीय सदस्य पर यदि हमला होता है, उसका उत्पीड़न होता है या उसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही की जायगी, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(सभी पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

सरकार की यह नीति है लेकिन कम से कम माननीय सदस्यों को भी अगर कार्यकर्ता करते हों तो उनको रोकना चाहिये । अगर माननीय सदस्य ही जबर्दस्ती प्रधान को पकड़ने चले जायेंगे तो क्या हम उनको बचा लेंगे ? या गांव के लोग ही कुछ करने लगेंगे तो क्या हम उनको रोक लेंगे ?

(घोर व्यवधान)

इसके बाद भी जिससे आप कहें, हम जांच करवा दें ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

आप सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना दीजिये ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

जब प्रकरण यहां प्रकाश में आ गया तब रिपोर्ट लिखने के लिये "एक्शन" लिया गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आपको जब फोन मिला था तो मुझे भी बता देते तब आप सवाल उठाते । आपने कहा 250 फायर हो गये । आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं । मैं तो अब भी विश्वास कर रहा हूं कि आप जो कुछ बोलते हैं, सही बोलते हैं । यह सोचकर बोलना चाहिये कि सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं । मैं पूछता हूं कि अगर 250 फायर रिपोर्ट में न लिखे गये हों तो ? क्या मैं रिपोर्ट सुना दूं ?

(कांग्रेस के सदस्यों द्वारा "हां" कहने पर)

ठीक है, घटना विधायक जी ने इस प्रकार लिखायी है—7.20 बजे सुबह लखनऊ से निघोली फलां जा रहा था, गाड़ी कुंवरपुर के पास जा रही थी तो सड़क पर दो जीप नम्बर फलां-फलां, ड्राइवर फलां-फलां, हयातपुर के रहने वाले मरचरा थाने के थे, दूसरी जीप में फलां-फलां ड्राइवर और विनोद पुत्र श्री गजराज सिंह....बताइये विनोद के साथ आपकी क्या रिश्तेदारी है ?

(घोर व्यवधान)

उन्होंने कहा कि उनके एक अंगरक्षक और एक गनर ने खुद फायर किया है । सच्चाई यह है कि जो फोन पर सूचना मिली थी उतना ही बोल रहा हूं । मैंने डी० एम० को भेज दिया है । मामला है जबर्दस्ती प्रधानों को पकड़ने का । चाहे वह पकड़ रहे हों या वह पकड़ा रहे हों । हो सकता है दोनों तरफ से पकड़ रहे हों । यही घटना को बढ़ाचढ़ा कर कहना उचित नहीं है । पूरी तरह से विधायक जी को सुरक्षा का प्रबन्ध है और पहले से कर दिया है । जिससे चाहे जांच करा ले ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

मुख्य मन्त्री जी ने कहा 7.30 बजे घटना हुयी । एक बजे रिपोर्ट लिखी जा रही है, प्रशासन कितना जिम्मेदार है ? आपके पास हॉट लाइन है और सारी चीजें हैं । अभियुक्त जो है, वह भी मुख्य मन्त्री जी का रिश्तेदार है । जो ब्लाक प्रमुख

का चुनाव हार गये हैं वह उनके भाई हैं। घटना में वह लोग भी मौजूद थे जिनका कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने फलां-फलां कह करके टाल दिया और प्रकाश नहीं डाला। कैसे बनाने और कैसे चलाने का आपका काम है, बाद में मुकदमा दर्ज किया गया। कहते हैं कि एफ0 आई0 आर0 1 बजे लिखी गयी, आप वह भी न कराते।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब माननीय उप नेता के भाषण को सुनने के बाद आप क्या कहेंगे ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय नेता सदन ने जो कहा है और माननीय उप नेता के भाषण को सुनने के बाद मुझे बहुत तकलीफ हुयी और मैं कांग्रेस पार्टी के मित्रों से कहना चाहता हूं कि एक प्रधान को जबरदस्ती खींचा गया है

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब मद संख्या 11।

(श्री लटूरी सिंह अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहे।)

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-3 आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास), अनुदान संख्या-2, आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)

नगर विकास मन्त्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश में प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3--आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,12,73,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 2--आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,57,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(नगर विकास मन्त्री जी के बजट के प्रस्तुतीकरण के साथ ही श्री लटूरी सिंह भी अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे जो कि शोर के कारण सुनायी नहीं दिया।)

श्री अनिल कुमार यादव स0 वि0 सभा पर गोली से हुये हमले के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा तो दिया है कि जो सूचना उपलब्ध है वह बतला दिया और मौके पर जिलाधिकारी गये हैं ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

आपने माननीय मुख्य मन्त्री जी को सुनने के बाद माननीय लटूरी सिंह को सुनने के लिये कहा था क्योंकि परम्परा से रखी जानी चाहिये । ये लोग तो सदन नहीं चलते देना चाहता है इसीलिये व्यवधान पैदा करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय लटूरी सिंह जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप माननीय मुख्य मन्त्री जी के कक्ष में जाकर मिल लीजियेगा और अपनी बात कर लीजियेगा ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

हाऊस की एक कमेटी बना दी जाय यह बात माननीय मुख्य मन्त्री जी कह दें हम इस पर सहमत हैं, उसके बाद आप बजट ले लें ।

श्री प्रमोद कुमार--

नहीं, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सूचना दी है वह तथ्य से परे है । इस तरह से सदन नहीं चलेगा । मान्यवर, आप संरक्षण दें । सदन इस तरह से नहीं चलेगा ।

(तदोपरान्त कांग्रेस पार्टी के तमाम सदस्य सदन के फ्लोर में आकर सरकार के विरोध में नारे लगाने लगे) ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सदन को चार बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 43 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिये स्थगित कर दी ।

4 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी ।)

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक पर मतदान, अनुदान संख्या 3--आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) अनुदान संख्या 2--आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)
(क्रमागत)

(सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ होने पर)

श्री अध्यक्ष--

नगर विकास मन्त्री जी आप बजट पर कुछ प्रकाश डालें ।

(कांग्रेस दल के सभी सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे घोर व्यवधान हो गया)

नगर विकास मन्त्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)—

मान्यवर, मैं क्या प्रकाश डालूं ऐसी स्थिति में ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3—आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3—आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,12,73,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2—आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 2—आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,57,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 6, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जाएगा।

(2) यह 20 जनवरी, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन 1961 की धारा 15 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 15 में, उपधारा (12) और (13) में, जहां-जहां शब्द "दो वर्ष" आये हों उनके स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिए जायेंगे।

धारा 20 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (4) में, खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्--

"(ग) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति की पदावधि जो, 20 जनवरी, 1990 के पूर्व या उसके पश्चात् धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (5) के अधीन सदस्य होने के लिए चुना गया हो, एक वर्ष होगी, किन्तु वह तब तक पद धारण किए रहेगा जब तक कि उसके स्थान पर किसी व्यक्ति को सदस्य होने के लिए न चुन लिया जाय।

स्पष्टीकरण :--शंकाओं के निवारण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (5) के अधीन सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति का चयन, धारा 17 में जिला परिषद् के गठन या पुनर्गठन के पूर्व किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जा सकता है।"

धारा 21 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (2) में, शब्द "उसके निर्वाचित होने के दिनांक से एक वर्ष का होगा किन्तु जिला परिषद् के कार्यकाल से आगे न बढ़ेगा" के स्थान पर शब्द "उसके निर्वाचित होने पर प्रारम्भ होगा और जिला परिषद के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा" रख दिए जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 28 में,--

(क) पार्श्वशीर्षक में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात शब्द "या उपाध्यक्ष" बढ़ा दिए जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्द "या उपाध्यक्ष" बढ़ा दिए जायेंगे;

(ग) उपधारा (11) में, खण्ड (ख) में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्द "या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो," बढ़ा दिए जायेंगे;

(घ) उपधारा (12) और (13) में, जहां-जहां शब्द "दो वर्ष" आए हों, उनके स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिए जायेंगे और जहां-जहां शब्द "अध्यक्ष" आया हो, उसके पश्चात् शब्द "या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो" बढ़ा दिए जायेंगे।

निरसन और अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 1990

6—(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1990 के निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत या कार्यवाही समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 6 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश तथा क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 12, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 और संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का अग्रतर संशोधन करने के लिए—

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम 1990 कहा जाएगा।

(2) यह 15 फरवरी, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

अध्याय—दो

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 9 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 9 में—

(क) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित सदस्यों में कोई महिला न हो या केवल एक महिला हो, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, दो महिला सदस्यों को या एक और महिला सदस्य को नाम निर्दिष्ट कर सकती है, जिससे कि बोर्ड में महिला सदस्यों की संख्या दो से कम न हो और तदुपरान्त बोर्ड की सामान्य रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जाएगा"।

(ख) तृतीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् और वर्तमान स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई सदस्य जो इस धारा के अधीन चाहे 15 फरवरी, 1990 के पूर्व या पश्चात् नाम निर्दिष्ट किया गया हो, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा, किन्तु उसका कार्यकाल बोर्ड के कार्यकाल के उपरान्त नहीं होगा।"

धारा 38 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 38 तथा उसके पार्श्व शीर्षक में जहां-जहां भी शब्द "या नाम-निर्दिष्ट" और या "नाम निर्देशन" आये हों, निकाल दिए जायेंगे।

धारा 87-क का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 87-क में, उपधारा (13) और (14) में जहां-जहां भी शब्द "दो वर्ष" आये हों उनके स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिए जायेंगे, तथा उपधारा (13) में शब्द "दो तिहाई से कम न होगी" के स्थान पर शब्द "आधे से अधिक होगी" रख दिए जायेंगे।

5—मूल अधिनियम की धारा 114-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी,

अर्थात्—

धारा 114-क का प्रतिस्थापन

धन उधार लेने की बोर्ड की शक्ति

"114-क—बोर्ड अपने कर्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन के लिए, चाहे वे आज्ञापक या वैवेकिक हों, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, और इस निमित्त विहित नियमों के अधीन रहते हुए, डिबेंचर जारी करके या किसी अन्य प्रतिभूति पर खुले बाजार में या किसी वित्तीय संस्था से ऋण ले सकता है।"

धारा 338 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 338 में, उपधारा (2) में—

(क) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन, विहित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त, या निर्वाचित सदस्यों में कोई महिला न हो या केवल एक महिला हो, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, दो महिलाओं को या एक और महिला को नाम-निर्दिष्ट कर सकती है जिससे कि कमेटी में महिला सदस्यों की संख्या दो से कम न हो और तदुपरांत कमेटी की सामान्य रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायेगा;"

(ख) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई सदस्य जो पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्डों के अधीन राज्य सरकार द्वारा चाहे 15 फरवरी, 1990 के पूर्व या पश्चात् नाम-निर्दिष्ट किया गया हो, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा, किन्तु वह नोटीफाइड एरिया कमेटी के कार्यकाल के उपरान्त पद धारण नहीं करेगा।"

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

7––उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में,––

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 6 का संशोधन

(क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्––

"(3) यदि इस धारा के अधीन सभासदों में कोई महिला न हो या केवल एक महिला हो, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, दो महिलाओं को या एक और महिला को नाम–निर्दिष्ट कर सकती है जिससे कि महिला सभासदों की संख्या दो से कम न हो और तदुपरान्त महापालिका के सभासदों की संख्या में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा ।"

(ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात––

"(6) कोई सभासद जो इस धारा के अधीन चाहे 15 फरवरी, 1990 के पूर्व या पश्चात् नाम–निर्दिष्ट किया गया हो, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा किन्तु वह महापालिका के कार्यकाल के उपरान्त पद धारण नहीं करेगा ।"

8––मूल अधिनियम की धारा 16 में––

धारा 16 का संशोधन

(क) उपधारा (2) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिए जायेंगे;

(ख) उपधारा (16) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिए जायेंगे ।

9––मूल अधिनियम की धारा 23 में, अंक "26" निकाल दिया जाएगा ।

धारा 23 का संशोधन

अध्याय–चार

संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का संशोधन

10––संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में, उपधारा (2) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्––

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1914 की धारा 5 का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित सदस्यों में कोई भी महिला न हो या केवल एक महिला हो तो, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, दो महिलाओं को या एक महिला को नाम–निर्दिष्ट कर सकती है, जिससे कि समिति में महिला सदस्यों की संख्या दो से कम न हो और तदुपरान्त समिति की सामान्य रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जाएगा ।"

धारा 6 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात--

"(2-क) कोई सदस्य जो धारा 5 के अधीन, चाहे 15 फरवरी, 1990 के पूर्व या पश्चात नाम-निर्दिष्ट किया गया हो, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा, किन्तु वह समिति के कार्यकाल के उपरान्त पद धारण नहीं करेगा।"

अध्याय-पांच

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन 1990

निरसन और अपवाद

12--(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(6) ऐसे निरसन या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1990 के निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित अध्याय-दो, तीन और चार में निर्दिष्ट मूल अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध समस्त सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 12 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं सोमवार (9 जुलाई, 1990) को 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 5 मिनट पर सोमवार, दिनांक 9 जुलाई, 1990 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
6 जुलाई, 1990

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

(नत्थी 'क')

(देखिये ता० प्र० सं० 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12 पर)

सूची "क"

मथुरा नगर के निम्नलिखित मुहल्लों में सीवर लाइन नहीं है :—

1—कृष्णा नगर
2—राधा नगर
3—बैंक कालोनी
4—मटिया गेट
5—मनोहरपुरा
6—कसाई पाड़ा
7—हरिजन बस्ती
8—बड़ी नगर
9—गोविन्द नगर
10—जगन्नाथपुरी
11—अर्जुनपुरा
12—हालन गंज
13—रामपुरा
14—मण्डी राम दास
15—चौक बाजार मुहल्ला
16—लाल दरवाजा
17—किशन गंगा
18—तेली पाड़ा
19—माया टीला
20—चिड़ी मार टीला
21—कुशक गली
22—गऊ घाट
23—माजिक चौक
24—कुआ गली
25—गुजर घाटी
26—गजा पाइसा
27—दलपत खिड़की
28—महौली की पोर
29—रतन कुण्ड
30—चौबच्चा
31—सीतलापाइसा
32—नगलापाइसा
33—नीम गली
34—बाटीबहाय राय
35—शीतला घाटी
36—गली भार्गव
37—गोला पाड़ा
38—श्याम घाट
39—बंगाली घाट
40—चूना कंकड़ गली
41—महाविद्या गली
42—राम जी द्वारा
43—होली गली
44—गोपालपुरा
45—तिलक नगर
46—कम्पू घाट
47—सेठ पाड़ा
48—बहादुरपुरा
49—श्रीगुरपुरा
50— नया लगना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

51—बीली प्याऊ
52—रेलवे कालोनी
53—डेण्डियर नगर
54—पंजाबी पेंच
55—बन लंडी
56—पठौती कुआ
57—भैंस बहोरा
58—छतनपुरा
59—अन्ता पाड़ा
60—जवाहर हाट
61—सफा खाना
62—जनरल गंज
63—कृष्णपुरी
64—ध्रुव टीला
65—शमशान घाट
66—सप्त ऋषी नगर
67—मैना गढ़
68—बाड़पुरा
69—डांडरा
70—रोटी गोदाम
71—मिशन मुहल्ला
72—मालियान बस्ती
73—पुरानी छावनी
74—कुम्हरान
75—जहर खाना
76—अहिर पाड़ा
77—लकड़ फाड़
78—सिविल लाइन
79—भूतेश्वर मुहल्ला
80—नानक नगर
81—बृज नगर
82—गताश्रम
83—गली दशावतार
84—छोंका पाड़ा

मध्यप्रदेश संदेश

सूची "ख"

मथुरा नगर के निम्नलिखित क्षेत्रों में नालियां नहीं हैं :-

1--सिविल क्षेत्र

2--गुरु नानक नगर

3--बृज नगर

4--कृष्ण नगर

5--राधा नगर

6--पोतरा कुंड

7--बहादुरपुर

8--नया नगला

9--झीगुरपुरा

10--सुभाष नगर

नोट :--

पालिका सीमा वृद्धि के फलस्वरूप नये सम्मिलित क्षेत्रों में भी सीवर एवं नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची "ग"

नगरपालिका वृन्दावन में जिन क्षेत्रों में सीवर लाइन व नालियां नहीं हैं, वे निम्नवत् हैं :—

सीवर लाइन विहीन क्षेत्र	नाली विहीन क्षेत्र
1—रमण रेती	1—रमण रेती
2—बाराह घाट	2—बाराह घाट
3—रतन क्षत्री	3—रतन क्षत्री
4—कालीदह	4—काली दह
5—गौतम पाड़ा	5—बांके बिहारी कालोनी
6—भंगी पाड़ा	6—भंगी पाड़ा कालोनी
7—मदनमोहन घेरा	7—राधा निवास
8—सेवा कुंज (आंशिक)	8—माधो विलास
9—केशीघाट (आंशिक)	
10—गोपी नाथ घेरा	
11—गोपीनाथ बाग	
12—गोपेश्वर बाग	
13—बंशी वट	
14—ज्ञान गुदड़ी	
15—ब्रह्म कुण्ड (आंशिक)	
16—पत्थरपुरा (आंशिक)	
17—छीपी गली	
18—लोई बाजार	
19—देतिया बाजार	
20—सैयद बाजार	
21—व्यास घेरा (आंशिक)	
22—धोबी गली	
23—किशोरपुरा भाग	
24—किशोरपुरा भाग (आंशिक)	
25—गोविन्द देव (आंशिक)	
26—बजाजा बाजार	
27—मण्डी बाजार	
28—मथुरा दरवाजा (आंशिक)	
29—राधा निवास भाग (आंशिक)	
30—राधा निवास	
31—माधो विलास	
32—अटल बन	
33—कुमार बन	
34—तलास मन्दिर	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर)

सूची 1

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी संघर्ष समिति

नगर महापालिका, विकास प्राधिकरण जल संस्थान, नगरपालिका, टाउन एरिया, जलकल, नोटीफाइड एरिया कर्मचारियों के प्रान्तीय संगठनों द्वारा संगठित ।

प्रमुख मांगें--

1--समता समिति की रिपोर्ट कर्मचारियों की अभिलाषाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप प्रकाशित कर्मचारियों में प्रभावी बनाने के लिए शासनादेश जारी किए जायें तथा कर्मचारी कल्याण निगम की सुविधा स्थानीय निकाय कर्मचारियों को उपलब्ध करायी जाये ।

2--स्थानीय निकाय कर्मचारियों के वेतन वितरण का दायित्व सरकार वहन करें ।

3--दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित वेतन पर रक्खा जायें तथा जो वर्षों से नियमित हैं, उन्हें स्थायी किया जाये ।

4--1 अप्रैल, 1974 से 31 अक्तूबर, 1976 तक के अतिरिक्त मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जावे ।

5--सामूहिक बीमें की धनराशि कंडरवाइज केन्द्र कर्मचारियों के समान किया जाये ।

6--महापालिकाओं की कार्यशालाओं एवं संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों पर ई0 एस0 आई0 की कटौती बन्द किया जाये ।

7--शासन से पूर्व में हुए समझौतों के अनुसार राज्य कर्मचारियों के समान ही वेतन, सलेक्शन ग्रेड, समयबद्ध वेतनमान देशाटन का लाभ दिया जाये ।

8--नगरों का सर्वेक्षण मानक के आधार पर हेल्थ मैनुअल के अनुसार सफाई अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये ।

9--नगर के चतुर्थमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में सभी वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति की जावे ।

10--जिन मकानों में कर्मचारी स्वयं रह रहे हैं उन मकानों के गृह कर, जल कर जल निस्तारण से मुक्त प्रदान किया जाय ।

11--वर्तमान चिकित्सा सुविधा को समाप्त कर प्रति कर्मचारी 100 रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जाये तथा टी0 बी0, कैन्सर एवं इसी प्रकार की बीमारियों तथा दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को विशेष सुविधा दी जाये ।

12--कर्मचारियों के आश्रितों को उच्चतम स्तर तक शिक्षा भत्ता दिया जाये ।

13--(अ) अकेन्द्रियत सेवा के रिक्त पदों को वरिष्ठता के आधार पर भरा जाये ।

(ब) केन्द्रियत सेवा के रिक्त पदों को अकेन्द्रियत सेवा के कर्मचारियों से शत प्रतिशत भरा जाये तथा सीधी भर्ती बन्द किया जाये ।

14--सेवानिवृत्त के पूर्व प्रत्यावेदन प्रत्येक कर्मचारी को एक भवन का स्वामी बनाया जाये ।

15--सेवानिवृत्त कर्मचारी के आश्रितों को अनिवार्य रूप से सेवा में रखने की सुविधा प्रदान की जाय ।

16--वर्ष 1987 के हड़ताल एवं अन्य कर्मचारी आन्दोलनों के समय स्थापित मुकदमों एवं प्रताड़ना की कार्यवाही वापस ली जाये ।

17--10 वर्षों से अधिक कार्यरत सभी वर्गों के कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर जहां कहीं प्रशिक्षण की आवश्यकता है से मुक्त किया जाये ।

18--6 माह से अधिक समय से अकारण निलम्बित कर्मचारियों को तुरन्त बहाल किया जाये ।

19--जिन कर्मचारियों से गजटेड अवकाश एवं त्योहारों के दिनों में काम लिया जाता है उन्हें अवकाश के दिनों में कार्य करने का धन दिया जाये या अवकाश दिया जाये ।

20--सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले दिन ही फण्ड, ग्रेच्युटी, पेंशन का भुगतान कराया जाये ।

21--सामूहिक बीमे की धनराशि का भुगतान मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को पूर्व की भांति अपने संस्थाओं से तुरन्त कराने की व्यवस्था की जाये ।

22--जहां कहीं 8 घन्टे से अधिक कार्य लिया जाता है उसका ओवर टाइम कर्मचारियों को दिया जाये ।

23--स्थानीय निकायों एवं जलकल संस्थान के अकेन्द्रियत सेवा कर्मचारियों के लिये सेवा नियमावली बनायी जाय और लागू की जाये ।

24--टाउन एरिया नोटीफाइड एरिया के अकेन्द्रियत सेवा के कर्मचारियों पर पेंशन नियमावली 1 अप्रैल, 1979 से लागू की जायें ।

25--जल संस्थानों को पूर्व की भांति बढ़े हुये वेतनों महंगाई भत्तों एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु एवं अन्य व्ययों के लिये आर्थिक सहायता दी जाये ।

26--जिन निकायों में जल निस्तारण (सीवर) विभाग स्थायी नहीं है उसे बनायी जाये ।

27--विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के समान ही महापालिकाओं व अन्य स्थानीय निकायों के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अवकाश के बकाया धन का भुगतान किया जाये ।

संयोजक,
समिति संघर्ष ।

सूची 2

दिनांक 19 अक्तूबर, 1989 को हुयी वार्ता में लिये गये प्रमुख निर्णय	निर्णयों पर की गयी कार्यवाही
बिन्दु 1—समता समिति की रिपोर्ट पर संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा पुनर्विचार की मांग पर मुख्य सचिव ने निर्णय लिया कि रिपोर्ट की कापी समिति के सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाय। यदि कोई विसंगतियां ज्ञापन द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं तो उन पर शासन द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायगा।	बिन्दु—1—समता समिति की रिपोर्ट की प्रति संघर्ष समिति के सदस्यों को उपलब्ध करायी जा चुकी है। विसंगतियों के सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञापन विसंगति समिति के विचाराधीन हैं।
बिन्दु 2—स्थानीय निकाय कर्मचारियों के बीच वेतन वितरण के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि शासन यह दायित्व वहन करने में असमर्थ है परन्तु शासन इस बात से सहमत है कि कर्मचारियों को वेतन का वितरण पहले सप्ताह में हो जाय। वेतन का वितरण किस प्रकार सुनिश्चित हो और इसके लिये क्या प्रक्रिया अपनायी जाय इसका अध्ययन एक समिति करेगी।	बिन्दु 2—स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के समय से वेतन वितरण सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख सचिव वित्त विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 दिसम्बर, 1989 द्वारा कर दिया गया है।
बिन्दु 3—दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि जिन कर्मचारियों ने 3 वर्ष लगातार तथा प्रत्येक वर्ष में 240 दिन 11 अक्तूबर, 1989 तक कार्य किया है, उन्हें नियमित वेतन पर रक्खा जाय। इस समय दैनिक वेतन पर कार्यरत अन्य कर्मचारी जो इन शर्तों में न आते हों उन्हें पी0 डब्लू0 डी0 के शैड्यूल रेट के अनुसार दैनिक मजदूरी दी जायेगी।	बिन्दु 3—प्रदेश में स्थित नागर स्थानीय निकायों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु जिन निकायों के पदों से सृजन के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे उनमें से कुछ के सम्बन्ध में पद सृजित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा कुछ विचाराधीन हैं। पी0 डब्लू0 डी0 के शिड्यूल के अनुसार दैनिक मजदूरी देने के सम्बन्ध में शासनादेश 24 अक्तूबर, 1989 को जारी कर दिया गया है।
बिन्दु 4—दिनांक 1 अप्रैल, 1974 से 31 दिसम्बर, 1976 तक के अतिरिक्त महंगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश एक माह के अन्दर निर्गत किया जायगा।	बिन्दु 4—अतिरिक्त महंगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 2 नवम्बर, 1989 को शासनादेश जारी कर दिया गया है।

बिन्दु 5—स्थानीय निकाय कर्मचारियों ने जो अन्य मांगें प्रस्तुत की हैं उस सम्बन्ध में पूर्व में जो समझौता किया गया है यदि उसे अन्य समझौते द्वारा निरस्त न किया गया हो तो उन समझौतों को लागू किया जायेगा तथा सचिव नगर विकास इसका पालन तीन महीने के अन्दर सुनिश्चित करेंगे।

बिन्दु 5—ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है जिस पर कार्यवाही लम्बित हो।

बिन्दु 6—यह समझौता समस्त स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, जलकल एवम् जल संस्थान के सम्बन्धित कर्मचारियों पर लागू होगा।

बिन्दु 6—तदनुसार ही कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 3 पर)

शासनादेश संख्या 1242/28-4-81-31 ए/1517-80, दिनांक 3 अप्रैल, 1981 में उल्लिखित विभागों की सूची :—

1—कृषि विभाग [कृषि शोध एवं शिक्षा तथा कृषि विपणन (मंडी परिषद्) को शामिल करते हुये)।]

2—उद्यान एवं फलोपयोग,

3—वन विभाग,

4—सामुदायिक विकास विभाग,

5—ग्राम्य विकास (क्षेत्रीय विकास विभाग को शामिल करते हुये),

6—सिंचाई विभाग (बाढ़ नियन्त्रण को शामिल करते हुये),

7—लघु सिंचाई विभाग,

8—पशुपालन विभाग,

9—दुग्ध विकास,

10—मत्स्य विभाग,

11—पंचायती राज,

12—ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,

13—सहकारिता,

14—राज्य विद्युत् परिषद्,

15—उद्योग (हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को शामिल करते हुये),

16—भूतत्व एवं खनिकर्म,

17—लोक निर्माण विभाग,

18—पर्यटन विभाग,

19—शिक्षा विभाग,

20—खेलकूद विभाग,

21—सांस्कृतिक कार्य,

22—चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा को शामिल करते हुये),

23—जल निगम,

24—प्राविधिक शिक्षा,

25—शिल्पकार प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,

26—श्रम कल्याण,

27—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग,

28—अर्थ एवं संख्या विभाग।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये आ0 प्र0 सं0 27 का पीछे पृष्ठ 37 पर)

ऐसी चीनी मिलों की सूची जिनमें नियुक्त श्रम कल्याण अधिकारियों को संशोधित वेतनमान नहीं दिये जा रहे हैं

1—छाता सुगर कं0 लि0, छाता, मथुरा ।
2—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, बरेली ।
3—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, रामपुर ।
4—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, किच्छा, नैनीताल ।
5—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, अमरोहा, मुरादाबाद ।
6—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, पिपराइच, गोरखपुर ।
7—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, सिसवां बाजार, गोरखपुर ।
8—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, घुघली, गोरखपुर ।
9—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, मुण्डेरवा, बस्ती ।
10—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, छितौनी, देवरिया ।
11—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, रामकोला, देवरिया ।
12—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, लक्ष्मीगंज, देवरिया ।
13—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, भटनी, देवरिया ।
14—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, खड्डा, देवरिया ।
15—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, नन्दगंज, गाजीपुर ।
16—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, बाराबंकी यूनिट, बाराबंकी ।
17—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, बुढ़वल, बाराबंकी ।
18—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, दरियापुर, रायबरेली ।
19—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, जरवल रोड, बहराइच ।
20—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, हरदोई ।
21—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, महोली, सीतापुर ।
22—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, शाहगंज, जौनपुर ।
23—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, मेरठ ।
24—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, मोहिउद्दीनपुर, मेरठ ।
25—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, सखौती टांडा, मेरठ ।
26—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, रोहनाकलां, मुजफ्फरनगर ।
27—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, सहारनपुर ।
28—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, बिजनौर ।
29—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, चांदपुर, बिजनौर ।
30—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, डोईवाला, देहरादून ।
31—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, पन्नी नगर, बुलन्दशहर ।

32—यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, घाटमपुर, कानपुर देहात ।
33—नेवली शुगर फैक्टरी नेवली, एटा ।
34—केसर शुगर वर्क्स, बहेड़ी, बरेली ।
35—एल0 एम0 शुगर फैक्टरी, काशीपुर, नैनीताल।
36—अयोध्या शुगर मिल्स, राजा कासीहतपुर मुरादाबाद ।
37—एल0 एम0 शुगर फैक्टरी, साहूकारा, पीलीभीत ।
38—गणेश शुगर मिल्स प्रा0 लि0, आनन्द नगर, गोरखपुर ।
39—सरैया शुगर मिल्स प्रा0 लि0, सरदार नगर गोरखपुर ।
40—बस्ती शुगर मिल्स कं0 बस्ती ।
41—खलीलाबाद शुगर वर्क्स, बस्ती ।
42—बस्ती शुगर मिल्स वाल्टरगंज, बस्ती ।
43—तुलसीपुर शुगर कं0 लि0, तुलसीपुर, गोण्डा ।
44—नवाबगंज शुगर मिल्स कं0 लि0, नवाबगंज, गोण्डा ।
45—बलरामपुर शुगर कं0 बलरामपुर, गोण्डा ।
46—सक्सेरिया शुगर मिल्स प्रा0 लि0 बभनान, गोण्डा ।
47—यू0 पी0 शुगर कं0 लि0, शिवराही, देवरिया ।
48—प्रतापपुर शुगर कं0 लि0, प्रतापपुर, देवरिया ।
49—शंकर शुगर मिल्स, कप्तानगंज, देवरिया ।
50—गंगेश्वर लि0, रामकोला, देवरिया ।
51—कानपुर शुगर वर्क्स, गोरीबाजार, देवरिया ।
52—कानपुर शुगर वर्क्स, कठकुजंया, देवरिया ।
53—कानपुर शुगर वर्क्स पडरौना, देवरिया ।
54—हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, गोलागोकरननाथ, खीरी ।
55—शारदा शुगर टण्डा लि0, पलियाकलां, खीरी ।
56—गोविन्द शुगर मिल्स, एरा स्टेट, खीरी ।
57—सक्सेरिया बिसवां शुगर मिल्स प्रा0 लि0, सीतापुर ।
58—कमलापत मोती लाल शुगर मिल्स, मोतीनगर, फैजाबाद ।
59—त्रिवेनी कंजी वर्क्स (खतौली शुगर यूनिट) मुजफ्फरनगर ।
60—अपर दोआब शुगर मिल्स, शामली, मुजफ्फरनगर ।
61—सरशादी लाल शुगरमह जनरल मिल्स, मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर ।
62—गंगेश्वर लि0 देवबन्द, सहारनपुर ।
63—महालक्ष्मी शुगर मिल्स, इकबालपुर, सहारनपुर ।
64—आर0 बी0 नरायन सिंह शुगर मिल्स लि0, लक्सर, सहारनपुर ।
65—धामपुर शुगर मिल्स, कं0 लि0, धामपुर ।
66—अपर गंगेज शुगर मिल्स लि0, शिकारा, बिजनौर ।
67—रोजा शुगर वर्क्स, रोजा शाहजहांपुर ।
68—मोटो शुगर मिल्स, मोदी नगर, गाजियाबाद ।
69—देवरिया शुगर मिल्स लि0, देवरिया शासकीय आदाता के अधीन ।
70—सीताराम शुगर कं0 लि0, बेतालपुर, देवरिया । शासकीय आदाता के अधीन ।

पी0 एस0 यू0 पी0—20 वि0 सभा—4-10-1990 (पी0 डी0)